रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 75] प्रयागराज, शनिवार, 9 जनवरी, 2021 ई० (पौष 19, 1942 शक संवत्) [संख्या 2

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	15–84	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	45–73	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	5–8	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	29–85	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

आवश्यक सूचना

1—गजट के न मिलने की सूचना गजट में प्रकाशित होने से 15 दिन के अन्दर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को प्राप्त होनी चाहिये। उसके बाद के परिवादों की कोई सुनवाई न होगी। केवल गजट की वही प्रतियां पुनः बगैर कीमत भेजी जा सकेंगी जो डिलीवरी न होने के कारण वापस आई हों।

2—सम्पूर्ण गजट के ग्राहकों को असाधारण गजट की सम्पूर्ति की जाती है। असाधारण गजट नवीन राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ से वितरित होता है। अतः असाधारण गजट के सम्बन्ध में यदि कोई पत्र-व्यवहार करना हो तो कृपया उक्त पते पर ही करें। सम्पूर्ण गजट का वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दा 20 सितम्बर, 1997 से क्रमशः रु0 3,075.00 एवं रु0 1,560.00 हो गया है।

3—गजट के प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा प्रत्येक के सामने अलग-अलग अंकित है। भाग-1 का वार्षिक चन्दा रु0 1,500.00 तथा छमाही चन्दा रु0 780,00 है। स्टोर्स-पर्चेज का वार्षिक चन्दा रु0 1,425.00 तथा अर्द्धवार्षिक चन्दा रु0 750.00 है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा रु0 975.00 तथा अर्द्धवार्षिक रु0 555.00 है।

प्रत्येक गजट अथवा गजट (साधारण अथवा असाधारण) के भागों के वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दे की राशि में यदि कोई परिवर्तन किन्हीं अपरिहार्य कारणोंवश होता है तो उसकी सूचना अलग से दी जायेगी।

4—उत्तर प्रदेश राजपत्र (गजट) के स्थायी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि वे अर्द्धवार्षिक और वार्षिक चन्दा समाप्त होने की तारीख से एक मास पूर्व ही अपना नवीन चन्दा गजट के लिये इस कार्यालय को भेज देने की कृपा करें, जिससे गजट के भेजने का क्रम टूटने न पावे और नियमित रूप से उन्हें हम गजट भेजते रहें। इससे ग्राहकों को भी असुविधा नहीं होगी और वे निश्चित समय पर गजट प्राप्त कर सकेंगे।

इस सम्बन्ध में, मैं यह भी सूचित करना आवश्यक समझता हूं कि पूर्ण वर्ष के ग्राहक अब जनवरी से दिसम्बर तक के लिये ही बनाये जायेंगे। इनके बीच के महीनों में चन्दा प्राप्त होने पर ग्राहकों का नाम उसी वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक के लिये तथा जैसी स्थिति होगी, अंकित किया जायेगा।

ग्राहकों से यह भी निवेदन है कि वे अपने पत्रों का उत्तर शीघ्र पाने के लिये पत्र-व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें अन्यथा उत्तर देने में इस कार्यालय को कठिनाई या विलम्ब हो सकता है।

अतुल कुमार श्रीवास्तव,
निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, विभाग,
उ0प्र0, प्रयागराज।

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-2

पदोन्नति

31 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 1198/छः पु0से0-2-20-522 (102)/2020–भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के निम्नलिखित अधिकारियों को पुलिस उपमहानिरीक्षक के पद पर (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 13-ए, रु0 1,31,100-2,16,600) दिनांक 01 जनवरी, 2021 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0	अधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष
1	श्री अमित पाठक	आईपीएस-आरआर-2007
2	श्री विनोद कुमार सिंह	आईपीएस-आरआर-2007
3	श्री जोगेन्द्र कुमार	आईपीएस-आरआर-2007
4	श्री रवि शंकर छवि	आईपीएस-आरआर-2007
5	सुश्री प्रतिभा अम्बेडकर	आईपीएस-आरआर-2007
6	श्री नितिन तिवारी	आईपीएस-आरआर-2007
7	श्री अशोक कुमार-III	आईपीएस-आरआर-2007
8	श्री अनिल कुमार सिंह	आईपीएस-आरआर-2007

2–उक्त अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 1200/छः पु0से0-2-20-522 (100)/2020–भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के निम्नलिखित अधिकारियों को पुलिस महानिरीक्षक के पद पर (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-14, रु0 1,44,200-2,18,200) दिनांक 01 जनवरी, 2021 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0	अधिकारी का नाम	बैच
1	श्री मोदक राजेश डी0 राव	आईपीएस-आरआर-2003
2	श्री विनय कुमार यादव	आईपीएस-एसपीएस-2003
3	श्री हीरा लाल	आईपीएस-एसपीएस-2003
4	श्री शिव शंकर सिंह	आईपीएस-एसपीएस-2003
5	डा0 राकेश सिंह	आईपीएस-एसपीएस-2003
6	श्री राजेश कुमार पाण्डेय	आईपीएस-एसपीएस-2003

2–उक्त अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 1199/छः पु0से0-2-20-522 (101)/2020—भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा का सेलेक्शन ग्रेड (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-13, रु0 1,23,100-2,15,900) अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0	अधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष	सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य किये जाने की तिथि
1	2	3	4
1	श्री सुरेशराव आनन्द कुलकर्णी	आईपीएस-आरआर-2008	01-01-2021
2	श्री अमित वर्मा	आईपीएस-आरआर-2008	01-01-2021
3	श्रीमती भारती सिंह	आईपीएस-एसपीएस-2008	01-01-2021
4	श्री विपिन कुमार मिश्रा	आईपीएस-एसपीएस-2008	01-01-2021
5	श्री माधव प्रसाद वर्मा	आईपीएस-एसपीएस-2008	01-01-2021
6	श्री सभा राज	आईपीएस-एसपीएस-2008	01-01-2021
7	श्री स्वामी प्रसाद	आईपीएस-एसपीएस-2008	01-01-2021
8	श्री सौमित्र यादव	आईपीएस-एसपीएस-2008	01-01-2021
9	श्री रमेश	आईपीएस-एसपीएस-2008	01-01-2021

01 जनवरी, 2021 ई0

सं0 1202/छः पु0से0-2-20-522 (99)/2020—भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित तिथि या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-15, रु0 1,82,200-2,24,100) पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0	अधिकारी का नाम	बैच	पदोन्नति की तिथि
1	2	3	4
1	श्री ए0 सतीश गणेश	आईपीएस-आरआर-1996	01-01-2021
2	श्री ज्योति नारायण	आईपीएस-आरआर-1996	01-01-2021
3	श्री नवनीत सिकेरा	आईपीएस-आरआर-1996	01-01-2021
4	श्री विजय प्रकाश	आईपीएस-आरआर-1996	01-01-2021
5	श्री विजय सिंह मीना	आईपीएस-आरआर-1996	01-01-2021 (30-06-2021 तक अस्थायी रूप से)
6	डॉ0 एन0 रविन्दर	आईपीएस-आरआर-1996	01-01-2021 (31-08-2021 तक अस्थायी रूप से)
7	श्री अमिताभ यश	आईपीएस-आरआर-1996	01-01-2021 (30-09-2021 तक अस्थायी रूप से)

2—उपर्युक्त अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-1

अधिसूचना

16 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 208/2020/1622सा0/23-1-20-132सा0/20—जनपद-बुलन्दशहर के कचहरी-चांदपुर मार्ग (शहरी मार्ग, लम्बाई-2.23 कि0मी0) का नाम ''स्व0 वीरेन्द्र सिंह सिरोही'' के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 476/02 आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/20, दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-बुलन्दशहर के कचहरी-चांदपुर मार्ग (शहरी मार्ग, लम्बाई-2.23 कि0मी0) का नाम ''वीरेन्द्र सिंह सिरोही मार्ग'' किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 209/2020/1801सा0/23-1-20-144सा0/20—जनपद-मुजफ्फरनगर में पानीपत खटीमा मार्ग (राज्य मार्ग संख्या 12) के कि0मी0-73 में नवनिर्मित सेतु (पर्दाफाश पुल) का नाम ''शहीद प्रशान्त शर्मा'' के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 518/02 आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/20, दिनांक 09 नवम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-मुजफ्फरनगर में पानीपत खटीमा मार्ग (राज्य मार्ग संख्या 12) के कि0मी0-73 में नवनिर्मित सेतु (पर्दाफाश पुल) का नामकरण ''शहीद प्रशान्त शर्मा सेतु'' किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सं0 212/2020/1971सा0/23-1-20-150सा0/20—जनपद-मीरजापुर के जिगना से गौरा मार्ग (अन्य जिला मार्ग/ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-8.240 कि0मी0) का नाम ''शहीद रवि कुमार सिंह'' के नाम से किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या 557/02 आई0डी0एस0 प्रकोष्ठ/20, दिनांक 03 दिसम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, एतद्द्वारा जनपद-मीरजापुर के जिगना से गौरा मार्ग (अन्य जिला मार्ग/ग्रामीण मार्ग, लम्बाई-8.240 कि0मी0) का नाम ''शहीद रवि कुमार सिंह मार्ग'' किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

अनुभाग-3

पदोन्नति

18 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 63/2020/1914/23-3-2020-19 ईएस/2020—उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री संजय को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (सिविल) के पद पर वेतन वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 10,000 (मैट्रिक्स लेवल-14) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—उक्त पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 17734 (एसएस)/2019, संजय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

3—श्री संजय, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगे।

सं0 64/2020/1915/23-3-2020-19 ईएस/2020—उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री हिमांशु मित्तल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (सिविल) के पद पर वेतन वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 10,000 (मैट्रिक्स लेवल-14) में नियमित पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री हिमांशु मित्तल, प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा अग्रिम आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य करते रहेंगे।

आज्ञा से,
समीर वर्मा,
सचिव।

अनुभाग-8

स्थानान्तरण/तैनाती

21 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 2220/23-8-2020-59(पी0डब्ल्यू0) अधि0/2020—तात्कालिक प्रभाव से श्री अशोक कुमार पुत्र श्री महीलाल प्रेमी, अधिशासी अभियन्ता (सिविल), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देवरिया को स्थानान्तरित करते हुये रोड सेफ्टी खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ में एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2—श्री अशोक कुमार, अधिशासी अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

सं0 2221/23-8-2020-59(पी0डब्ल्यू0) अधि0/2020—तात्कालिक प्रभाव से श्री वेद नारायण, अधिशासी अभियन्ता (सिविल), निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कौशाम्बी को स्थानान्तरित करते हुये कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ से एतद्द्वारा सम्बद्ध किया जाता है।

2—श्री वेद नारायण, अधिशासी अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

आज्ञा से,
राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव।

तैनाती

21 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 2095/23-8-2020-52(पी0डब्ल्यू0) अधि0/20—तात्कालिक प्रभाव से श्री प्रवीण कुमार, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2 (इण्डो नेपाल बार्डर), लोक निर्माण विभाग, पीलीभीत को स्थानान्तरित करते हुये अधिशासी अभियन्ता, भवन सेल, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2—श्री प्रवीण कुमार बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये तत्काल तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध करायेंगे।

आज्ञा से,
जे0 बी0 सिंह,
विशेष सचिव।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अनुभाग-13

सेवानिवृत्ति

24 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 1103/सत्ताईस-13-2020-41 से0नि0/91—स्टाफ अधिकारी (ई-2) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 2505/ई-2/3बी-40आर/सेवानिवृत्तिक, दिनांक 01 दिसम्बर, 2020 एवं पत्र संख्या 2561/ई-2/3बी-40आर/सेवानिवृत्तिक, दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार एतद्द्वारा यह विज्ञापित किया जाता है कि उ0प्र0 अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) के निम्नलिखित सहायक अभियन्ता (सिविल), कैलेण्डर वर्ष 2021 में उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या-4 में अंकित तिथि को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे :

क्र0	सहायक अभियन्ता (सिविल) का नाम	जन्म-तिथि	सेवानिवृत्त तिथि
1	2	3	4
	सर्वश्री/श्रीमती—		
1	निहाल सिंह	05-02-1961	28-02-2021
2	गिरजा शंकर द्विवेदी	07-04-1961	30-04-2021
3	सुनील कुमार शाही	29-05-1961	31-05-2021
4	मुरली मनोहर श्रीवास्तव	01-06-1961	31-05-2021
5	विनोद कुमार गुप्ता	30-06-1961	30-06-2021
6	हबीब अहमद	01-10-1961	30-09-2021

आज्ञा से,
टी0 वेंकटेश,
प्रमुख सचिव।

आयुष विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति/तैनाती

16 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 2550 (110)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-110 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000233044) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री अनामिका राय पुत्री श्री वीरमणि राय, निवासी-एन 11/60 सी, कृष्ण नगर कालोनी, रानीपुर, महमूरगंज, जिला-वाराणसी, उ0प्र0-221010 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पेसारा, जौनपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, जौनपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (114)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-114 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000129671) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री शान्तनु तिवारी पुत्र श्री लक्ष्मी कान्त तिवारी, निवासी-B-31/43-AR, भोगावीर, संकटमोचन, जिला-वाराणसी, उ0प्र0-221005 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, शेरवॉ, मिर्जापुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मिर्जापुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना

देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (118)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-118 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000107846) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री खुशबू सिंह पुत्री श्री जीत कुमार सिंह, निवासी-545 क/145, लक्ष्मण विहार, पारा रोड, राजाजीपुरम, लखनऊ को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, परसदेपुर, रायबरेली में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, रायबरेली के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (119)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-119 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000184571) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्रीमती नूपुर सोलंकी पत्नी डा0 रवि सिंह, निवासी-485, राजरूपपुर, 30 फीट रोड, जिला-प्रयागराज, उ0प्र0-211011 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, ड्रमण्डगंज, मिर्जापुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मिर्जापुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (122)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-122 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000239871) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्रीमती साधना सिंह पत्नी श्री बृजेश सिंह, निवासी-7, हरपालगंज, पोस्ट-सिगरामऊ, जिला-जौनपुर, उ0प्र0-222175 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उकदन्तविरोहिया, मिर्जापुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मिर्जापुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (124)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-124 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000318938) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री विवेक कुमार द्विवेदी पुत्र श्री सन्तोष कुमार द्विवेदी,

निवासी-N-4/15, R-4, महामना नगर कालोनी, करौंदी, बी0एच0यू0, वाराणसी, उ0प्र0-221005 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बक्शा, जौनपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, जौनपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (125)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त

संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-125 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000310033) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री दीपिका गुप्ता पुत्री श्री राज कुमार गुप्ता, निवासी-C-8/74, चेतगंज, जिला-वाराणसी, उ0प्र0-211001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कुडजा, सिद्धार्थनगर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सिद्धार्थनगर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या

11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (126)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-126 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000256656) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री नीलम साहू पुत्री श्री राजकुमार साहू, निवासी-ग्राम/थाना/पोस्ट-गौरा बादशाहपुर, जिला-जौनपुर, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, राघोपुर, हरदोई में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, हरदोई के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (128)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-128 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000209986) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री अनुज कुमार पुत्र श्री राम प्रताप वर्मा, निवासी-ग्राम-छतौनी, पोस्ट-कोठी, तहसील-हैदरगढ़, जिला-बाराबंकी, उ0प्र0-225119 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, निहस्थ, रायबरेली में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, रायबरेली के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (136)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-136 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000111955) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री प्रियंका गुप्ता पुत्री श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता, निवासी-453, सराय मिश्र जी0टी0 रोड, जिला-एटा, उ0प्र0-207001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सिढ़पुरा, कासगंज में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, एटा के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (138)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-138 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000190563) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री धर्मपाल भट्ट पुत्र श्री जनार्दन भट्ट, निवासी-ग्राम-रहसू, पोस्ट-सिधुऑ वागर, जिला-कुशीनगर, उ0प्र0-274304 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, विशुनपुरा, गोरखपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गोरखपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (139)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-139 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000214899) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री मीनाक्षी त्रिपाठी पुत्री श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, निवासी-3/30, पी एण्ड टी कालोनी, ग्वालियर रोड, जिला-झांसी, उ0प्र0-284003 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, टिमरो, जालौन में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, जालौन के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (143)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-143 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000204608) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री कन्हैया अग्रवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल, निवासी-बी-603, राज टावर, बेनीपुर, पोखरा अकथा, पहरिया, जिला-वाराणसी, उ0प्र0-221007 को उत्तर प्रदेश राज्य

चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पथरौर, मिर्जापुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मिर्जापुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (147)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त

संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-147 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000008156) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री नवनीत कुमार त्यागी पुत्र श्री सत्यपाल सिंह त्यागी, निवासी-ग्राम व पोस्ट-गादला, थाना-भोपा, जिला-मुजफ्फरनगर, उ0प्र0-251310 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, रौण्डा, बुलन्दशहर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बुलन्दशहर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (148)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-148 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000178118) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री नित्या नन्द यादव पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, निवासी-ग्राम-बारीगॉव नेवादा, पोस्ट-नेवादा, तहसील-मड़ियाहूँ, जिला-जौनपुर, उ0प्र0-222161 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सुरियावॉ, संतरविदास नगर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, वाराणसी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (151)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-151 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000008554) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री दिलिप कुमार सिंह पुत्र श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह, निवासी-C-33/265-4A, चन्दुआ, छित्तुपुर, जिला-वाराणसी, उ0प्र0-221002 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सुहवल, गाजीपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गाजीपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (154)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-154 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000088684) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री राजेश कुमार यादव पुत्र श्री राम दुलारे, निवासी-ग्राम-बहादुरपुर, पोस्ट-कुष्ठ सेवा आश्रम, पड़ाव, जिला-चन्दौली, उ0प्र0-232101 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पिपरी, सोनभद्र में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सोनभद्र के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (156)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-156 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-5300206642) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री शालिनी कुमारी पुत्री श्री हनुमान विश्वकर्मा, निवासी-म0नं0-255, मु0-नवकापुरा (लंका), जिला-गाजीपुर, उ0प्र0-233001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जरहां, सोनभद्र में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सोनभद्र के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (157)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-157 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000279629) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री शशी वर्मा पुत्री श्री राम नरायन, निवासी-84, अमीरगंज, महमूदाबाद, जिला-सीतापुर, उ0प्र0-261203 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सिकरीगंज, गोरखपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गोरखपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (159)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-159 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000218549) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री दीप्ति सिंह पुत्री श्री राम कुमार सिंह, निवासी-N-

8/236-R-15-G-3-S, गणेशधाम कालोनी, नेवादा, सुन्दरपुर, जिला-वाराणसी, उ0प्र0-221005 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, शाहगंज, जौनपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, जौनपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (160)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-160 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000213208) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री योगेन्द्र सिंह, निवासी-506ए, सिद्धि विनायक अपार्टमेण्ट, भरलाई, शिवपुर, वाराणसी, उ0प्र0-221003 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बिठौरा, गाजीपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गाजीपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का

उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (165)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-165 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000194781) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री कीर्ति सिंह पुत्री श्री कुँवर बहादुर सिंह, निवासी-48, न्यू कालोनी, तिलमापुर/आशापुर, जिला-वाराणसी, उ0प्र0-221007 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, भीमहर, मऊ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मऊ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (168)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-168 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000044954) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्रीमती लवी अग्रवाल पत्नी श्री निकेत राज गर्ग, निवासी-19, जीवन कला भवन, भगवानपुर, जिला-वाराणसी, उ0प्र0-221005 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, फतेहपुर अटवां, गाजीपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गाजीपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा

सं0 2550 (171)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-171 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000378611) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री शक्ति भूषण पुत्र श्री श्याम किशोर सिंह, निवासी-डिपार्टमेण्ट आफ रस शास्त्र, फैकल्टी आफ आयुर्वेद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसेंस, बी0एच0यू0, जिला-वाराणसी, उ0प्र0-221005 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मुहम्मदाबाद, गाजीपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गाजीपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (172)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-172 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000093127) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री वन्दना तिवारी पुत्री श्री मणिशंकर तिवारी, निवासी-158, ग्राम-जिगनहरा, पोस्ट-रतसर, थाना-गड़वार, जिला-बलिया, उ0प्र0-277123 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कोहणार, प्रयागराज में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, प्रयागराज के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (173)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-173 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000259139) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री रेनू पटेल पुत्री श्री रमापति पटेल, निवासी-ग्राम व पोस्ट-हरसोस, पोस्ट-जन्सा, जिला-वाराणसी, उ0प्र0-221302 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)

सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, रेवतीपुर, गाजीपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गाजीपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (178)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-178 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000262356) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री अनिल कुमार पुत्र श्री कामता प्रसाद, निवासी-ग्राम-बम्बिया, पोस्ट-इटवॉ डुडैंला, तहसील-मानिकपुर, थाना-मारकुण्डी, जिला-चित्रकूट, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, खप्टिहांकलां, बांदा में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बांदा के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का

उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (180)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-180 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000288424) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री नन्दिनी सिंह पुत्री श्री पूरन सिंह, निवासी-660, शान्ति नगर, सिविल लाइन्स-II, जिला-बिजनौर, उ0प्र0-246701 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कुदैना, बुलन्दशहर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बुलन्दशहर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की

सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (183)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-183 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000064319) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री शिप्रा सिंह पुत्री श्री उदय राज सिंह, निवासी-सी-232, एमएमआईजी आशियाना फेज-1, जिला-मुरादाबाद, उ0प्र0-244001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बघरा, मुजफ्फरनगर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मुजफ्फरनगर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (186)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-186 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000179843) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री पशुपति कुमार केशरी पुत्र श्री भरत प्रसाद केशरी, निवासी-ग्राम व पोस्ट-रानीगंज, जिला-बलिया, उ0प्र0-277208 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, देवलास, मऊ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मऊ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (192)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-192 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000138323) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री नीरज कुमार पुत्र श्री मुनीराम, निवासी-186/1, इन्दिरा कालोनी, सरवर रोड, जिला-मुजफ्फरनगर, उ0प्र0-251001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, रसूलपुर गुजरान, शामली में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मुजफ्फरनगर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (199)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर,

2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-199 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000207395) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्रीमती श्वेता ज्ञानेन्द्र शुक्ला पत्नी श्री ज्ञानेन्द्र दत्त शुक्ला, निवासी-162/29, सुनारो वाली गली, अस्तबल चारबाग, मौलवीगंज, लखनऊ को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, हरेवली, बिजनौर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बिजनौर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (215)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-215 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000323684) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री हिना खातून पुत्री श्री अब्बास अली खान, निवासी-सी0के0 45/8ए, सराय हड़हा, थाना-चौक, जिला-वाराणसी, उ0प्र0-221001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बरावनानकार, सिद्धार्थनगर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सिद्धार्थनगर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (220)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-220 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000052157) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्रीमती दुर्गेश नन्दिनी पत्नी श्री सुजीत कुमार, निवासी-ब्लाक एन-23, EWS कालोनी, लच्छीपुरा, घौसाबाद, जिला-वाराणसी, उ0प्र0-221002 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मेहड़ौर, गाजीपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गाजीपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (223)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-223 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000180308) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री अर्चना यादव पुत्री श्री सुबेदार सिंह यादव, निवासी-सी-96-ई, मयूर विहार कालोनी, फरीदीनगर, पोस्ट-सीमैप, इन्दिरानगर, लखनऊ-226015 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, ओझागंज, बस्ती में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बस्ती के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना

देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (224)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-224 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000318804) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री सभ्यता सिंह पुत्री श्री अतुल कुमार सिंह, निवासी-एन-4/15, आर-4, महामना नगर कालोनी, करौंदी, बी0एच0यू0, वाराणसी, उ0प्र0-221005 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लेधुवा, जौनपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, जौनपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (225)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-225 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000235273) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री श्वेता पुत्री श्री सुनील कुमार, निवासी-खिरोधर का पोखरा, कोटवारी मोड़, रसड़ा, बलिया, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की

राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, भुन्ना, कन्नौज में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, फर्रूखाबाद के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (228)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-228 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000114411) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री विमल कुमार पुत्र श्री लखपत सिंह, निवासी-ग्राम-रफातपुर थाने के सामने, पोस्ट-धनौरा, जिला-अमरोहा, उ0प्र0-244231 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, फतेहपुर आकू, बिजनौर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बिजनौर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (236)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-236 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000209001) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री मेघा गुप्ता पुत्री श्री राजीव गुप्ता, निवासी-935, मेघा गारमेन्ट्स, नगरपालिका के सामने, शमसाबाद, आगरा, उ0प्र0-283125 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बसई मोहम्मदपुरी, फिरोजाबाद में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, फिरोजाबाद के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की

सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (239)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-239 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000006112) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री सचिन अग्रवाल पुत्र श्री राजा राम चौधरी, निवासी-455-जे, शक्तिपुरम कालोनी, बिलन्दपुर खन्ता, पोस्ट-गोरखनाथ, जिला-गोरखपुर, उ0प्र0-273015 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सोहॅग, कुशीनगर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, कुशीनगर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (242)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-242 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000170903) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री कुमुद गुप्ता पुत्री श्री गौरी शंकर गुप्ता, निवासी-बी38/47ख, गोकुलनगर, महमूरगंज, जिला-वाराणसी, उ0प्र0-221010 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, ताखा, बलिया में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बलिया के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (247)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-247 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000289399) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री अर्पण दवे पुत्री श्री शशिकांत दवे, निवासी-''सिद्धि सदन'', ग्राम-गोरइयॉ, पोस्ट-रामनगर, जिला-चन्दौली, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, अजरौली, अयोध्या में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, अयोध्या के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (251)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-251 पर अंकित

(रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000194091) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री अमित कुमार सिंह पुत्र श्री रामजी सिंह, निवासी-एस-2/509-ए, सिकरौल, कैण्ट, जिला-वाराणसी, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बिसानी, आजमगढ़ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, आजमगढ़ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (253)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-253 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000272715) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री विनीता पुत्री श्री कमलेश तिवारी, निवासी-ग्राम-फिरोजपुर, पोस्ट-कोटवारी, रसड़ा, जिला-बलिया, उ0प्र0-221712 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, रेण्डा, आजमगढ़ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, आजमगढ़ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (258)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-258 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000383561) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री रश्मि सैनी पुत्री श्री लेखराज सिंह, निवासी-62, लोहिया, नगीना रोड, निकट कालिया वाला मन्दिर, धामपुर, जिला-बिजनौर, उ0प्र0-246761 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, नठौडी, सहारनपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सहारनपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (261)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-261 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000280802) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री गरिमा यादव पुत्री श्री मुन्ना लाल यादव, निवासी-जे 6/70, जैतपुरा, बागेश्वरी देवी, जिला-वाराणसी, उ0प्र0-221001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय

आयुर्वेदिक चिकित्सालय, दीदारगंज, आजमगढ़ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, आजमगढ़ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (266)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-266 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000372999) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री अखिलेश कुमार वर्मा पुत्र श्री अजीत कुमार वर्मा, निवासी-ग्राम-बन्देपुर (खुशियारी), पोस्ट-बच्छावॅ, जिला-वाराणसी, उ0प्र0-221011 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, भीमवर, आजमगढ़ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, आजमगढ़ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (268)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-268 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000069704) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री बिहारी राय पुत्र श्री लल्लन राय, निवासी-ग्राम व पोस्ट-बधौना कला, थाना-नरही, जिला-बलिया, उ0प्र0-277501 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सईतियापुर, हरदोई में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, हरदोई के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (270)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-270 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000072188) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री जय प्रकाश पुत्र श्री सुधि राज, निवासी-ग्राम-मेघपुर, पोस्ट-पुरेवॅ, थाना-जलालपुर, जिला-जौनपुर, उ0प्र0-222136 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय

आयुर्वेदिक चिकित्सालय, अमनाईकपुर, सुल्तानपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सुल्तानपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या

2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (271)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-271 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000134275) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री संजीव कुमार पुत्र श्री बेगराज सिंह, निवासी-ग्राम व पोस्ट-महावतपुर बिल्लौच, नजीबाबाद, जिला-बिजनौर, उ0प्र0-246763 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बल्ली, बरेली में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बरेली के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (289)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-289 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000253358) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री अनिल कुमार पुत्र श्री हरीश चन्द्र, निवासी-बी-31/42, भोगावीर कालोनी, संकट मोचन, लंका, जिला-वाराणसी, उ0प्र0-221005 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, तियरा चन्दापुर, जौनपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, जौनपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (290)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-290 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000044839) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री अरूण कुमार गुप्ता पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, निवासी-64, अजीत नगर, जिला-प्रतापगढ़, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, इसौली, सुल्तानपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सुल्तानपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (295)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-295 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000148092) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्रीमती स्मृति श्रीवास्तवा पत्नी श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव, निवासी-विमला सदन, निकट कुष्ठ सेवा केन्द्र, बहराइच रोड, गोण्डा, उ0प्र0-271003 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सदाशिव, गोण्डा में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गोण्डा के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (298)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-298 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000130826) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री शुभ्रांशु श्रीवास्तव पुत्र श्री कृष्ण कुमार लाल, निवासी-बी-75, अशोक नगर कालोनी, सारंग, तपोवन आश्रम, पंचकोशी रोड, पाण्डेयपुर, वाराणसी, उ0प्र0-221007 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन

मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, अशरफपुर बरवां, अम्बेडकर नगर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, अम्बेडकर नगर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

आज्ञा से,
शैलेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–41 हिन्दी गजट–भाग 1–2021 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 9 जनवरी, 2021 ई० (पौष 19, 1942 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-6

अधिसूचना

16 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 456/11-6-2020-एम(36)/2017–उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 1956) की धारा 13 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ रूल्स, 1951 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ (सत्ताइसवां संशोधन) नियमावली, 2020

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ (सत्ताइसवां संशोधन) नियमावली, 2020 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

4–नियम 4 का संशोधन–उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ नियमावली, 1951 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्–

स्तम्भ 1 विद्यमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4–लाइसेंस के लिए आवेदन– चलचित्र प्रदर्शन अथवा डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के माध्यम से प्रदर्शनों के लिये नया लाइसेंस प्रदान किये जाने हेतु आवेदन, परिशिष्ट तीन में उल्लिखित प्रपत्र में लाइसेंस प्राधिकारी को किया जायेगा और उसमें परिसर और चलचित्र मशीन/डिजिटल प्रोजेक्शन मशीन के	**4–लाइसेंस के लिए आवेदन–** चलचित्र प्रदर्शन अथवा डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के माध्यम से प्रदर्शनों के लिये नया लाइसेंस प्रदान किये जाने हेतु आवेदन, परिशिष्ट तीन में उल्लिखित प्रपत्र में विभागीय वेब पोर्टल पर ही लाइसेंस प्राधिकारी को किया जायेगा और उसमें परिसर और चलचित्र

स्तम्भ 1 विद्यमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
स्वामित्व की पूर्ण विशिष्टियां सम्मिलित होंगी और उनके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे–	मशीन/डिजिटल प्रोजेक्शन मशीन के स्वामित्व की पूर्ण विशिष्टियां सम्मिलित होंगी और उनके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे–
(क) सुसंगत उपबन्धों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित मौलिक स्थल एवं परिसर योजना सहित परिसर तथा चलचित्र प्रोजेक्टर/डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के स्वामित्व और 200 मीटर अर्द्धव्यास के भीतर पार्श्वस्थ परिसर से सम्बन्धित परिसर और सार्वजनिक मार्ग जिससे भवन सटा हो, की अवस्थिति का प्रमाण-पत्र।	(क) सुसंगत उपबन्धों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित मौलिक स्थल एवं परिसर योजना सहित परिसर तथा चलचित्र प्रोजेक्टर/डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के स्वामित्व और 200 मीटर अर्द्धव्यास के भीतर पार्श्वस्थ परिसर से सम्बन्धित परिसर और सार्वजनिक मार्ग, जिससे भवन सटा हो, की अवस्थिति का प्रमाण-पत्र।
(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुसंगत उपबन्धों के अधीन अनुमोदित भवन योजना सहित मूल सन्निर्माण आदेश, जिसमें भवन की ऊँचाईयां तथा खण्ड, प्रस्तावित विद्युत प्रतिष्ठापन, संवातन, स्वच्छता तथा वाहन पार्किंग की व्यवस्था सम्मिलित है।	(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुसंगत उपबन्धों के अधीन अनुमोदित भवन योजना सहित मूल सन्निर्माण आदेश, जिसमें भवन की ऊँचाईयां तथा खण्ड, प्रस्तावित विद्युत प्रतिष्ठापन, संवातन, स्वच्छता तथा वाहन पार्किंग की व्यवस्था सम्मिलित है।
(ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुसंगत उपबन्धों के अधीन अनुमोदित प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग बैठने की व्यवस्था सम्बन्धी योजना।	(ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुसंगत उपबन्धों के अधीन अनुमोदित प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग बैठने की व्यवस्था सम्बन्धी योजना।
(घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी संरचनात्मक सुरक्षा तथा स्थायित्व सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित पूर्णता प्रमाण-पत्र/अधिभोग प्रमाण-पत्र।	(घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी संरचनात्मक सुरक्षा तथा स्थायित्व सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित पूर्णता प्रमाण-पत्र/अधिभोग प्रमाण-पत्र।
(ङ) सम्बन्धित क्षेत्र के विद्युत सुरक्षा विभाग के उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का यह प्रमाण-पत्र कि विद्युत अधिष्ठापन अपेक्षित मानकों और विद्यमान नियमों और उपपिधियों के अनुरूप हैं।	(ङ) सम्बन्धित क्षेत्र के विद्युत सुरक्षा विभाग के उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का यह प्रमाण-पत्र कि विद्युत अधिष्ठापन अपेक्षित मानकों और विद्यमान नियमों और उपपिधियों के अनुरूप हैं।
(च) उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ रूल्स, 1951 के नियम-13 और भवन एवं विकास उपविधियों की अपेक्षाओं के अनुरूप स्वच्छता व्यवस्था का विवरण।	(च) उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ रूल्स, 1951 के नियम-13 और भवन एवं विकास उपविधियों की अपेक्षाओं के अनुरूप स्वच्छता व्यवस्था का विवरण।
(छ) सम्बन्धित क्षेत्र के मुख्य अग्निशमन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी (अग्निशमन) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, जिसकी अधिकारिता हो, का यह प्रमाण-पत्र कि उपलब्ध कराये गये अग्निशमन साधित्रों की व्यवस्थाएं और अग्नि के विरुद्ध अपनायी गयी सावधानियॉ विद्यमान नियमों और उपविधियों के अनुरूप है।	(छ) सम्बन्धित क्षेत्र के मुख्य अग्निशमन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी (अग्निशमन) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, जिसकी अधिकारिता हो, का यह प्रमाण-पत्र कि उपलब्ध कराये गये अग्निशमन साधित्रों की व्यवस्थाएं और अग्नि के विरुद्ध अपनायी गयी सावधानियॉ विद्यमान नियमों और उपविधियों के अनुरूप है।
(छ) (एक) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर लाइसेंस प्राधिकारी राज्य सरकार द्वारा, यथा विहित रीति से आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के दिनांक के पश्चात् 30 दिन के भीतर लाइसेंस स्वीकृत करेगा या लाइसेंस प्रदान करने से अस्वीकृत करेगा और उक्त अवधि की समाप्ति पर लाइसेंस स्वीकृत किया गया समझा जायेगा।	(छ) (एक) यदि आवेदन-पत्र, सभी प्रकार से पूर्ण है और आवेदक पात्र है तो तीस दिन के भीतर वेबपोर्टल के माध्यम से लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगा और उसे ई-मेल के माध्यम से आवेदक को प्रेषित कर दिया जायेगा। आवेदक उक्त लाइसेंस, विभागीय वेब पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकता है।

स्तम्भ 1 विद्यमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(दो) आवेदक, आवश्यक दस्तावेजों और फीस संदाय सहित अपना आवेदन विभागीय वेब पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकता है। यदि आवेदन समस्त प्रकार से पूर्ण है और आवेदक पात्र है, तो लाइसेंस 30 दिन के भीतर वेब पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जायेगा और उसे आवेदक को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कर दिया जायेगा। आवेदक, उक्त लाइसेंस, विभागीय वेब पोर्टल से डाउनलोड भी कर सकता है।	(दो) यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी उपखण्ड-(एक) के अधीन निर्धारित अवधि में लाइसेंस स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने में असफल रहता है, तो उक्त अवधि की समाप्ति पर लाइसेंस स्वीकृत किया गया समझा जायेगा।
परन्तु यदि लाइसेंस तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा या उसे दबाकर या कूट रचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया जाता है तो ऐसा लाइसेंस अकृत और शून्य समझा जायेगा और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा उसे रद्द किया जा सकता है और आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।	परन्तु यदि लाइसेंस तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा या उसे दबाकर या कूट रचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया जाता है तो ऐसा लाइसेंस अकृत और शून्य समझा जायेगा और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा उसे रद्द किया जा सकता है और आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. **456/11-6-2020-M(36)/2017**, dated December 16, 2020.

NOTIFICATION

No. 456/11-6-2020-M(36)/2017

Lucknow, Dated: December 16, 2020

In exercise of the powers under section 13 of the Uttar Pradesh Cinema (Regulation) Act, 1955 (U.P. Act no. 3 of 1956), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no.1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Cinematograph Rules, 1951 :

THE UTTAR PRADESH CINEMATOGRAPH (TWENTY-SEVENTH AMENDMENT) RULES, 2020

1. Short title and commencement–(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Cinematograph (Twenty-Seventh Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. Amendment of rule-4–In the Uttar Pradesh Cinematograph Rules, 1951, for rule 4 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
4. *Application for a licence*-- An application for the grant of a new licence for cinematograph exhibition or exhibitions through digital projection system shall be made in the form mentioned in Appendix III to the Licensing Authority and shall contain full particulars of the ownership of the premises and cinematograph machine/Digital Projection machine and shall be accompanied with the following documents-	4. *Application for a licence*-- An application for the grant of a new licence for cinematograph exhibition or exhibitions through digital projection system shall be made in the form mentioned in Appendix III only on the **departmental webportal** to the Licensing Authority and shall contain full particulars of the ownership of the premises and the cinematograph machine/Digital Projection machine and shall be accompanied with the following documents-

Column I *Existing rule*	**Column II** *Rule as hereby substituted*
(*a*) The proof of ownership of the premises and cinematographic projector/digital projection system with the original plan of site and premises and the position of the premises in relation to adjacent premises and public through fares on which the building abuts, within a radius of 200 meters, approved by the competent authority under the relevant provisions.	(*a*) The proof of ownership of the premises and cinematographic projector/digital projection system with the original plan of site and premises and the position of the premises in relation to adjacent premises and public through fares on which the building abuts, within a radius of 200 meters, approved by the competent authority under the relevant provisions.
(*b*) The original order of construction with building plan, which shall contain the elevations and sections of the buildings, the proposed electrical installations, arrangements for ventilation, sanitation and parking of vehicles approved by the Competent Autority under the relevant provisions.	(*b*) The original order of construction with building plan, which shall contain the elevations and sections of the buildings, the proposed electrical installations, arrangements for ventilation, sanitation and parking of vehicles approved by the Competent Autority under the relevant provisions.
(*c*) Plan of seating arrangements for each class, separately, approved by the competent authority under the relevant provisions.	(*c*) Plan of seating arrangements for each class, separately, approved by the competent authority under the relevant provisions.
(*d*) Completion certificate/occupation certificate issued by the Competent Authority; with no objection certificate regarding structural safety and stability.	(*d*) Completion certificate/occupation certificate issued by the Competent Authority; with no objection certificate regarding structural safety and stability.
(*e*) Certificate from Deputy Director or Assistant Director of Electrical Security Department of concerned area or the person authorized by him that the electrical installations conform to the required standards and the existing rules and bylaws.	(*e*) Certificate from Deputy Director or Assistant Director of Electrical Security Department of concerned area or the person authorized by him that the electrical installations conform to the required standards and the existing rules and bylaws.
(*f*) The details of arrangements for sanitation conforming to the requirements of the rule 13 of the Uttar Pradesh Cinematograph Rules, 1951 and the Building and Development bylaws;	(*f*) The details of arrangements for sanitation conforming to the requirements of the rule 13 of the Uttar Pradesh Cinematograph Rules, 1951 and the Building and Development bylaws;
(*g*) Certificate from Chief Fire Officer/Officer in-charge (Fire) of concerned area or the person authorized by him having jurisdiction that the arrangements for fire-fighting appliances provided and the precautions taken against fire conform to the requirements of the existing rules and bylaws.	(*g*) Certificate from Chief Fire Officer/Officer in-charge (Fire) of concerned area or the person authorized by him having jurisdiction that the arrangements for fire-fighting appliances provided and the precautions taken against fire conform to the requirements of the existing rules and bylaws.
(*h*) (*i*) On submission of application complete in all respect the licensing authority shall grant or refuse to grant license within 30 days after the date of submission of application in such manner as may be prescribed by the State Government, on expiry of said period the license shall be deemed to be granted.	(*h*) (*i*) If the application is complete in all respect and the applicant is eligible, the license shall be granted through the web portal within thirty days and the same shall be sent through email to the applicant. The applicant may also download the said license from the departmental web portal.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(*ii*) The applicant may submit his application on departmental web portal along with necessary documents and payment of fees. If the application is complete in all respect and the applicant is eligible, license shall be granted through the web portal within 30 days and the same shall be sent through email to the applicant. The applicant may also download the said license from the departmental web portal :	(*ii*) If the licensing authority fails to grant or refuses to grant license under sub-clause (i) within the stipulated time then on the expiry of the said period the license shall be deemed to have been granted :
Provided if the license is obtained by misrepresentation of fact or concealment of fact or on the basis of forged document then such license shall be deemed null and void and may be cancelled by the licensing authority and legal action shall be taken against applicant.	Provided if the license is obtained by misrepresentation of fact or concealment of fact or on the basis of forged document then such license shall be deemed null and void and may be cancelled by the licensing authority and legal action shall be taken against applicant.

By order,
ALOK SINHA,
Add. Chief Secretary.

राज्य कर विभाग

अनुभाग-6

अधिसूचना

16 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 457/11-6-2020-एम (33)/2017—उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 1956) की धारा 13 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2020

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2—**नियम-10 का संशोधन—**उत्तर प्रदेश चलचित्र (वीडियो द्वारा प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 1988, जिसके आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम-10 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपनियम (1) और (1-क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(1) वीडियो द्वारा प्रदर्शन करने के लिये लाइसेंस हेतु आवेदन, लाइसेंस प्राधिकारी को यथास्थिति, उपनियम-(2), (3) या (4) में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ प्रपत्र-1 में प्रस्तुत किया जायेगा।	(1) वीडियो द्वारा प्रदर्शन करने के लिये लाइसेंस हेतु आवेदन विभागीय वेब पोर्टल पर, लाइसेंस प्राधिकारी को यथास्थिति, उपनियम-(2), (3) या (4) में उल्लिखित दस्तावेजों और शुल्क संदाय के साथ प्रपत्र-1 में प्रस्तुत किया जायेगा।
(1-क) आवेदक विभागीय वेब पोर्टल पर विहित प्रारूप प्रपत्र-1 में यथास्थिति उपनियम (2), (3) अथवा (4) में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क संदाय के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।	

नियम-12 का संशोधन—उक्त नियमावली में, नियम-12 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा—

स्तम्भ-1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(1) लाइसेंस प्राधिकारी नियम-10 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर और अपना यह समाधान करने के पश्चात् कि सभी अपेक्षायें पूर्ण कर दी गयी हैं, आवेदक को आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर, यथास्थिति प्रपत्र-दो या प्रपत्र-तीन या प्रपत्र-तीन-क में लाइसेंस प्रदान कर सकता है।	(1) यदि आवेदन सभी दृष्टियों से पूर्ण हो और आवेदक पात्र हो तो लाइसेंस वेब पोर्टल के माध्यम से 30 दिन के भीतर स्वीकृत किया जायेगा और उसे आवेदक को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कर दिया जायेगा। आवेदक उक्त लाइसेंस को विभागीय वेब पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकता है। यदि लाइसेंस प्राधिकारी, 30 दिन के भीतर कोई विनिश्चय करने में विफल रहता है/तो लाइसेंस स्वीकृत किया गया समझा जायेगा।
(1-क) (i) सभी दृष्टियों से आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर लाइसेंस प्राधिकारी, आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् 30 दिन के भीतर राज्य सरकार द्वारा यथाविहित रीति से लाइसेंस प्रदान करेगा या लाइसेंस प्रदान करने से अस्वीकार करेगा, उक्त अवधि की समाप्ति पर लाइसेंस स्वीकृत समझा जायेगा।	परन्तु यदि लाइसेंस तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा या उसे दबाकर या कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया जाता है तो ऐसा लाइसेंस अकृत और शून्य माना जायेगा और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा उसे रद्द किया जा सकता है और आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।
(ii) आवेदक आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क संदाय सहित अपना आवेदन-पत्र विभागीय वेब पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकता है। यदि आवेदन सभी दृष्टि से पूर्ण है और आवेदक पात्र है, तो लाइसेंस उसे 30 दिन के भीतर वेब पोर्टल पर प्रदान किया जायेगा और उसे आवेदक को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कर दिया जायेगा। आवेदक उक्त लाइसेंस विभागीय वेब पोर्टल से डाउन लोड भी कर सकता है।	
परन्तु यदि लाइसेंस तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा या उसे दबाकर या कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया जाता है तो ऐसा लाइसेंस अकृत और शून्य माना जायेगा और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा उसे रद्द किया जा सकता है और आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।	

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 457/11-6-2020-M(33)/2017,** dated December 16, 2020 :

NOTIFICATION

No. 457/11-6-2020-M(33)/2017

Lucknow, dated: December 16, 2020

In exercise of the powers under section 13 of the Uttar Pradesh Cinema (Regulation) Act, 1955 (U.P. Act no. 3 of 1956) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no.1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation of Exhibition by means of Video) Rules, 1988 :

THE UTTAR PRADESH CINEMAS (REGULATION OF EXHIBITION BY MEANS OF VIDEO) (SIXTH AMENDMENT) RULES, 2020.

1. Short title and commencement–(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation of Exhibition by means of Video) (Sixth Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. Amendment of rule-10–In the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation of Exhibition by means of Video) Rules, 1988, hereinafter referred to as the said rules, in rule 10, for sub-rules (1) and (1-a) set out in Column I below, the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

Column I	**Column II**
Existing sub-rule	*Sub-rule as hereby substituted*
(1) The application for license for giving exhibition by means of video shall be submitted in Form no. 1 to the Licensing Authority along with the documents mentioned in sub-rule (2) (3) or (4) as the case may be.	(1) The application for license for giving exhibition by means of video shall be submitted in Form no. 1 to the Licensing Authority **on the departmental webportal** along with the documents mentioned in sub-rule (2), (3) or (4) as the case may be and payment of fees.
(1-a) The applicant may submit his application on departmental web portal in prescribed format form I along with the necessary documents mentioned in sub-rule (2), (3) or (4) as the case may be and payment of fee.	

6. Amendment of rule-12–In the said rules, in rule 12 for the existing sub-rule (1) set out in Column I below, the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

Column I	**Column II**
Existing sub-rule	*Sub-rule as hereby substituted*
(1) The Licensing Authority may, on receipt of an application under Rule 10 and after having satisfied that all the requirements have been fulfilled grant licence to the applicant, within 30 days, from the date of the receipt of the application in Form II or Form III or Form III-A as the case may be,"	(1) If the application is complete in all respect and the applicant is eligible, license shall be granted through the web portal within 30 days and the same shall be sent through e-mail to the applicant. The applicant may also download the said license from the departmental web portal. If the licensing authority fails to take any decision within thirty days, then the license shall be deemed to be granted :

Column I *Existing sub-rule*	**Column II** *Sub-rule as hereby substituted*
(1-A) *(a)* On submission of application in all respect the licensing authority shall grant or refuse to grant license within 30 days after the date of submission of application in such manner as may be prescribed by the State Government, on expiry of the said period the license shall be deemed to be granted.	
(b) The applicant may submit his application on departmental web portal along with necessary documents and payment of fees. If the application is complete in all respect and the applicant is eligible, license shall be granted through the web portal within 30 days and the same shall be sent through e-mail to the applicant. The applicant may also download the said license from the departmental web portal:	
Provided that if the license is obtained by misrepresentation of fact or concealment of fact or on the basis of forged document then such license shall be deemed null and void and may be cancelled by the licensing authority and legal action shall be taken against the applicant.	Provided that if the license is obtained by misrepresentation or concealment of fact or on the basis of forged document then such license shall be deemed null and void and may be cancelled by the licensing authority and legal action shall be taken against the applicant.

By order,
ALOK SINHA,
Add. Chief Secretary.

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश

कार्यालय-आदेश

05 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 6067/लो0आ0-2017-17/2017—एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 14 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये माननीय लोक आयुक्त महोदय द्वारा श्री राजेश कुमार, अनु सचिव, लोक आयुक्त प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप सचिव, लोक आयुक्त प्रशासन, उत्तर प्रदेश के पद वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 7,600 पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12, 78,800-2,09,200 में प्रोन्नत किया गया है।

12 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 8032/लो0आ0-2017-107-17/2017—एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 14 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये माननीय लोक आयुक्त महोदय द्वारा सुश्री रीना रावत, निजी सचिव, लोक आयुक्त प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अनु सचिव, लोक आयुक्त प्रशासन, उत्तर प्रदेश के रिक्त पद वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 6,600 पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11, 67,700-2,08,700 में प्रोन्नत किया गया है।

अनिल कुमार सिंह,
सचिव।

कार्यालय, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

12 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 स्था-2-नियुक्ति-2017 बैच वाणिज्य कर अधिकारी/2020-21/3550/वाणिज्य कर–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2017 के परिणाम के आधार पर संस्तुत अभ्यर्थी श्री बाबू लाल पुत्र श्री राम दास, ग्राम-घघिया, पोस्ट-कोन, जनपद-सोनभद्र, उ0प्र0-231226 (अनुक्रमांक-048834) को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वेतनमान PB-2 रु0 9,300-34,800 + ग्रेड पे रु0 4,800 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है–

1–श्री बाबू लाल नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे। यह अवधि यथा नियम बढ़ाई भी जा सकती है। इस अवधि में उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कारण बताये, एक माह की अवधि का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

2–श्री बाबू लाल का स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथा समय किया जायेगा एवं वाणिज्य कर अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची के आधार पर बाद में निर्धारित की जायेगी।

3–श्री बाबू लाल की सेवायें समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 1983 के प्राविधानों से शासित होगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य समस्त सेवा शर्तें भी उन पर यथावत् लागू होगी।

4–श्री बाबू लाल को तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

5–श्री बाबू लाल को एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर प्रयागराज जोन, प्रयागराज के कार्यालय से आधारभूत/व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तैनात/सम्बद्ध किया जाता है।

श्री बाबू लाल को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के प्राप्त होने के एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में अपनी योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वे उपस्थित नही होते हैं, तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नही हैं और तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अमृता सोनी,
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

अलीगढ़ के जिलाधिकारी की आज्ञायें

02 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 1229 (iv)/डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-. 2(जी)-1979-रा-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल के ग्राम केशोंपुर जोफरी में थाना रोरावर के

आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु गृह विभाग (उ0प्र0), के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। यह भूमि गृह विभाग (उ0प्र0), के निवर्तन पर रहेगी। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	अलीगढ़	कोल	कोल	केशोंपुर जोफरी	87/2	0.335	6-4 अन्य कारणों से अकृषिक भूमि	थाना रोरावर के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु। गृह विभाग (उ0प्र0) के निवर्तन पर।

09 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 1253(i)में(viii)/डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-.2(जी)-1979-रा-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील खैर के ग्राम नायल में नगरपालिका परिषद्, खैर के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु शासनादेश संख्या 4154/नौ-5-19-56सा/2018, नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ, दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 में दी गयी व्यवस्थानुसार नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	अलीगढ़	खैर	खैर	नायल	140	0.806	6-4 अन्य कारणों से अकृषिक ऊसर	नगरपालिका परिषद्, खैर के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु। नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।

सं0 1254(iv)/डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-.2(जी)-1979-रा-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी,

अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील खैर के ग्राम जरतौली में नगर पंचायत, जट्टारी के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु शासनादेश संख्या 4154/नौ-5-19-56सा/2018, नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ, दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 में दी गयी व्यवस्थानुसार नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अलीगढ़	खैर	टप्पल	जरतौली	14	हेक्टेयर 0.261	5-1 कृषि योग्य बंजर	नगर पंचायत, जट्टारी के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु। नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।

11 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 1263(v)/डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-.2(जी)-1979-रा-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल के ग्राम रामपुर में फूड क्राफ्ट संस्थान, अलीगढ़ के भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 250/2020/2899/41-2020-12(सा0)/2020, पर्यटन अनुभाग, लखनऊ, दिनांक 03 नवम्बर, 2020 में दी गयी व्यवस्थानुसार पर्यटन विभाग, उ0प्र0 के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। यह भूमि पर्यटन विभाग, उ0प्र0 के निवर्तन पर रहेगी। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अलीगढ़	कोल	मोरथल	रामपुर	452	हेक्टेयर 2.900	5-3 अन्य बंजर	फूड क्राफ्ट संस्थान, अलीगढ़ के भवन निर्माण हेतु। पर्यटन विभाग, उ0प्र0 के निवर्तन पर।

17 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 1277 (iv)/डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-. 2(जी)-1979-रा-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल के ग्राम लोधा में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना/निर्माण हेतु उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	अलीगढ़	कोल	कोल	लोधा	131-मि0	1.151	5-3 ड बंजर एवं 6–4 ऊसर	राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना/निर्माण हेतु। उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।
					01-मि0	0.023		
					2-मि0	0.507		
					4-मि0	0.115		
					13-मि0	0.461		
					14-मि0	0.046		
					22	0.012		
					182	0.212		
					133-मि0	0.282		
					योग . .	**2.509**		

21 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 1230 (iv)/डी0एल0आर0सी0–उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 68/3-. 2(जी)-1979-रा-1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द्र भूषण सिंह, जिलाधिकारी, अलीगढ़ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उक्त शासनादेश दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेकर उसे जनपद अलीगढ़ की तहसील इगलास में थाना गोरई की स्थापना/निर्माण हेतु गृह (पुलिस)

विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	अलीगढ़	इगलास	गोरई	श्यामगढ़ी	973	0.300	5-3 बंजर	थाना गोरई की स्थापना/निर्माण हेतु। गृह (पुलिस) विभाग, उ0प्र0 शासन के निवर्तन पर।

चन्द्र भूषण सिंह,
जिलाधिकारी, अलीगढ़।

महोबा के जिलाधिकारी की आज्ञायें

02 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 638/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम कुलपहाड़ ग्रामीण, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के जोत चकबन्दी आकार पत्र-23 श्रेणी-5-बंजर/बचत भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 3105/1-मि0, रकवा 0.056 हे0, 3053/4-मि0, रकवा 0.303 हे0 व 3053/5-मि0, रकवा 0.020 हे0 कुल तीन किता रकवा 0.379 हे0, मालियत रु0 5,07,425.00 (पांच लाख सात हजार चार सौ पच्चीस रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहण करता हूं कि उक्त भूमि पर प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपर्वर्णित धनराशि देय होती है तो, उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	कुलपहाड़	कुलपहाड़	कुलपहाड़ ग्रामीण	3105/1-मि0 3053/4-मि0 3053/5-मि0 **योग . .**	0.056 0.303 0.020 **0.379**	श्रेणी 5-बंजर/बचत	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उ0प्र0 को सलैया खालसा-नाथूपुरा ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।

सं0 639/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, सत्येन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि स्थित ग्राम स्योड़ी, परगना व तहसील कुलपहाड़, जनपद महोबा के श्रेणी-4-जो अन्य कारणों से आकृषिक हो बीहड़ भूमि के खाते में अंकित गाटा संख्या 114/11, रकवा 1.821 हे0 में से 0.160 हे0 मालियत रु0 1,22,400.00 (एक लाख बाईस हजार चार सौ रुपये मात्र) को, जो अब तक (अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि) ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में इस प्रतिबन्ध के साथ लेता हूं/पुनर्ग्रहण करता हूं कि उक्त भूमि पर प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा, यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपर्वर्णित धनराशि देय होती है तो, उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत भूमि को ग्राम सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	कुलपहाड़	कुलपहाड़	स्योड़ी	114/11	1.821 में से 0.160	श्रेणी 6-4-बीहड़	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उ0प्र0 को लहचूरा-काशीपुर ग्राम समूह पाईप पेयजल योजना हेतु।

सत्येन्द्र कुमार,
जिलाधिकारी, महोबा।

बाँदा के जिलाधिकारी की आज्ञायें

03 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 42(5)/12-भूमि व्यवस्था—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा निम्न अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब

तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बबेरू	चकरेही	चकरेही	5-3-ड0 बंजर खाता संख्या 953	1548	0.359 में से 0.101	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 43(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा निम्न अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	पैलानी	अमारा	अमारा	5-3-ड0 बंजर खाता संख्या 1302	312-मि0	0.7450 में से 0.1600	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को अमारा ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 44(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का

प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा निम्न अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बाँदा	पैलानी	गड़ोला बॉगर	गड़ोला	5-3-ड0 बंजर खाता संख्या 318	417	हेक्टेयर 0.4290 में से 0.1600	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को गड़ोला ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 45(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा निम्न अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बाँदा	बबेरू	लोहरा	लोहरा	5-3-ड0 बंजर खाता संख्या 2102	3238	हेक्टेयर 0.089	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 46(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का

प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा निम्न अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	पैलानी	गड़रिया के मजरा खैरी	गड़रिया	5-3-ड0 बंजर खाता संख्या 1594	4634-मि0	0.3500 में से 0.1600	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खैरी (गड़रिया) ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 47(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा निम्न अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बबेरू	स्योंहट	स्योंहट	5-3-ड0 बंजर खाता संख्या 450	724/2	1.015 में से 0.065	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 48(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों

तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा निम्न अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बाँदा	बाँदा	छनेहरा लालपुर	छनेहरा लालपुर	5-3-ड0 बंजर खाता संख्या 349	58	हेक्टेयर 0.263 में से 0.102	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 49(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा निम्न अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बाँदा	पैलानी	बरेहटा	दोहतरा	5-3-ड0 बंजर खाता संख्या 461	134	हेक्टेयर 0.8210 में से 0.1600	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को मडौली ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

आनन्द कुमार सिंह,
जिलाधिकारी, बांदा।

ललितपुर के जिलाधिकारी की आज्ञायें

09 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 416/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	धोबनखेरी ग्राम समाज धोबनखेरी	407/1	0.263	5-3-घ, छप्पर छाने की घास तथा बांस की कोठियां	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को कचनौंदाकलां ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 417/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	तालबेहट	तालबेहट	चांदरो ग्राम समाज भुचेरा	863-मि0	0.202	6-2, अकृषिक भूमि	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को बदनपुर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 418/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	तालबेहट	तालबेहट	बिगारी ग्राम समाज बिकारी	650	0.160	6-2, अकृषिक भूमि	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को कड़ेसराकलां ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 419/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	मड़ावरा	मड़ावरा	रखवारा ग्राम समाज रखवारा	906-मि0	0.165	नवीन परती-5(1)	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को मड़ावरा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 420/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/16(1)/1973/राजस्व-1, दिनांक 07 मई, 1981 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 28/741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	पाली	मड़ावरा	नाराहट ग्राम समाज नाराहट	2302/19	0.300	6-4, किसी और वजह से गैर मुमकिन भूमि	33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र नाराहट की स्थापना हेतु।

सं0 421/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	पाली	मड़ावरा	पटनामड़ावरा ग्राम समाज पटनामड़ावरा	1688-ख	0.160	6-2, अकृषिक भूमि	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को गौना-नाराहट ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 422/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55

द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	पाली	ललितपुर	टीला ग्राम समाज अन्डेला	417/5	0.250	5-3-ड़, बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को मसौरा-सिंधवाहा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

अन्नावि दिनेशकुमार,
जिलाधिकारी, ललितपुर।

झाँसी के जिलाधिकारी की आज्ञायें

07 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 01/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण/2020-21—उ0प्र0 सरकार की विज्ञप्ति संख्या 617-14, दिनांक 11 अक्टूबर, 1952 तथा झाँसी जिले के मामले में संशोधित विज्ञप्ति संख्या 8802/1-क, दिनांक 20 दिसम्बर, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020-20(5)-2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आन्द्रा वामसी, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम सारौल, बकायन, ढुरबई, ताईजागीर, रजवारा एवं अतनियॉ, तहसील टहरौली के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	टहरौली	टहरौली	सारौल	641-मि0	0.072	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0) (निःशुल्क)
2	झाँसी	टहरौली	टहरौली	बकायन	593	0.077	श्रेणी-5-1 न0 परती	
3	झाँसी	टहरौली	टहरौली	ढुरबई	630-मि0	0.164	श्रेणी-5-1 न0 परती	
4	झाँसी	टहरौली	टहरौली	ताईजागीर	233-मि0	0.162	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	
5	झाँसी	टहरौली	टहरौली	रजवारा	810/2	0.242	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	
6	झाँसी	टहरौली	टहरौली	अतनियॉ	279/2	0.202	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	

सं0 05/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण/2020-21—उ0प्र0 सरकार की विज्ञप्ति संख्या 617-14, दिनांक 11 अक्टूबर, 1952 तथा झाँसी जिले के मामले में संशोधित विज्ञप्ति संख्या 8802/1-क, दिनांक 20 दिसम्बर, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020-20(5)-2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आन्द्रा वामसी, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम मुडेई, रेव, बाबई, पचोबई, भरोसा एवं साकिन, तहसील मोंठ के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	मोंठ	मोंठ	मुडेई	484/1-मि0	0.090	श्रेणी-5-3 ड बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0) (निःशुल्क)
2	झाँसी	मोंठ	मोंठ	रेव	332	0.142	श्रेणी-5(1) नवीन प0	
					1027-मि0	0.090	श्रेणी-5-3 ड बंजर	
3	झाँसी	मोंठ	मोंठ	बाबई	220/2-मि0	0.080	श्रेणी-5(1) नवीन प0	
4	झाँसी	मोंठ	मोंठ	पचोबई	452/4-मि0	0.090	श्रेणी-5(1) नवीन प0	
5	झाँसी	मोंठ	मोंठ	भरोसा	630-मि0	0.160	श्रेणी-5(1) नवीन प0	
6	झाँसी	मोंठ	मोंठ	साकिन	852-मि0	0.090	श्रेणी-5-3 ड बंजर	

सं0 06/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुनर्ग्रहण/2020-21—उ0प्र0 सरकार की विज्ञप्ति संख्या 617-14, दिनांक 11 अक्टूबर, 1952 तथा झाँसी जिले के मामले में संशोधित विज्ञप्ति संख्या 8802/1-क, दिनांक 20 दिसम्बर, 1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020-20(5)-2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आन्द्रा वामसी, जिलाधिकारी, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम बचावली बुजुर्ग, तहसील झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बचावली बुजुर्ग	400	0.846	श्रेणी-5-3 ड़ बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0) (निःशुल्क)
					355/4-मि0	0.045		

आन्द्रा वामसी,
जिलाधिकारी, झांसी।

हमीरपुर के जिलाधिकारी की आज्ञायें

17 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 314/डी0एल0आर0सी0-12 ए-पुनर्ग्रहण (नमामि गंगे) 2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1बी (5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, जिलाधिकारी, हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम भटपुरा डांडा, तहसील हमीरपुर, जिला हमीरपुर के गाटा संख्या 575, रकवा 0.160 हे0, मालियत रु0 1,60,000.00 (मु0 एक लाख साठ हजार रुपये मात्र) को, भटपुरा डांडा में बुन्देलखण्ड ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत, भटपुरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना के निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उत्तर प्रदेश के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी हमीरपुर की संस्तुति आख्या दिनांक 06 नवम्बर, 2020 एवं तहसीलदार हमीरपुर के पत्र 308 /रा0नि0 (का0)/पत्रा0 प्रे0, दिनांक 06 नवम्बर, 2020 के आलोक एवं शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपर्वर्णित धनराशि देय होती है तो, उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है—

अनुसूची

क्र0सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	हमीरपुर	हमीरपुर	हमीरपुर	भटपुरा डांडा	575	0.160	बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को भटपुरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु।

सं0 315/डी0एल0आर0सी0-12 ए-पुनर्ग्रहण (नमामि गंगे) 2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1बी (5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, जिलाधिकारी, हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम कोठा, तहसील राठ, जिला हमीरपुर के गाटा संख्या 103, रकवा 0.227 हे0, मालियत रु0 1,81,600.00 (मु0 एक लाख इक्यासी हजार छः सौ रुपये मात्र) को ग्राम कोठा में बुन्देलखण्ड ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत, कोठा ग्राम समूह पेयजल योजना के निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उत्तर प्रदेश के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी राठ की संस्तुति आख्या दिनांक 09 नवम्बर, 2020 एवं तहसीलदार राठ के पत्र 364/र0का0-एम0 एल0सी0-प्रस्ताव, दिनांक 09 नवम्बर, 2020 के आलोक एवं शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त

यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपर्वर्णित धनराशि देय होती है तो, उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है–

अनुसूची

क्र0सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	हमीरपुर	राठ	राठ	कोठा	103	0.227	बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को कोठा ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु।

सं0 316/डी0एल0आर0सी0-12 ए-पुनर्ग्रहण (नमामि गंगे) 2020-21–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1बी (5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, जिलाधिकारी, हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम रिहुटा, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर के गाटा संख्या 117-मि0, रकवा 0.160 हे0, मालियत रु0 1,28,000.00 (मु0 एक लाख अट्ठाइस हजार रुपये) मात्र को ग्राम रिहुटा में बुन्देलखण्ड ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत, रिहुटा ग्राम समूह पेयजल योजना के निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उत्तर प्रदेश के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी सरीला की संस्तुति आख्या दिनांक 10 सितम्बर, 2020 एवं तहसीलदार सरीला के पत्र 425/रा0 नि0-एल एम सी-प्रस्ताव, दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के आलोक एवं शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपर्वर्णित धनराशि देय होती है तो, उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है–

अनुसूची

क्र0सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	हमीरपुर	सरीला	राठ	रिहुटा	117-मि0	0.160	बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को रिहुटा ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु।

सं0 317/डी0एल0आर0सी0-12 ए-पुनर्ग्रहण (नमामि गंगे) 2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1बी (5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, जिलाधिकारी, हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम बडा खरका, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर के गाटा संख्या 150, रकवा 0.140 हे0, मालियत रु0 1,12,000.00 (मु0 एक लाख बारह हजार रुपये) मात्र को ग्राम बडा खरका में बुन्देलखण्ड ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत, बडा खरका ग्राम समूह पेयजल योजना के निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उत्तर प्रदेश के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी सरीला की संस्तुति आख्या दिनांक 15 सितम्बर, 2020 एवं तहसीलदार सरीला के पत्र 425/रा0 नि0-एल एम सी-प्रस्ताव, दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के आलोक एवं शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपर्वर्णित धनराशि देय होती है तो, उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है—

अनुसूची

क्र0सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	हमीरपुर	सरीला	राठ	बडा खरका	150	0.140	बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को बडा खरका ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु।

सं0 318/डी0एल0आर0सी0-12 ए-पुनर्ग्रहण (नमामि गंगे) 2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1बी (5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, जिलाधिकारी, हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम हरदुवा, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर के गाटा संख्या 582/7, रकवा 0.160 हे0, मालियत रु0 1,28,000.00 (मु0 एक लाख अट्ठाइस हजार रुपये) मात्र को ग्राम हरदुवा में बुन्देलखण्ड ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत, हरदुवा ग्राम समूह पेयजल योजना के निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उत्तर प्रदेश के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी सरीला की संस्तुति आख्या दिनांक 10 सितम्बर, 2020 एवं तहसीलदार सरीला के पत्र 425/रा0 नि0-एल एम सी-प्रस्ताव, दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के आलोक एवं शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपर्वर्णित धनराशि देय होती है तो, उसे

अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है–

अनुसूची

क्र0सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हमीरपुर	सरीला	जलालपुर	हरदुवा	582/7	हेक्टेयर 0.160	बीहड़	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को हरदुवा ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु।

सं0 319/डी0एल0आर0सी0-12 ए-पुनर्ग्रहण (नमामि गंगे) 2020-21–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1बी (5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, जिलाधिकारी, हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम पहरा, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर के गाटा संख्या 263, रकवा 0.160 हे0, मालियत रु0 1,28,000.00 (मु0 एक लाख अट्ठाइस हजार रुपये) मात्र को ग्राम पहरा में बुन्देलखण्ड ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत, पहरा ग्राम समूह पेयजल योजना के निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उत्तर प्रदेश के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी सरीला की संस्तुति आख्या दिनांक 10 सितम्बर, 2020 एवं तहसीलदार सरीला के पत्र 425/रा0 नि0-एल एम सी-प्रस्ताव, दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के आलोक एवं शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपर्वर्णित धनराशि देय होती है तो, उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है–

अनुसूची

क्र0सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हमीरपुर	सरीला	जलालपुर	पहरा	263	हेक्टेयर 0.160	बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को पहरा ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु।

सं0 320/डी0एल0आर0सी0-12 ए-पुनर्ग्रहण (नमामि गंगे) 2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1बी (5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, जिलाधिकारी, हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम रिरूवा बुजुर्ग डांडा, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर के गाटा संख्या 661/13, रकवा 0.200 हे0, मालियत रु0 1,40,000.00 (मु0 एक लाख चालीस हजार रुपये) मात्र को ग्राम रिरूवा बुजुर्ग डांडा में बुन्देलखण्ड ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत, रिरूवा बुजुर्ग डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना के निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उत्तर प्रदेश के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी सरीला की संस्तुति आख्या दिनांक 10 सितम्बर, 2020 एवं तहसीलदार सरीला के पत्र 425/रा0 नि0-एल एम सी-प्रस्ताव, दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के आलोक एवं शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपर्वर्णित धनराशि देय होती है तो, उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है—

अनुसूची

क्र0सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	हमीरपुर	सरीला	जलालपुर	रिरूवा बुजुर्ग डांडा	661/13	0.200	बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को रिरूवा बुजुर्ग डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु।

सं0 321/डी0एल0आर0सी0-12 ए-पुनर्ग्रहण (नमामि गंगे) 2020-21—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1बी (5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, जिलाधिकारी, हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम हरसुण्डी, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर के गाटा संख्या 710, रकवा 0.138, गाटा संख्या 711, रकवा 0.046 एवं गाटा संख्या 712, रकवा 0.016, कुल 03 किता रकवा 0.200 हे0, मालियत रु0 1,40,000.00 (मु0 एक लाख चालीस हजार रुपये) मात्र को ग्राम हरसुण्डी में बुन्देलखण्ड ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत, हरसुण्डी ग्राम समूह पेयजल योजना के निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उत्तर प्रदेश के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी सरीला की संस्तुति आख्या दिनांक 15 सितम्बर, 2020 एवं तहसीलदार सरीला के पत्र 425/रा0 नि0-एल एम सी-प्रस्ताव, दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के

आलोक एवं शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपर्वर्णित धनराशि देय होती है तो, उसे अदा करने के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत् है–

अनुसूची

क्र0सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	हमीरपुर	सरीला	जलालपुर	हरसुण्डी	710	0.138	बंजर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को हरसुण्डी ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु।
					711	0.046		
					712	0.016		
					03 किता	0.200		

ज्ञानेश्वर त्रिपाठी,
जिलाधिकारी,
हमीरपुर।

पी0एस0यू0पी0–41 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 9 जनवरी, 2021 ई० (पौष 19, 1942 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां।

भारत निर्वाचन आयोग

1 दिसम्बर, 2020 ई0
नई दिल्ली, तारीख ——————————
10 अग्रहायण, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-वि0स0/80/2017—**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/1/2017, दिनांक 04 जनवरी, 2017 के जरिये की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

यतः, 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 12 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री प्रेमपाल सिंह अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री प्रेमपाल सिंह को दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/उ0प्र0-वि0स0/80/भा0नि0आ0/नोटिस/टेरी0/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017 जारी किया गया था :

(1) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(2) सभी व्यय (छोट-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से नहीं किये गये हैं; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री प्रेमपाल सिंह को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुये अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री प्रेमपाल सिंह को दिनांक 06 नवम्बर, 2018 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस ने दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री प्रेमपाल सिंह द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री प्रेमपाल सिंह को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र संख्या 76/उ0प्र0-वि0स0/80/भा0नि0आ0/पत्र/टेरी0/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2017, दिनांक 02 जुलाई, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के माध्यम से उनकी पत्नी गंगा को दिनांक 24 जुलाई, 2020 को श्री प्रेमपाल सिंह द्वारा नामांकन-पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 18 सितम्बर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री प्रेमपाल सिंह द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुये न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस/पत्र मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिये भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री प्रेमपाल सिंह विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिये कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।'';

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री प्रेमपाल सिंह, निवासी ग्राम नगला बिजन, पोस्ट गिनौली किशनपुर, तहसील सिकन्दराराऊ, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिये निरर्हित होंगे।

आदेश से,
पुष्पा एन0 लकड़ा,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* *1st December*, 2020

Agrahayana 10th, 1942 (*Saka*).

ORDER

No. 76/UP-LA/80/2017–WHEREAS, the General Election for 80-Sikandra Rao Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/1/2017, dated 04th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 80-Sikandra Rao Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017 ; and

WHEREAS, as per the report dated 12th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Hathras District, Uttar Pradesh, Shri Prempal Singh, a contesting candidate from 80-Sikandra Rao Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge accounts of his election expenses, in the manner prescribed under the law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/80/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 18th October, 2018 was issued under sub rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Prempal Singh, for the following defects in accounts of his election expenses :–

(i) Bill Vouchers were not presented in respect of items of election expenditure.

(ii) All Expenditure (Except petty expenditure) not routed through bank account; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and as required under sub rule (6) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Prempal Singh was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Hathras within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Hathras, the said notice was served to Shri Prempal Singh on 6th November, 2018; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hathras, has submitted in his supplementary report, dated 18th December, 2019 that Shri Prempal Singh, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses duly signed, along with original vouchers *etc*. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-LA/80/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 02nd July, 2020, which was served to his wife Ganga on 24th July, 2020 through the District Election Officer, Hathras at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, as per the report, dated 18th September, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, Shri Prempal Singh has neither rectified the above mentioned defects nor any

representation has been received from him. Further, no representation from the candidate has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after delivery of the above mentioned notice/letter; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Prempal Singh has failed to lodge his acccounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Prempal Singh, Resident of Village-Nagla Bizan, Post-Ginoli Kishanpur, Tehsil-Sikandra Rao, District-Hathras, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 80-Sikandra Rao Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the State Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
PUSHPA N. LAKRA,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

पी0एस0यू0पी0–41 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0–26 निर्वाचन–06-01-2021–25 प्रतियां–(डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 9 जनवरी, 2021 ई० (पौष 19, 1942 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, मीरजापुर

12 मई, 2020 ई0

सं0 44 / वि0रा0 / 2020-21–नगरपालिका अधिनियम, 1916 की सुसंगत धाराओं के अधीन स्वकर निर्धारण प्रणाली नगरपालिका परिषद्, मीरजापुर में लागू किये जाने हेतु बोर्ड की प्रस्ताव संख्या 02 पत्रांक 641 / सा0प्र0 / 2019-20, दिनांक 06 मार्च, 2020 से स्वीकृत दरें लागू करने के लिये संशोधित दरें तैयार कर प्रकाशित कराया जा रहा है।

(भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली, 2020

1–**संक्षिप्त नाम एवं विस्तार और प्रारम्भ** –(1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश, नगरपालिका परिषद्, मीरजापुर (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली, 2020 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–**परिभाषायें**–(1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से

(ख) "वार्षिक मूल्याकंन" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 140 में निर्दिष्ट वार्षिक मूल्य से है।

(ग) "फर्शी क्षेत्रफल" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 140 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण –

(एक) में निर्दिष्ट फर्शी क्षेत्रफल से है।

(घ) "आच्छादित क्षेत्रफल" का तात्पर्य कुर्सी क्षेत्र के ऊपर प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्रफल से है जिस पर भवन निर्मित हो।

(ङ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से अनुलग्न किसी प्रपत्र से है।

(च) "भवन" समूह का तात्पर्य नियम 4 के अधीन उल्लिखित भवन समूह से है।

(छ) "भू-समूह" का तात्पर्य नियम 4 के अधीन उल्लिखित भू-समूह से है।

(ज) "कच्चा भवन" का तात्पर्य ऐसे भवन से है जो पक्का भवन न हो।

(झ) "मासिक किराया दर" का तात्पर्य नियम 5 के अनुसार अधिशासी अधिकारी द्वारा विहित, यथास्थिति किसी भवन के फर्शी क्षेत्रफल या भूमि के प्रति वर्गफुट मासिक किराया से है।

(ञ) "अनावासीय भवन" का तात्पर्य ऐसे किसी भवन या स्थान या भूमि या गृह या उसके आंशिक भाग से है जो आवासिक न हो और जो अधिनियम की धारा 140 की उपधारा (1) के खण्ड (क) अधीन आच्छादित हो।

(ठ) "अधिसूचित बैंक" का तात्पर्य स्व निर्धारण विवरण के साथ कर धनराशि को जमा करने के लिए अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिसूचित बैंक या बैंकों से है।

(ड) "अन्य पक्का भवन" का तात्पर्य ऐसे किसी भवन से है जिसकी दीवारें पक्की हों और छत, एस्बेस्टस शीट या फाइबर, लास या ऐसी ही अन्य प्रकार की सामग्रियों से तैयार हो और फर्श में मार्बल, टाईल्स, मोजैक या उसी प्रकार की अन्य सामग्रियों का प्रयोग न किया गया हो। (ढ) पक्का भवन का तात्पर्य ऐसे किसी भवन से है जिसकी दीवारें ईंट या पत्थर या अन्य सामान सामग्री से निर्मित हों, अथवा जिसके आधार खम्भे आदि स्टील, लौह, ग्लास या अन्य समान प्रकार की धातुओं से निर्मित हो।

(ण) "सम्पत्ति" का तात्पर्य यथास्थिति, किसी भवन या भूमि या दोनों से है।

(त) "आवासिक भवन" का तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसकी प्रत्येक इकाई उसमें रहने वाले किसी व्यक्ति के अध्यासन में हो और उनमें ऐसा कोई भवन सम्मिलित होगा जिनमें आवासिक उपयोग का उपबंध हो, किन्तु जिसमें वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु प्रयुक्त किया जा रहा कोई होटल, लाज या कोई अन्य भवन सम्मिलित नही होगा।

(थ) "स्व-निर्धारण विवरण" का तात्पर्य किसी स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र (क) या (ग) में भरे जाने वाले स्व निर्धारण विवरण से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त एवं अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित है।

3–**किसी भवन या भूखण्ड के फर्शी क्षेत्रफल और अन्य क्षेत्र का विवरण–**(1) अधिशासी अधिकारी, कम से कम दो दैनिक समाचार-पत्रों में एक सूचना प्रकाशित करके भवन या भूमि या दोनो के वार्षिक मूल्य पर करों के भुगतान के लिए दायी स्वामियों या अध्यासियों से प्रपत्र "ख" और प्रपत्र "घ" में यथास्थिति आवासिक भवन या भूखण्ड के फर्शी क्षेत्रफल और अन्य क्षेत्रफल या अनावासिक भवन के आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल के संबंध में प्रत्येक दो वर्ष में एक विवरण कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ उक्त सूचना में नियत दिनांक तक प्रस्तुत करेगा।

(2) अधिशासी अधिकारी सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी की सुविधा के लिए प्रपत्र (ख) और (घ) में विवरण प्रस्तुत करने के लिए नगर के विभिन्न वार्डो के लिए विभिन्न स्थानों को नियत कर सकता है।

(3) जब कभी स्वामी द्वारा अध्यासित या खाली भवन को किराये पर दिया जाय या इसके विपरीत हो, तो ऐसा होने के साठ दिन के भीतर स्वामी के लिए प्रपत्र "ख" और "घ" में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।

सम्पति का वर्गीकरण–(1) जब कभी निर्माण या पुनर्निर्माण के कारण आच्छादित क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत या उससे अधिक का सम्वर्द्धन किया जाता है तो निर्माण के समापन या अध्यासन के दिनांक से, साठ दिन के भीतर, यथास्थिति स्वामी या अध्यासी के लिये प्रपत्र 'ख' और 'घ' में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।

2–(1) अधिशासी अधिकारी, अधिनियम की धारा 140 के उपबंधो के अंतर्गत आने वाली सम्पत्ति की अवस्थिति का वार्डवार वर्गीकरण करेगा और तत्पश्चात प्रत्येक वार्ड के भीतर चार विभिन्न प्रकार के मार्गों पर सम्पत्ति की अवस्थिति के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जायेगा, अर्थात

[क] 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग,

[ख] 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग,

[ग] 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग,

[घ] 9 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग।

(2) अधिशासी अधिकारी, अधिनियम की धारा 140 के उपबंधों के अंतर्गत आने वाले भवनों के निर्माण की प्रकृति का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करेगा।

[क] पक्का भवन, आर0सी0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित।

[ख] अन्य पक्का भवन

[ग] कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन, जो खण्ड (क) और (ख) से आच्छादित नहीं हैं।

(3) अधिशासी अधिकारी, तदनुसार वार्ड में नीचे दर्शाए गये अनुसार समस्त भवनों को अधिकतम बारह विभिन्न समूहों की संख्या में और समस्त रिक्त भूखण्डों के मामले में अधिकतम चार विभिन्न समूहों की संख्या में व्यवस्थित करेगा।

[क] भवन के मामले में निम्नलिखित बारह समूह होंगे।

(एक) 24 मीटर से अधिचौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन ।

(दो) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन।

(तीन) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन,

(चार) 9 मीटर तकं चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन,

(पाँच) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन ,

(छः) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन,

(सात) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन,

(आठ) 9 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन,

(नौ) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य कच्चा भवन ,

(दस) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन,

(ग्यारह) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन,

(बारह) 9 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

[ख] भूमि के मामलों में निम्नलिखित चार समूह होंगे।

(एक) 24 मीटर से अधिक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि,

(दो) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि,

(तीन) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि,

(चार) 9 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि, न्यूनतम मासिक किराये की दर का निर्धारण।

5–(1) अधिशासी अधिकारी, वार्ड के भीतर प्रत्येक दो वर्ष में एक बार यथास्थिति प्रत्येक भवन समूह के लिए फर्शी क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (रुपये प्रति वर्गफुट) हेतु न्यूनतम मासिक किराये की दर या प्रत्येक भूमि समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराये की दर की गणना करेगा और निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए आवासिक भवन या भूमि के रूप में किराया दर नियत करेगा।

[क] भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर, और।

[ख] ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्र में वर्तमान न्यूनतम किराया दर।

परन्तु यह कि ऐसे मासिक किराये की दर प्रति इकाई क्षेत्रफल नियत करने के पूर्व अधिशासी अधिकारी ऐसी प्रस्तावित दरों को नगर में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियां दाखिल करने के लिए न्यूनतम पन्द्रह दिन का समय देगा । किसी वार्ड में प्राप्त आपत्तियों का भिन्न-भिन्न बण्डलों की अधिकतम संख्या में समूह बनाने के पश्चात् ऐसी सभी आपत्तियों पर वार्डवार सुनवाई की जायेगी। प्रत्येक बण्डल में, यथास्थिति भवनों के एक समूह या भूमि के एक समूह के लिए प्राप्त आपत्तियाँ अन्तर्विष्ट रहेंगी, समस्त आपत्तियों का निस्तारण, अधिशासी अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् किया जायेगा । यह आवश्यक नहीं होगा कि समस्त आपत्तिकर्ताओं को या हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सुना जाय, आपत्तियों का बण्डलवार विनिश्चय किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–भवन, भूमि या दोनों के स्वकर निर्धारण के प्रयोजनार्थ 80 प्रतिशत आच्छादित क्षेत्रफल को फर्शी क्षेत्रफल के रूप में माना जा सकता है।

(2) अनावासिक भवनों और भूमि के मामले में आच्छादित क्षेत्रफल और भूमि का प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराए की दर, उपं नियम (1) के अधीन नियत किराये की मासिक दर का गुणांक होगा, जैसा कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित अनुसूची श्रेणी सम्पत्ति का विवरण अनावासिक भवन की मासिक किराये की दर सरकारी अथवा गैर सरकारी छात्रावास, स्वीमिंग पूल, उपनियम क्रीडा केंद्र तथा जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केंद्र, थियेटर (1) के जिनका प्रयोग मात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु होता हो, अधीन । जिसमें वैवाहिक समारोहों से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम नियत दर सम्मिलित नहीं है, संगीत एवं नृत्यकेंद्र, सूक्ष्म एवं लघु के समान।

औद्योगिक इकाइयां (उद्योग विभाग की परिभाषानुसार), एकल स्क्रीन सिनेमाघर(जो माल्स में स्थित नहीं है), 120 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक की चाय, दूध, डबलरोटी, अंडे धोबी/लांड्री, फल, सब्जी, फोटो स्टेट, नाई/ हेयर ड्रेसर (जिनमें दो से अधिक बाल काटने की कुर्सियां न हों और जिसमें वातानुकूलन/कूलर का उपयोग न होता हो) तथा दर्जी की दुकान।

उपनियम (1) के अधीन नियत दर के समान–

महाविद्यालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं वृहद् उद्योग उपनियम (उद्योग विभाग की परिभाषानुसार), मेडिकल स्टोर, प्रत्येक (1) के प्रकार के वाणिज्यिक काम्प्लेक्स, स्थापित बाजारों में स्थित अधीन स्पोर्ट काम्पलैक्स, टेन्ट हाउस, भवन निर्माण सामग्री की निर्धारित दुकान और गैर सरकारी कोचिंग सेन्टर।

उपनियम (1) के अधीन निधारित दर का दो गुना–

3–सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी .कार्यालय उपनियम भवन, सार्वजनिक उपक्रम, राजकीय निगम और बोर्ड (1) के आदि, क्लीनिक, पालीक्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, अधीन डायग्नोस्टिक केंद्र, पैथोलाजी लैब, नर्सिंग होम, चिकित्सालय निर्धारित और स्वास्थ्य परिचर्या केंद्र, फिजियोथिरैपी केंद्र, प्रसूति गृह, दर का प्राविधिक विश्वविद्यालय, मेडिकल कालेज एवं डेन्टल तीन गुना।

कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, प्रबन्ध संस्थान, विधि संस्थान एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो और गोदाम आदि, सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब, आडीटोरियम (प्रेक्षागृह), सामुदायिक केन्द्र, स्टाररहित होटल, एक सितारा और उससे ऊपर के होटल, टावर और होर्डिंग वाले भवन, टेलीविजन टावर, दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किए जाते हैं, बैंक, बैंक ए0टी0एम0, फाइनेंस कम्पनियां, निजी क्षेत्र के कार्यालय और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान, माल्स, पब्स, बार, वासगृह जहाँ भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है।

उपनियम (1) के अधीन निधारित दर का तीन गुना–

अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणी में उपनियम उल्लिखित नहीं हैं।

उपनियम (1) के अधीन निर्धारित दर का तीन गुना–

(3) नगरपालिका को, उपनियम (2) की अनुसूची की श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के अधीन गुणांक बढ़ाने का अधिकार होगा। वह संकल्प द्वारा उसे उप नियम (1) के अधीन आवासिक भवनों हेतु नियत दर का क्रमशः तीन गुना और चार गुना तक नियत कर सकेगा।

न्यूनतम मासिक किराये की दर का प्रकाशन–

6–जब नियम 5 के अधीन आपत्तियों का विनिश्चय कर लिया जाये तो अधिशासी अधिकारी ऐसे नगर में परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में यथास्थिति, वार्ड के भीतर भवनों के प्रत्येक समूह के लिए, फर्शी क्षेत्रफल के प्रतिवर्ग फुट किराए की न्यूनतम मासिक दर या भूमि के प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल के प्रति वर्गफुट लागू किराये की न्यूनतम मासिक दर अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात यह अंतिम हो जायेगी।

7–कर निर्धारण–(1) कर का निर्धारण निम्नलिखित के आधार पर किया जायेगा।

(क) (एक) आवासिक भवन के वार्षिक मूल्य की गणना।

फर्शी क्षेत्रफल गुणा निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर गुणा 12 या . .

आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर गुणा 12

(दो) आवासिक भूमि के वार्षिक मूल्य की गणना।

भूमि का क्षेत्रफल गुणा निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर गुणा 12

(ख) (एक) अनावासिक भवन के वार्षिक मूल्य की गणना।

आच्छादित क्षेत्रफल गुणा आवासिक भवन की दर के गुणांक के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की मासिक दर गुणा 12

(दो) अनावासिक भूमि के वार्षिक मूल्य की गणना।

भूमि का क्षेत्रफल गुणा आवासिक भूमि की दर के गुणांक के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की मासिक दर गुणा 12

स्वकर हेतु निर्धारित दर (सड़कों की चौड़ाई / भवन की स्थिति के अनुसार)–

24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर निर्मित भवन			12-24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर निर्मित भवन			9-12 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर निर्मित भवन			9 मीटर से तक चौड़ी सड़क पर निर्मित भवन		
आर0सी0सी0 / आर0वी0सी0	अन्य पक्का भवन	भूमि / भूखण्ड	आर0सी0सी0 / आर0वी0सी0	अन्य पक्का भवन	भूमि / भूखण्ड	आर0सी0सी0 / आर0वी0सी0	अन्य पक्का भवन	भूमि / भूखण्ड	आर0सी0सी0 / आर0वी0सी0	अन्य पक्का भवन	भूमि
2.00	1.75	0.80	1.75	1.50	0.70	1.50	1.40	0.60	1.40	1.30	0.50

(2) संदेय कर–अधिनियम की धारा 131 की उपधारा (1 के खण्ड (ग) के अधीन नियत दरों के अनुसार कर वार्षिक मूल्य के आधार पर संदेय होंगे।

(3) सेवा प्रभार–उपनियम (2) के आधार पर निर्धारित कर के 75%, 50% या 33.33% दर पर आगणित सेवा प्रभार नगरपालिका के माध्यम से उपबंधित पूर्ण या आंशिक या शून्य सेवाओं के उपयोग के आधार भारत संघ या उसके विभागों द्वारा संदेय होंगे।

(4) **स्व निर्धारण**–भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर भुगतान के लिये मुख्यतः दायी व्यक्ति या अन्य दायी व्यक्ति, नियम 4 और नियम 7 के उपबंधों के अनुसार निर्धारित कर, नियम 3 में अपेक्षित विवरणी के साथ यथास्थिति प्रपत्र 'क' या प्रपत्र 'ग' में सम्पत्ति का विवरण अंकित करते हुए अधिशासी अधिकारी द्वारा विहित अधिसूचित बैंकों या अन्य स्थानों में नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन निर्धारित दिनांक तक चालान के साथ जमा करेगा।

(5) **प्रोत्साहन**–अनांवासिक भवनों के स्वामियों या अध्यासियों को प्रोत्साहन, यथास्थिति, भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य में निम्नलिखित रीति से प्रदान किया जा सकता है।

(क) ऐसे भवन, जिसमें वर्षा जल संचयन या भूगर्भ जल संभरण की प्रणाली संस्थित हो और प्रचालन में हो या कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्रफल वृक्षारोपण और हरियाली द्वारा आच्छादित हो या समुचित और पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध हो या यदि व्यापार या विनिर्माण या ऐसे अन्य क्रियाकलापों में लगा हो जिससे प्रदूषण उत्पन्न होता हो किन्तु प्रभावकारी प्रदूषण रोधी उपाय अपनाये गये हों तो उसके वार्षिक मूल्य में प्रत्येक हेतु 2 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुए प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।

परन्तु यह कि उपर्युक्त प्रोत्साहन इस खण्ड में उल्लिखित सुविधाओं और उपायों की विद्यमानता और उनके उचित रख-रखाव का सत्यापन करने के पश्चात् वर्षानुवर्ष आधार पर प्रदान किये जायेंगे।

(ख) खण्ड (क) में यथा उल्लिखित ऐसे भवन के वार्षिक मूल्य में प्रत्येक हेतु 2 प्रतिशत तक की वृद्धि की जायेगी, यदि उक्त भवन में खण्ड (क) में उल्लिखित उपाय उपबंधित न किये गये हों।

निर्धारण सूची–(1) समस्त भवनों या भूमियों या दोनों के सम्बन्ध में निर्धारण सूची, कर गणना के पश्चात् निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाएगी।

(क) भवनों तथा भूमियों के संबंधित स्वामियों या अध्यासियों द्वारा प्रपत्र क, ख, ग, और घ में प्रस्तुत किये गये विवरण

या

(ख) अधिशासी अधिकारी द्वारा इस निमित्त संग्रहीत सूचना, जहां प्रपत्र क, ख, ग या घ में सूचनायें विहित समय के भीतर प्रस्तुत न की जाय। इस स्थिति में फर्शी क्षेत्रफल की गणना भवन के आच्छादित क्षेत्रफल के 80 प्रतिशत के आधार पर की जायेगी।

(ग) निर्धारण सूची में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे।

(एक) सड़क और मोहल्ले, जिनमें सम्पत्ति स्थित हो, का नाम,

(दो) नाम, संख्या या किसी अन्य विनिर्दिष्टि, जो पहचान के लिए पर्याप्त हो, द्वारा सम्पत्ति का अभिधान।

(तीन) स्वामी का नाम, चाहे सम्पत्ति स्वामी द्वारा अध्यासित हो या किराये पर हो। यदि किराये पर हो तो, किरायेदार का नाम।

(चार) भवन या भूमि समूह के लिए फर्शी क्षेत्रफल आधारित तथा फर्शी क्षेत्रफल आधारित प्रति वर्ग फुट न्यूनतम मासिक किराया दर।

(पाँच) भवन का फर्शी क्षेत्रफल या आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों।

(छः) भवन निर्माण का वर्ष।

(सात) भवन निर्माण की प्रकृति।

(2) स्वकर निर्धारण से सम्बन्धित सूची–ऐसे आवासिक भवन, जिनके लिये स्वनिर्धारित कर प्रपत्र-क में और ऐसे अनावासिक भवन जिनके लिये स्व निर्धारित कर प्रपत्र-ग में विहित समय के भीतर जमा कर दिये गये हों, उपनियम (1) में तैयार की गयी निर्धारण सूची में प्रविष्ट किये जायेंगे।

परन्तु यह कि किसी शिकायत या जाँच के आधार पर, यदि कोई विवरण सही नहीं पाया जाता है तो सूची में प्रविष्ट विवरण एवं उसमें निर्धारित कर को पुनरीक्षित किया जायेगा तथा कारण बताओ नोटिस के पश्चात् शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

9–सूची का प्रकाशन एवं आपत्तियों की प्राप्ति–(1) जब सम्पूर्ण नगर या उसके किसी भाग की निर्धारण सूची तैयार हो जाय तब नगर पालिका या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी, उस स्थान एवं समय के सम्बन्ध में जहाँ और जब उक्त सूची का निरीक्षण किया जाये, ऐसे नगर में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में उसे प्रकाशित करायेगा।

(2) भवन के फर्शी क्षेत्रफल या आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल की गणना या अन्य प्रविष्टियों तथा छूटों के सम्बन्ध में आपत्तियां, अधिशासी अधिकारी को संबोधित करके सार्वजनिक सूचना प्रकशित किये जाने के पश्चात एक माह की अवधि के भीतर लिखित रूप में प्रेषित की जायेगी। तत्पश्चात् मासिक किराया दर के निर्धारण से संबंधित किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

(3) नगरपालिका या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी, आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आपत्तियों का निस्तारण करेगा।

करों का भुगतान–

अधिशासी अधिकारी, नियम 4, 7 और 8 के अधीन भवन या भूमि या दोनों के–

(क) वार्षिक मूल्य पर निर्धारित कर भुगतान हेतु स्वामी या अध्यासी को, उस रीति से जैसा कि वह उचित समझे बिल भेजेगा जिसमें एक ऐसा दिनांक उपदर्शित किया जायेगा, जब तक यह अधिसूचित बैंकों या नगर पालिका के कार्यालय में जमा किया जायेगा। यदि विहित दिनांक तक कर की सम्पूर्ण धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उस धनराशि पर, जो असंदत्त रह गई हो, दस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, कर भुगतान के लिये निर्धारित दिनांक से भुगतान के दिनांक तक संदेय होगा।

(ख) रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम, 1972 के अधीन आने वाले आवासीय भवनों पर नगर पालिका परिषद, मीरजापुर प्रत्येक करों की गणना के लिये वार्षिक किराये का निर्धारण रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम के अन्तर्गत नही होगा अब इसके किराये का निर्धारण उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा या ऐसे भवनों के करों की देयता अब किरायेदार की होगी। जिन भवनों/व्यपारिक भवनों में किरायेदार और सर्वे में भवन स्वामी का पता नही चलता है तो ऐसे भवनों में किरायेदार/अध्यासी को ही गृहकर, जलकर, सीवरकर का मुल्यांकन करना होगा।

(ग) (क) गृहकर/जलकर/की देयता वार्षिक होगी। 01 अप्रैल से 30 जून तक वर्तमान वित्तीय वर्ष के लागू करों में 10 प्रतिशत की छुट दी जायेगी।

(घ) जब कभी भवन स्वामी द्वारा अध्यासित भवन को किराये पर दिया गया हो किराये से वापस अपने अध्यासन में लिया गया हो तो 03 माह के अन्दर प्रपत्र-क में ही पुनः विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(ङ) जब किसी भवन के कारपेट एरिया/भूमि के क्षेत्रफल अथवा दोनों में कोई परिवर्तन या परिवर्द्वन किया जाता है तो उसके 03 माह के अन्दर यथा स्थिति भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा प्रपत्र-क में पुनः प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(च) **कर निर्धारण दर**—गृहकर वार्षिक मूल्यालयंन 10 प्रतिशत तथा जलकर वार्षिक मूल्याकंन का 10 प्रतिशत देय होगा।

स्वकर निर्धारण—भवन या भूमि या दोनों के सम्बन्ध में कर भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी, अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर स्वयं अवधारित कर सकता है और उसके द्वारा इस प्रकार निर्धारित कर को स्व निर्धारण विवरण के साथ आनलाइन, चेक, संदाय आदेश या अन्य उपयुक्त ढंग से अधिसूचित बैंक या नगर पालिका कार्यालय में जमा कर सकता है।

शास्ति

(1) अधिशासी अधिकारी यथास्थिति, प्रस्तुत किये गये भवन के फर्शी क्षेत्रफल या आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल के विवरणों या स्व निर्धारण के अन्य विवरणों की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत विवरणों की यादृच्छिक जांच की व्यवस्था करेगा और ऐसे मामलों में जहां भवन के फर्शी क्षेत्रफल या आच्छादित क्षेत्रफल के किसी भाग या भूमि के क्षेत्रफल के किसी भाग को छिपाया गया हो। तद्संबंध में त्रुटि पूर्ण विवरण दिया गया हो, वहां वह यथास्थिति स्वामी या अध्यासी को दो सप्ताह के भीतर यह कारण बताने का नोटिस जारी करेगा कि क्यों न क्षेत्रफल को छुपाने अथवा सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण विवरण के कारण कर में होने वाले अन्तर के अनधिक चार गुने की शास्ति अधिरोपित की जाय।

(2) यथास्थिति, स्वामी या अध्यासी द्वारा दिये जाने वाले किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जाँच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, अधिशासी अधिकारी ऐसी शास्ति जो नोटिस के अनुसार अधिक न हो, अधिरोपित कर सकता है और कर धनराशि के साथ उसे वसूल किये जाने का आदेश दे सकता है।

(3) नियम 3 के उपनियम (1) और (3) के अधीन नियत समय के भीतर अपेक्षित विवरण प्रस्तुत न किये जाने की दशा में, अधिशासी अधिकारी ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकता है जो भूमि के क्षेत्रफल 50 वर्ग मी0, 200 वर्ग मी0, 400 वर्ग मी0 तक तथा उससे अधिक होने पर क्रमशः रु0 100.00, रु0 1000.00, रु0 5000.00 तथा रु0 25000.00 हो सकती है । परन्तु यह कि 30 दिन के विलम्ब की स्थिति में, शास्ति का 5 प्रतिशत बिलम्ब शुल्क के रूप में जमा किया जाएगा। नियम 8 के अधीन निर्धारण सूची तैयार करते समय नियत समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में नियम 4 के अधीन प्रस्तावित फर्शी क्षेत्रफल की दरों का प्रयोग शास्ति के अतिरिक्त किया जायेगा।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति जो नियम 3 के उपनियम (4) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा सम्पत्ति कर की दोगुनी धनराशि अथवा प्रतिदिन रु0 500.00 की दर से, जो भी कम हो, शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा।

शास्तिकर प्रशमन

नियम 12 के उपनियम (1), (3) और (4) के अधीन अधिशासी अधिकारी द्वारा शास्तियों का गुणावगुण के आधार पर प्रशमन, शास्ति की अधिकतम धनराशि के एक तिहाई से अन्यून तथा आधे से अनधिक धनराशि पर किया जा सकता है।

मनोज कुमार जायसवाल,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, मीरजापुर।

कार्यालय, नगर निगम, मुरादाबाद

02 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 560/एस0टी0/सहा0न0आ0/न0नि0मु0/2020—नगर निगम, मुरादाबाद की सीमान्तर्गत डेंगू चिकनगुनिया, कालाजार एवं अन्य संक्रामक रोगों की रोक-थाम हेतु उपविधि, 2019 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 541 की उपधारा 19 एवं 31 के अन्तर्गत बनायी गयी है, नगर निगम अधिनियम की धारा 543 के अन्तर्गत उपविधि दैनिक "आज", "अमर उजाला" एवं "हिन्दुस्तान" समाचार-पत्रों में दिनांक 06 नवम्बर, 2019 को प्रकाशित कर आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी। उक्त के सम्बन्ध में निर्धारित एक माह की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी। मा0 सदन की बैठक दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 को मा0 सदन के समक्ष प्रस्ताव को अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसे मा0 सदन द्वारा सर्वसम्मति से पास किया गया। कार्यवाही के उपरान्त नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 544 के अन्तर्गत अन्तिम रूप से गजट में प्रकाशित करने की कार्यवाही की जानी है। उपविधि हेतु प्रारूप निम्नवत् है—

नगर निगम, मुरादाबाद मलेरिया, डेंगू कालाजार एवं अन्य संक्रामक रोग/महामारी से रोकथाम एवं नियन्त्रण उपविधि, 2019

1—संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं विस्तार—

- यह उपविधि नगर निगम, मुरादाबाद मलेरिया, डेंगू कालाजार एवं अन्य संक्रामक रोग/महामारी से रोकथाम एवं नियन्त्रण उपविधि कही जायेगी।
- यह नगर निगम, मुरादाबाद की सीमा में प्रवृत्त होगी।
- यह उपविधि नगर निगम सीमा क्षेत्र में शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2—परिभाषाएं—जब तक संदर्भ में अपेक्षित न हो इस उपविधि में—

- "नगर आयुक्त" का तात्पर्य नगर निगम के नगर आयुक्त से है।
- "नगर स्वास्थ्य अधिकारी" से तात्पर्य नगर निगम, मुरादाबाद के नगर स्वास्थ्य अधिकारी से है।
- "संक्रमित क्षेत्र" का तात्पर्य नगर निगम, मुरादाबाद की परिसीमन के अन्तर्गत आने वाला वह क्षेत्र जो शासन की अधिसूचना के अन्तर्गत मलेरिया, डेंगू कालाजार या किसी संक्रामक रोग/महामारी के प्रकोप के संकट, संक्रमित क्षेत्र महामारी अधिनियम संख्या 03 सन् 1897 तत्सम्बन्धित उत्तर प्रदेश मलेरिया, डेंगू, कालाजार या आशंकाग्रस्त क्षेत्र उद्घोषित कर दिया गया हो।

3—प्रतिषेध—

नगर निगम अन्तर्गत क्षेत्र में या जिसे संक्रमित क्षेत्र अथवा आशंकाग्रस्त क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा उद्घोषित किया गया हो, ऐसे क्षेत्र में नगर आयुक्त/नगर स्वास्थ्य अधिकारी—

(1) किसी भी पशु, निवास, गली, दुकान, मोहल्ले, कॉलोनी, मलिन बस्ती, और निम्नस्थ क्षेत्र आदि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की छत युक्त संरचनाओं सहित सभी प्रकार के परिसर में कोई भी भवन सम्पत्ति स्वामी अथवा अध्यासी—

[अ] ऐसी कोई प्रवाहहीन या प्रवाहशील जल संग्रह नहीं करेगा या अंगरक्षित नहीं करेगा, जिसमें मच्छर पैदा होते हों, या उनके पैदा होने की संभावना हो।

[ब] किसी प्रकार का जल संग्रह नहीं करेगा, न करने देगा, और न होने देगा, जब तक कि ऐसा जल संग्रह मच्छरों के पैदा होने के सम्बन्ध में प्रवाही रूप से सुरक्षित न कर लिया हो।

[स] किसी नये भवन का निर्माण या निर्मित भवन का अध्यासन तब तक प्राप्त नहीं करेगा जब तक की तत्सम्बन्धित भवन परिसर में मच्छर रोधी प्रणाली से सम्बन्धित आवश्यकतायें उपलब्ध न हों।

4–अभिज्ञापन–

किसी प्रवाहहीन या प्रवाहशील जल में लार्वा और प्यूमा का प्राकृतिक रूप से विद्यमान होना इस तथ्य का प्रमाण होगा की सम्बन्धित भवन परिसर संस्था, कार्यालय या निवास से सम्बन्धित ईकाईयों में विद्यमान ऐसे जल में पैदा हो रहे हैं।

5–मच्छरों का कीटनाशक से उपचार–

(1) नगर स्वास्थ्य अधिकारी सम्बंधित क्षेत्रों में जिन रुके हुये या बहते हुये पानी के स्थानों में जहां मच्छर पनप रहे हों, या पनपने की संभावना है, उन सभी के स्वामियों, अध्यासी जनों को लिखित नोटिस द्वारा सूचित करके निर्दिष्ट समय में (24 घण्टे से कम नही) उन क्षेत्रों में भौतिक, रसायन अथवा जैविक या किसी भी विधि से जिसे नगर स्वास्थ्य अधिकारी उचित समझते हों उन प्रजनन स्थलों की, क्षेत्रों की उपचारिता करायेंगे।

(2) सम्बंधित क्षेत्र में स्थित भवन परिसर संस्था कार्यालय या निवास से सम्बंधित ईकाईयों में जहां विद्यमान ऐसे जलों में लार्वा और प्यूमा सम्बंधित सम्बंधित भवन स्वामी या अध्यासी को नोटिस दिये जाने के बाद भी यदि किसी प्रकार का कोई उपचार नही किया जाता है तथा नोटिस का अनुपालन नही किया जाता है तो सम्बंधित भवन स्वामी/अध्यासी से नगर निगम सम्पत्ति कर की तरह वसूल किया जायेगा।

(3) उपविधि के अधीन अधिभोगी, अध्यासी, किरायेदार को यदि नोटिस दिया जाता है और उसके विपरीत कोई कारनामा व्यक्त (एक्सप्रेसड) या व्यंजित (एम्प्लाइड) नहीं हुआ है, तो भवन स्वामी से नोटिस मे वर्णित उपायों पर खर्च की गयी धनराशि वह वसूल कर सकता है अथवा भवन/परिसर स्वामी को देय में से काट सकता है।

6–व्यतिक्रम अथवा चूक पर कार्यवाही–

उपविधि (5) के अन्तर्गत वह व्यक्ति जिसे नोटिस जारी किया गया है, नोटिस में विहित उपचार निर्दिष्ट समय में न करने/उपचार करने से मना करने की दशा में नगर स्वास्थ्य अधिकारी उक्त उपाये से करवा सकता है और तत्सम्बन्धित व्यय यथास्थिति भवन/परिसर स्वामी, किरायेदार अथवा अध्यासी से वसूल कर सकता है। मानों वह सम्पत्ति कर का बकाया हो।

7–मच्छर रोधी संरचनाएं (कीट सुरक्षा)–

किसी भी भूमि या भवन में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए स्थानीय प्राधिकरण या शासन के निर्देश से अधिभोगी ने यदि कोई निर्माण कार्य करवाया है, तो नगर आयुक्त उस भवन या भूमि का उपयोग किसी ऐसे काम के लिए रोक सकता है, जो मच्छर रोधी इन संरचनाओं को क्षति पहुंचाये या कार्यकुशलता में गिरावट लाये।

8–मच्छर निवारण/नियंत्रण कार्य में दखलन्दाजी या हस्तक्षेप पर रोक–

नगर स्वास्थ्य अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्मित संरचना या सामग्री या वस्तु से जो उस स्थान पर या उस भवन में मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिए नगर आयुक्त/नगर स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश से बनी हो या रखी हो किसी भी प्रकार की छेड़-छाड़ नहीं करेगा न ही उसे बिगाड़ेगा, न नष्ट करेगा और न बेकार करेगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस उपविधि का उल्लंघन किया जाता है, तो नगर आयुक्त/नगर स्वास्थ्य अधिकारी फिर उस संरचना को बनवायेगा या उस सामग्री के स्थान पर नई सामग्री रखेगा और उसका खर्च उस व्यक्ति से वसूल करेगा मानो वह सम्पत्ति कर का बकाया हो।

9–मच्छरों के पात्र या बर्तन–

घर, भवर, शेड (सायबान) या जमीन का मालिक या किरायेदार वहां पर कोई बोतल, बर्तन बाल्टी डिब्बा या अन्य कोई पात्र, साबुत या टूटा हुआ, इस तरह से नही रखेगा कि उसमें पानी जमा होने की सम्भावना हो या पानी भरा रहे, जिससे उसमें मच्छर पैदा हों।

10–निर्माण कार्य जैसे सड़क निर्माण करने, रेलपथ बिछाने, घाट बनाने के समय जमीन में खोदे गये गड्ढे (बोरा पिट) इस प्रकार होंगे कि उनमें पानी न भरा रहे। जहां भी सम्भव और व्यवहार्य हो, इन गड्ढों के किनारों को साफ रखा जाये। एक प्रतिशत का अतिरिक्त खर्चा इस काम के लिए किया जाये। गड्ढों के तले में इस प्रकार ढाल और आखिर में सबसे समीप के नाले में गिर जाये। कोई भी व्यक्ति अलग से कोई गड्ढे नहीं बनवायेगा जिसमें पानी जमा हो और मच्छर पैदा हों।

11–यदि मच्छरों की रोकथाम की किसी योजना को कार्यान्वित करने के सम्बंध में किसी प्रकार का विवाद या मतभेद हो या इन उपबन्धों के अधीन कोई ऐसा निर्माण कार्य हो, जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार में मतभेद हो, तो इस मामले में भारत सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

12–स्वास्थ्य कर्मचारियों को भवन/परिसर में प्रवेश करने/निरीक्षण का अधिकार–

इस उपविधि के प्रर्वतन हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी या सफाई एवं खाद्य निरीक्षक या कोई अन्य अधिकारी उचित समय पर लिखित नोटिस या सूचना देने के बाद विवके स-समय पर अपने क्षेत्राधिकार की किसी जमीन या भवन में प्रवेश कर सकेगा और इस हेतु भवन का यथास्थिति, मालिक या किरायेदार इस प्रवेश और निरीक्षण में अपना पूरा सहयोग देगा और वह सभी जानकारी देगा जिसकी मलेरिया, डेंगू, कालाजार, एवं अन्य संक्रामक रोग नियंत्रण एवं रोकथाम कार्य में जरूरत है।

13–प्रशासनिक एवं सार्वजनिक स्थान के अतिरिक्त समय-समय पर मांग/डिमान्ड के दृष्टिगत विभिन्न संक्रामक रोगी/महामारी के समय निगम द्वारा निम्न अनुसार शुल्क प्राप्त कर फौगिंग/कीटनाश्क/सैनीटाईजर स्प्रे कराया जायेगा।

क्रमांक	उपभोक्ता की श्रेणी	शुल्क
1	2	3
		रु0
1	निजि परिसर/व्यवसायिक भवन कवर क्षेत्रफल 200 वर्ग मी0 तक	500.00
2	निजी परिसर/व्यवसायिक भवन कवर 200 वर्ग मी0 से 500 वर्ग मी0 तक	1,000.00
3	निजी परिसर/व्यवसायिक भवन कवर 500 वर्ग मी0 से अधिक 1000 वर्ग मी0 तक	2,000.00
4	कामर्शियल क्षेत्र जैसे मॉल, हॉस्पिटल, जिम, फैक्ट्री आदि हेतु	3,000.00
5	10 बेड से कम वाले हॉस्पिटल, क्लीनिक, डिस्पेन्सरी, मेडिकल स्टोर आदि से फौगिंग/स्प्रे/सैनेटाईजेशन	2,000.00
6	जो उपरोक्त में सम्मिलित न हो (न्यूनतम व अधिकतम)	500-2,000.00

बाईलाज लागू होने की तिथि से प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ दरें मान्य होंगी।

शास्ति/दण्ड

शासन द्वारा इस सम्बंध मे निर्गत निर्देश/अनुदेश/आदेश/व्यवस्थायें इन उपविधियों के अधीन अंश माने जायेंगे। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 467 प्रदत्त शक्ति के अधीन मुरादाबाद, नगर निगम एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि इस उपविधि के किसी भी प्राविधान के उल्लंघन पर रुपया 5,000.00 जुर्माना किया जा सकेगा और अपराध जारी रहने पर प्रथम अवहेलना की दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अवहेलना जारी रखी गयी हो जुर्माना, रु0 500.00 तक हो सकता है। प्रशमन शुल्क व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा आई0पी0सी0 133 व अन्य धाराओं में वाद पंजीकृत किया गया है।

ह0 (अस्पष्ट)
सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुरादाबाद।

कार्यालय, नगर निगम, अयोध्या

26 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 1054/ले0(पेंशन)न0नि0अयो0/2018-19—नगर निगम अयोध्या के अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों के सेवानैवृत्तिक लाभ एवं भविष्य निधि हेतु उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 548 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के खण्ड (छ) सपठित उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत नगर निगम अयोध्या ने अकेन्द्रीयित सेवाओं के कर्मचारियों के सेवानैवृत्तिक लाभ तथा भविष्य निधि विनियम, 2018 जो दिनांक 11 मई, 2017 अर्थात नगर निगम अयोध्या के गठन की तिथि से प्रभावी होगा।

अतः एतद्द्वारा अधिनियम की धारा 548 की उपधारा (1) सपठित उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रकाशित किया जाता है।

नगर निगम अयोध्या के अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों के सेवानैवृत्तिक लाभ एवं भविष्य निधि विनियम, 2018

(उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 548 (1) (च) और (छ) के अन्तर्गत)

1—(1) यह विनियम नगर निगम अयोध्या के अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों के सेवानैवृत्तिक लाभ एवं भविष्य निधि विनियम, 2018 कहलायेगा।

2—**परिभाषायें**—जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात इन नियमों में प्रतिकूल न हो—

(1) 'अधिनियम अथवा ऐक्ट' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है।

(2) 'औसत परिलब्धियों' से तात्पर्य है सेवानिवृत्ति के दिनांक से पूर्व 10 मास में प्राप्त परिलब्धियों से है, यदि दस माहों में छुट्टी का समय सम्मिलित हो तो उस समय के लिए अगर छुट्टी पर न हुआ तो स्थायी नियुक्ति के लिए जो परिलब्धियाँ प्राप्त (एडमिसिबल) होती हैं, परिलब्धियाँ समझी जायेंगी।

प्रतिबन्ध यह है कि अधिनियम की धारा 577 (ड़) में वर्णित किसी अधिकारी/कर्मचारी के विषय में यदि नियत दिन के पूर्व स्थायी हो चुका हो तो औसत परिलब्धियाँ निकालने के नियत दिन के पहले तथा नियत दिन में उसके पश्चात् नगर निगम के अन्तर्गत की गई सेवा के समय स्थायी नियुक्ति का समय तथा इस समय में मिलने वाला वेतन स्थायी वेतन माना जायेगा।

(3) परिलब्धियाँ (एमालूमेण्ट्स) से तात्पर्य—

(क) वेतन, फाईनेंशियल हैण्डबुक वाल्यूम-2 के भाग-2 से 4 में दिये गये फण्डामेंटल रूल-9 (21) में दी गयी है।

परिभाषा के अनुसार है तथा प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त अथवा मृतक जैसी भी दशा हो, के समय छुट्टी पर हो तो परिलब्धियाँ (एमालूमेण्ट्स) जो उसे प्राप्त होती यदि वह उस समय अवकाश पर होता, परिलब्धियाँ समझी जायेगी।

(4) 'परिवार' में किसी अधिकारी/कर्मचारी के नीचे लिखे सम्बन्धी सम्मिलित होंगे :

(क) पत्नी, पुरुष अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में।

(ख) पति, स्त्री अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में।

(ग) पुत्र।

(घ) अविवाहित अथवा विधवा पुत्रियाँ (उसमें सौतेले बच्चे और गोद लिये बच्चे भी सम्मिलित होंगे)।

(ङ) भ्राता-18 वर्ष के कम आयु का तथा अविवाहित और विधवा बहनें (जिनमें सौतेले भाई तथा सौतेली बहन सम्मिलित होंगी)।

(3) मुख्य नगर लेखा परीक्षक—मुख्य नगर लेखा परीक्षक का तात्पर्य नगर निगम में नियुक्त मुख्य नगर लेखा परीक्षक से है।

(4) लेखाधिकारी—लेखाधिकारी का तात्पर्य नगर निगम में नियुक्त लेखाधिकारी से है।

(5) निवृत्त वेतन पद से तात्पर्य ऐसे पदों से है जिनके सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन बातें होती हैं–

[1] पद उत्तर प्रदेश नगर निगम सेवा नियमावली 1962/सेवा आज्ञा, 1963 के अन्तर्गत नगर निगम अयोध्या के किसी संवर्ग में हो।

[2] नियोजन मौलिक और स्थायी हो।

[3] सेवा कार्य के लिए भुगतान नगर निगम अयोध्या से किया जा रहा हो।

(7) अर्हकारी सेवा का तात्पर्य ऐसी सेवा से है जो सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुसार सेवानिवृत्त लाभ प्राप्त करने के योग्य बनाती है।

(8) सेवा-निवृत्ति से तात्पर्य है कि किसी अधिकारी/कर्मचारी का नगर निगम की सेवा अवधि पूर्ण करने में असमर्थ होने पर बाध्य किये जाने पर 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अथवा सेवा सम्बन्धी किसी नियम के अनुसार स्वेच्छा से निवृत्ति ग्रहण करने अथवा स्थायी नियुक्ति वाले स्थायी पद को टूटने पर उसकी नियुक्ति स्थायी पद पर हो सकने की दशा में सेवानिवृत्ति होने से है। प्रतिबन्ध यह है कि अधिकारी/कर्मचारी ने 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के साथ–साथ 45 वर्ष की आयु भी पूर्ण कर ली हो।

(9) यह विनियम जिन कर्मचारियों पर लागू होगा उनके मूल वेतन + मंहगाई भत्ते का 15 प्रतिशत के अनुसार गणना कर पेंशन अंशदान के रूप में नगर निगम तथा वेतन निधि में स्थानान्तरित किया जायेगा यदि पेंशन अंशदान की धनराशि पेंशन एवं उपादान के लिए पूर्ण नहीं है तो नगर निगम अपने निजी स्रोतों/राज्य वित आयोग की धनराशि से कम पड़ रही धनराशि पेंशन निधि में स्थानान्तरित कर पेंशन एवं उपादान का भुगतान कर सकती है।

भाग-1

मृत्यु सम्मिलित सेवा-निवृत्त (डेथ कम रिटायरमेण्ट ग्रेच्युटी)

4–(1) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों पर यह विनियम लागू होंगे, उनको सेवानिवृत्ति एवं उपादान ग्रेच्युटी दिया जायेगा, जो उनकी उपलब्धियों के 16 1/2 गुने से अधिक न होकर वह धन होगा, जो उनके द्वारा की गई सेवा की कुल छमाही अवधि एवं अन्तिम आहरित परिलब्धियों के गुणांक के 1/4 के बराबर होगा।

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत मिलने वाला उपादान शासन द्वारा उ0प्र0 पालिका केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों के लिये समय-समय पर निर्धारित अधिकतम सीमा तक ही देय होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि–

(क) उपनियम-1 में वर्णित निवृत्ति उपादान केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुमन्य होगा, जिन्होंने पांच वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली हो। उदाहरणार्थ यदि मूल नियम-9 (21) (1) वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड द्वितीय, भाग-2 से 4 में परिभाषित वेतन रु0 1666.00 और पेंशन अर्हसेवा 30 वर्ष 6 माह है तो सेवा-निवृत्त उपादान (ग्रेच्युटी) रु0 1666.00 गुणा 61/4=25,315.00 रु0 होगी।

(ख) मृत्यु ग्रेच्युटी-मृत्यु उपादान (ग्रेच्युटी) की दर निम्न प्रकार है–

सेवा अवधि–

(1) एक वर्ष से अधिक परिलब्धियों का दो गुना।

(2) एक वर्ष से अथवा उससे अधिक, किन्तु पांच वर्ष से कम–परिलब्धियों का छः गुना।

(3) 5 वर्ष अथवा उससे अधिक, किन्तु 20 वर्ष से कम–परिलब्धियों का बारह गुना।

(4) 20 वर्ष या उससे अधिक अर्हकारी सेवा को प्रत्येक पूर्ण छमाही के लिए परिलब्धियाँ 1/2 के बराबर होगी, जिसकी न्यूनतम सीमा परिलब्धियों का 12 गुना एवं परिलब्धियों का 16.5 गुना अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित दरों के समान होगी।

नामांकन (नामिनेशन)–

5–(1) प्रत्येक नगर निगम कर्मचारी, जिस पर वह विनियम लागू हो, ज्यों ही वह किसी स्थायी सेवा–निवृत्त वेतनीय पद पर ग्रहणधिकार (लियन), प्राप्त करें, उस एक अथवा अधिक व्यक्तियों को उपादान (ग्रेच्युटी) जिस

विनियम-2 के उपनियम (4) के अनुसार प्राप्त करने के लिए नामांकित करेगा। प्रतिबन्ध यह है कि नामांकन करते समय अधिकारी/कर्मचारी का परिवार हो तो नामांकन परिवार के किसी एक सदस्य को अथवा अधिक सदस्यों का कर सकता है लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि परिवार के सदस्यों के होते हुए परिवार के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को नहीं कर सकता है।

(2) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी नामांकन में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो वह परिवर्तन उस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने सेवाकाल में ही किया जा सकता है किन्तु यदि आवश्यक हो तो सेवा-निवृत्त के बाद भी नगर आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से उसे नामांकन-पत्र में अपने पहले किए हुए नामांकन में परिवर्तन अथवा नया नामांकन प्रस्तुत करके किया जा सकता है।

(3) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को नामांकन-पत्र में निम्नांकित व्यवस्था करनी होगी :

(क) यह कि किसी निर्दिष्ट नामांकित व्यक्तियों को अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु से पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में नामांकित व्यक्ति का अधिकार नामांकन-पत्र में दिए हुए किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को ही की जाये। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि नामांकन करते समय अधिकारी के परिवार में एक से अधिक सदस्य हों तो इस प्रकार निर्दिष्ट किया हुआ व्यक्ति उसके परिवार के किसी सदस्य के अतिरिक्त न हो।

(ख) यह कि ऊपर कही हुई परिस्थिति के उत्पन्न होने पर नामांकन निरर्थक हो जायेगा।

(4) किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उस समय का किया हुआ नामांकन जब उसके परिवार नहीं था, अथवा नामांकन में उपनियम (3) के खण्ड (क) के अन्तर्गत की गई व्यवस्था जब, उसके परिवार में केवल एक ही व्यक्ति था जैसी भी दशा हो उस समय निरर्थक हो जायेगी, जब उसके परिवार हो जाये अथवा परिवार में कोई अतिरिक्त सदस्य हो जाये।

(5) (क) प्रत्येक नामांकन (क) से (ख) तक के किसी प्रपत्र में जो भी व्यक्ति विशेष की स्थिति में उचित हो किया जायेगा।

(ख) कोई अधिकारी/कर्मचारी किसी समय अपने नामांकन को नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा मनोनीत किये गये अधिकारी को लिखित नोटिस भेजकर रद्द कर सकता है, किन्तु

प्रतिबन्ध यह है कि वह अधिकारी/कर्मचारी उस नोटिस के बाद एक नया नामांकन-पत्र इन विनियमों के अनुसार उस नोटिस दिए जाने की तिथि से 15 दिन के अन्दर नगर आयुक्त को प्रेषित कर दें।

(6) किसी नामांकित व्यक्ति, जिसके अधिकार को उसकी मृत्यु के पश्चात् दूसरे नामांकित व्यक्ति को पाने की व्यवस्था नामांकन-पत्र में उपनियम (3) के खण्ड (ख) अथवा उपनियम (4) के अन्तर्गत निरर्थक हो जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी नगर आयुक्त को पूर्व नामांकन को रद्द करते हुए इन विनियमों के अनुसार सही नामांकन-पत्र के साथ, लिखित नोटिस भेजेंगे।

(7) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत भरे गये अपने नामांकन-पत्र अथवा उसको रद्द करने का नोटिस सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा मनोनीत किये गये अधिकारी को भेजे जाने चाहिए। नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी नामांकन-पत्र प्राप्त करने पर तुरन्त प्राप्ति व दिनांक लिखकर प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे तथा अपने तत्वाधान में रखेंगे।

(8) किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया गया पूर्व नामांकन अथवा उसको रद्द किये जाने की नोटिस जब तक वह अखण्डीय (वैलिड) हो नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये दिनांक से प्रभावी होगा।

(9) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी जिसका परिवार हो, अपने परिवार के एक अथवा अधिक सदस्यों का मृत्यु सम्मिलित सेवा-निवृत्त उपादान (डेथ कम रिटायरमेण्ट ग्रेच्युटी) पाने का नामांकन-पत्र द्वारा अधिकार दिये बिना मृत हो जाये तो उपादान (ग्रेच्युटी) विनियम (2) के उपनियम (4) में दी हुई श्रेणी के कम (क) से (घ) तक दिए सभी लिखित सदस्यों को विधवा पुत्री को छोड़कर समान भाग में वितरित कर दिया जायेगा, यदि इस प्रकार के जीवित सदस्य न हों, और एक अथवा अधिक विधवा पुत्रियाँ हों अथवा अधिकारी/कर्मचारी के परिवार में उपरोक्त उपनियम 2 (4) [श्रेणी के क्रम (ड़) से (झ) तक में वर्णित] एक से अधिक सदस्य हों तो उपादान (ग्रेच्युटी) का धन उन सभी व्यक्तियों में बराबर भागों में बांट दिया जायेगा।

भाग–2

पारिवारिक पेंशन

6–(क) **पारिवारिक पेंशन**–

(1) पारिवारिक पेंशन की दर निम्न प्रकार होगी–

उपरोक्त दर समय-समय पर मूल वेतन का 30 प्रतिशत होगी, किन्तु न्यूनतम पारिवारिक पेंशन उ0प्र0 केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों हेतु निर्धारित धनराशि से कम नहीं होगी।

(2) (क) पारिवारिक पेंशन के लिए–

परिवार की परिभाषा–

(1) पत्नी/पति।

(2) मृत्यु के दिन 21 वर्ष की आयु से कम पुत्र (सौतेले तथा सेवानिवृत्त से पूर्व विधिवत् गोद ली गई संतान भी सम्मिलित है)।

(3) मृत्यु के दिन 24 वर्ष से कम आयु की अविवाहित पुत्रियां।

[ख] पारिवारिक पेंशन निम्नलिखित दशाओं में अनुमन्य होगी–

(1) सर्वप्रथम विधवा/विधुर को आजीवन या पुर्नविवाह जो भी पहले हो तक मिलेगी।

(2) विधवा/विधुर की मृत्यु/पुर्नविवाह की दशा में ज्येष्ठतम् नाबालिग पुत्र को 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि तक जो पहले हो।

[ग] उपरोक्त (क) अथवा (ख) के पात्र व्यक्ति उपलब्ध न होने पर नाबालिग अविवाहित ज्येष्ठतम् पुत्री को 25 वर्ष की आयु अथवा विवाह होने की तिथि तक जो भी पहले हो, तक पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

[घ] इस विनियम के अधीन दी गई पेंशन एक ही समय में अधिकारी/कर्मचारी के परिवार के एक से अधिक सदस्य को देय नहीं होगी।

[ङ] विधवा/विधुर का पुर्नविवाह/मृत्यु हो जाने पर पेंशन उनके अव्यस्क संतानों को उनके प्राकृतिक अभिभावक (नेचुरल गार्जियन) के माध्यम से दी जायेगी किन्तु विवादास्पद मामलों में भुगतान विधिक अभिभावक (लीगल गार्जियन) के माध्यम से दिया जायेगा।

[च] प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी जो पेंशन योग्य दस वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होने पर अथवा सेवा में रहते हुए अथवा सेवानिवृत्त के बाद मृत्यु हो जाने की दशा में विधवा पत्नी/पति, जैसी स्थिति हो, या उसके न होने पर नाबालिग बच्चों को 25 वर्ष की आयु/जीवकोपार्जन क्षमता प्राप्त करने, जो भी पहले हो, तक अथवा पुत्री के मामलों में विवाह होने अथवा जीविकोपार्जन क्षमता प्राप्त करने तक तथा विधवा पत्नी को आजीवन पारिवारिक पेंशन देय होगी, जो पुर्नविवाह करने पर समाप्त हो जायेगी।

[छ] इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पेंशन नियमों में संशोधन करने पर सम्बन्धित नियम नगर निगम अयोध्या कर्मचारी सेवा-निवृत्त सुविधा पर भी लागू होंगे।

भाग-3

सेवा-निवृत्त पेंशन

7–(1) अधिवर्ष निवृत्ति, अशक्त या अन्य प्रकार से निवृत्ति वेतन, या उपादान की धनराशि उत्तर प्रदेश के केन्द्रीयित पालिका सेवा के कर्मचारियों पर लागू प्रक्रिया और सूत्र के अनुसार संगणित समुचित धनराशि होगी और वह धनराशि पूरे रुपया से अभिव्यक्त की जायेगी तथा जहां भी नियमानुसार गणना करने पर मासिक निवृत्ति वेतन में रु0 से कम कोई धन न हो तो वह अगले रु0 में बदल दी जायेगी।

(2) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगर निगम कर्मचारियों के लिए स्वीकृत पेंशनरों को मंहगाई भत्ता या अन्य प्रकार की कोई राशि उसी के अनुसार नगर निगम के पेंशनरों को देय होगी। जो नगर आयुक्त से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर दी जा सकेगी।

(3) कोई विशिष्ट अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत नहीं की जायेगी।

पेंशन का आगणन–

पेंशन की धनराशि मूल नियम 9 (21) (1) में परिभाषित सेवा-निवृत्ति के अन्तर्गत दस मास के औसत वेतन का 50 प्रतिशत होगी, पूर्ण पेंशन पाने के लिए सेवा की 66 छमाही अनवरत अर्हकारी सेवा होनी चाहिए किन्तु छठवें वेतन आयोग के अनुसार 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पर 50 प्रतिशत पेंशन मान्य है। 80 वर्ष या अधिक आयु करके बुजुर्ग पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन देय है। बशर्ते, निगम, अधिकारी/कर्मचारी ने 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली है, यदि पेंशन अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो, यदि पेंशन अर्हकारी सेवा की अवधि कम हो तो पेंशन की धनराशि उसी अनुपात से कम हो जायेगी। पेंशन का आगणन उ0प्र0 पालिका केन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों की भॉति किया जायेगा।

उदाहरणार्थ–यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी 30 नवम्बर, 2008 को 33 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होता और उसका वेतन उस तिथि से रु0 10,200 था तथा 1 जुलाई, 2008 के पूर्व रु0 9,800.00 वेतन पा रहा था तो इसकी औसत परिलब्धि निम्न प्रकार होगी–

वेतन-01 फरवरी, 2008 से 30 जून, 2008 (9800 × 5)	=	49,000
वेतन-01 जुलाई, 2008 से 30 नवम्बर, 2008 (10200 × 5)	=	51,000
योग	=	1,00,000

औसत वेतन - 1,00,000/10 = 10,000

पेंशन – 10,000 × 33/66 = 5,000.00

यदि उक्त तिथि को उसने 25 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो पेंशन निम्न होगी–

10,000 × 25/66 = 3,787.87 अर्थात् 3,788.00

भाग-4

संराशिकरण (कम्युटेशन)

नगर निगम अयोध्या में संराशिकरण की सुविधा देय न होगी।

भाग-5

विविध

8–नगर निगम पावतों की वसूली–(1) नगर आयुक्त की स्वीकृति से उपादान अथवा स्वीकृत पारिवारिक पेंशन के धनांक से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा नगर निगम को देय कोई धन काटा जा सकता है।

बर्खास्तगी का प्रभाव–

(2) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी किसी कारण बर्खास्त कर दिया गया हो अथवा निकाल दिया गया हो तो साधारणतयः उसे अथवा उसके परिवार को कोई उपादान अथवा पारिवारिक पेंशन देय न होगी किन्तु यदि कार्यकारिणी समिति ऐसा निश्चय करें तो विनियम-4 के अन्तर्गत प्राप्त हो सकने वाले उपादान के धनांक का आधा भाग दया के आधार पर स्वीकृत कर सकती है।

(3) शासन द्वारा अपनायी गयी नीति एवं शासनादेशों के अनुपालन एवं उसी रीति से संशोधित भी किये जा सकेंगे।

9–निवृत्ति वेतन निधि तथा अंशदान–इन विनियमों के अन्तर्गत जिन पर यह विनियम लागू होंगे उनके वेतन तथा महंगाई भत्ते के 12 प्रतिशत की दर से अथवा समय-समय पर शासन द्वारा संशोधित दरों पर पेंशन अंशदान प्रत्येक मास उस तिथि से जिससे उनका वेतन देय हो, निकालकर सेवानिवृत्ति वेतन निधि में जमा करेंगे। यह निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोली जायेगी। यदि किसी समय उपरोक्त खाते में सेवानिवृत्ति वेतन अथवा उपादान के भुगतान के लिए आवश्यकतानुसार धन हो तो नगर आयुक्त नगर निगम निधि से आवश्यक अग्रिम देंगे और बाद में उसे निवृत्ति वेतन निधि से निकालकर निगम निधि में जमा करेंगे अथवा देय पेंशन अंशदान में समायोजित करेंगे। पेंशन निधि में धन उपलब्ध होने पर उसे विनियोजित भी कराया जा सकता है।

10–निवृत्ति वेतन और उपादान की स्वीकृति विधि–(क) प्रत्येक कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति होने के बाद और प्रत्येक दशा में उसके एक महीने के भीतर उसके विभागीय अधिकारी/अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रविष्टियां सेवा पुस्तिका या सेवा रोल में उल्लिखित की जायेंगी।

(ख) 1–विभागीय अधिकारी द्वारा सारी जांच अन्वेशण के पश्चात् परिणाम अभिलिखित कर दिये जाने चाहिए।

(ख) 2–सेवा की अविच्छिन्नता समानान्तर प्रमाण-पत्र पर निर्धारित की जानी चाहिए। जहां तक कि सम्भव हो प्रथम वर्ष और अन्तिम तीन वर्षों की सेवा निश्चित रूप से प्रमाणित की जानी चाहिए। प्रथम वर्ष की सेवा यदि वे मिल सके तो सेवा पुस्तिका स्केल रजिस्टर, एक्वेंन्टेन्स रोल अथवा असली वेतन बिल से की जानी चाहिए। यदि इस प्रकार के लेखा 'रिकार्ड' उपलब्ध न हो तो प्रथम वर्ष की सेवा के लिए उस अधिकारी जिस पर पेंशन सम्बन्धित पत्रावली तैयार करने का दायित्व हो, का अभिलेख स्वीकार किया जायेगा। विभागीय अधिकारी को प्रथम वर्ष की सेवा प्रमाणीकरण उपरोक्त आधार पर ही करना चाहिए। यदि पेंशन का आधार समकालीन सहवर्ती, प्रमाण पत्र पर आधारित हो तो उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। अन्तिम 3 वर्ष की सेवा का प्रमाणीकरण उपरोक्त आधार पर वास्तविक अभिलेखों द्वारा किया जाना चाहिए। इससे पूर्व की सेवाकाल को भी जो सहवर्ती प्रमाण उपलब्ध हो उनके आधार पर स्वीकार कर लेना चाहिए।

(ख) 3–यदि किसी सेवाकाल का (ख-2) के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है और उस काल में उपलब्ध किये गये सवैतनिक अथवा अवैतनिक अवकाशों के प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध हो तो उस समय के लिए स्वीकृत सेवाकाल निम्न प्रकार निकाला जावे–

(1) उपार्जित अवकाश के लिए यह माना जाना चाहिए कि अधिकारी/कर्मचारी ने पूरा अवकाश उपभोग किया है। अन्य देय अवकाश के सम्बन्ध में जब तक अन्यथा प्रमाण न हो यह माना जाना चाहिए कि उनका उपयोग किया गया है। यदि अधिकारी/कर्मचारी ने अवैतनिक अवकाश प्रायः लिया हो और उसका पूर्ण विवरण उपलब्ध न हो या शंकाजनक हो तो किसी एक वर्ष में ऐसे अवकाश का अधिकतम काल ही उतना इस प्रकार का अवकाश विवरण उपलब्ध न होने वाले या शंकाजनक सेवाकाल के पूरे वर्षों में प्रत्येक वर्ष माना जायेगा।

(2) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी सेवा पुस्तिका की सेवा पुस्तिका या सेवा रोल अथवा लेखों में उसके बिना वेतन अनुपस्थित के प्रमाण पाये जाते हैं और इस प्रकार की अनुपस्थिति के बाद भी अन्य प्रयोजनों के लिए उसकी सेवा लगातार मानी गयी हो तो किसी एक वर्ष में ऐसी अनुपस्थिति का जो अधिकतम काल हो उतनी अनुपस्थिति उसके सेवाकाल के प्रत्येक वर्ष में मानी जायेगी। जिसका पूरा विवरण सेवा पुस्तिका या सेवा रोल में अभिलिखित नहीं है।

(ख) 4–यदि सेवा पुस्तिका या सेवा रोल उपलब्ध है और उसकी प्रविष्टियों की पुष्टि या प्रमाणीकरण न हुआ हो तो उसमें दिए गए सेवाकाल को व्यक्तिगत पत्रावलियों आदि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रमाणित किया जाना चाहिए। जहां इस प्रकार के अभिलेख उपलब्ध न हो तो उस काल के लिए अधिकारी से सादे कागज पर दो सहवर्ती अधिकारियों द्वारा प्रमाणित अभिलेख प्राप्त करके रखना चाहिए। यदि इस प्रकार का प्रमाण स्वीकार करने में कोई कठिनाई प्रतीत हो तो विभागीय अधिकारी द्वारा अपना अभिमत उल्लिखित कर देना चाहिए तथा उसी के अनुसार सेवाकाल स्वीकार किया जाना चाहिए।

(ख) 5–पेंशन सम्बन्धी विवरण का आडिट निम्नांकित विधि से किया जायेगा, जब तक कोई विशेष आशंका न हो। साधारण तथा सारी सेवा के सम्बन्ध से की प्रविष्टियों की पुष्टि के लिए निम्नलिखित की विशेष जांच की जानी चाहिए :

[क] स्थायी नियुक्ति की प्रथम वर्ष की सेवा तथा पूर्व की अर्हकारी सेवा।

[ख] अन्तिम तीन वर्षों की अर्हकारी सेवा।

[ग] .....चुने गये किसी दो या तीन वर्षों की सेवा।

[घ] यदि सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि, परिवर्तन, बर्खास्तगी आदि की प्रविष्टियां हो तो उनकी जांच की जानी चाहिए।

[ङ] यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का सेवाकाल 33 वर्ष से अधिक का हो तो उसकी स्थायी नियुक्ति के प्रथम वर्ष के पूर्व की प्रविष्टियों की जांच आवश्यक नहीं है। उसकी सेवा पुस्तिका तथा सम्बन्धित अन्य विवरणों की प्रपत्र (च) के साथ पूरा करके लेखाधिकारी को भेजेंगे। लेखाधिकारी सेवा-निवृत्ति वेतन के धनांक तथा अन्य विवरणों की जांच कर मुख्य नगर लेखा परीक्षक की जांच के लिए सम्बन्धित कार्यालय भेजेंगे। उनकी जांच के बाद सेवा-निवृत्ति वेतन तथा उपादान का धनांक नगर आयुक्त अथवा मुख्य नगर लेखा परीक्षक की जांच के लिए सम्बन्धित कार्यालय भेजेंगे। उनकी जांच के बाद सेवा अधिकारियों के विषय में स्वीकृत किया जायेगा तथा लेखाधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त वेतन भुगतान आदेश प्रपत्र 'छ' अधिकारी को भेजा जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नगर आयुक्त अथवा मुख्य नगर लेखा परीक्षक (अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सम्बन्ध में) को यह संतोष हो जावें कि किसी अधिकारी/कर्मचारी के उपादान तथा सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) की स्वीकृति में अत्यधिक विलम्ब होगा तो वह सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रपत्र-झ में घोषणा पत्र देने पर प्रत्याशित मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान और सेवानिवृत्ति वेतन का भुगतान स्वीकृत कर सकते हैं। इस प्रकार के भुगतान का

धन लेखाधिकारी द्वारा अत्यधिक सावधानीपूर्वक ऐसे संक्षिप्त परीक्षण जिसे वह अविलम्ब कर सके, निर्धारित किये मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान और मासिक सेवानिवृत्ति वेतन की धनराशि का 75 प्रतिशत से अधिक न होगा।

सेवानिवृत्ति वेतन तथा उपादान के भुगतान की विधि–

(1) सेवानिवृत्ति वेतन लेखाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा। भुगतान चेक द्वारा अथवा सीधे से0नि0 कर्मचारी/पारिवारिक पेंशनर के बैंक खाते में किया जायेगा। भुगतान के लिए सेवानिवृत्ति वेतन पाने वाले व्यक्तियों को अपनी सेवानिवृत्ति वेतन पुस्तिका तथा प्रपत्र-ज में आवश्यक विवरण भरकर लेखाधिकारी को देना होगा। प्रपत्र-ज में निवृत्ति भुगतान आदेश पाने पर लेखाधिकारी अथवा कोई विभागीय अधिकारी की उपस्थिति में जीवित होने के प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा तदोपरान्त पेंशनर को चेक दी जायेगी। इन विनियमों के अन्तर्गत भुगतान होने वाले उपादान के भुगतान में भी निवृत्ति वेतन के भुगतान की रीति काम में लाई जावेगी।

(2) यदि कोई अधिकारी अपने सेवानिवृत्ति वेतन का भुगतान डाकघर के मनीआर्डर द्वारा चाहता है तो प्रपत्र-ज भरकर तथा उस पर पिछले मास की सेवानिवृत्ति वेतन भुगतान की रीति और दिनांक लिखकर अपने जीवित होने का किसी राजपत्रित (गजेटेड) राजकीय अधिकारी से उसकी मोहर के साथ प्रमाणित कराकर शेष धनराशि का मनीआर्डर भेजेंगे और किए गये भुगतान की सेवानिवृत्ति वेतन भुगतान आदेश-पत्र को कार्यालय प्रतिलिपि में प्रविष्टि करेंगे किसी दशा में 12 मास से अधिक लगातार भुगतान इस प्रकार नहीं किया जायेगा। एक वर्ष बाद भुगतान करने पूर्व अधिकारी/कर्मचारी की सेवानिवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पत्र प्रतिलिपि में लेखाधिकारी प्रविष्टियों को पूरा करेंगे।

11–सामान्य भविष्य निधि–जिन अधिकारियों को यह विनियम प्रभावी होंगे उन्हें नगर निगम के सामान्य भविष्य निधि का सदस्य बनना ही पड़ेगा और उसमें अपने 10 नया पैसा प्रति रूपये से कम न होते हुए अपना अंश प्रतिमास जमा करना पड़ेगा।

नगर आयुक्त/कर्मचारी प्रत्येक अधिकारी का अंशदान उनके मासिक वेतन से काटकर सामान्य भविष्य निधि के खाते में उनके नाम से खुले बैंक खाते में जमा करेगें।

12–भविष्य निधि के अंशदान में काटा गया धन प्रतिमास की तारीख से पहले बैंक में जमा कर दिया जायेगा। जिससे उस पर ब्याज मिल सके।

13–नगर आयुक्त का यह अधिकार होगा कि वह अधिकारी/कर्मचारी की लिखित सहमति से सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धन से बैंक एफ0डी0आर0/राष्ट्रीय बचत पत्रों में विनियोजित कर दें।

14–प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को भविष्य निधि का सदस्य होने पर उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके खाते में जमा भविष्य निधि धन के भुगतान के लिए नामांकन पत्र विनियम-5 के अनुसार देय होगा। यदि नामांकन-पत्र नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा किये जायेंगे और प्राप्ति का दिनांक लिखकर तथा आवश्यक रजिस्टर में दर्ज करके अपने तत्वाधान (कस्टडी) में रखे जायेंगे।

15–सामान्य भविष्य निधि में हुए धन में यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी चाहे तो नगर आयुक्त उसे अस्थाई ऋण स्वीकृत कर सकते हैं। इन ऋणों की स्वीकृति तथा उनकी वसूली की निम्नांकित विधि अपनाई जायेगी।

(1) साधारणतया ऋण का धनांक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के तीन मास के वेतन से अधिक न हो विशेष परिस्थितियों में नगर आयुक्त अपने स्वविवेक से अधिक धन भी दे सकते हैं। लेकिन वह धनराशि भविष्य निधि जमा धनराशि के आधे से अधिक नही होगी।

(2) यह ऋण कर्मचारियों को प्रायः ऐसे व्यय को वहन करने के लिए दिये जायेंगे, जिनका वहन करना धार्मिक तथा सामाजिक बन्धनों के अन्तर्गत अनिवार्य हो। इन व्ययों में अपने तथा अपने परिवार को शिक्षा, उनके बीमारी, विवाह अथवा मृत्यु सम्बन्धी व्यय सम्मिलित होंगे।

(3) यह ऋण अधिकारी/कर्मचारी से 20 किस्तों में वसूल किये जायेंगे। इन ऋणों पर ब्याज के रूप में एक अतिरिक्त किस्त देय होगी।

(4) ऋण ब्याज सहित पूरा होने के 12 महीने बाद दूसरा ऋण साधारणतया दिया जायेगा, परन्तु विशेष परिस्थितियों में दूसरा अग्रिम 12 माह के पूर्व भी दिया जा सकता है।

16–यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी चाहे तो अपने साधारण भविष्य निधि में जमा धन पालिसी का प्रीमियम अदा करने के लिए पालिसी को नगर आयुक्त के नाम प्रतिग्रहण (प्लेज) कर सकता है। 'प्लेज' की हुई पालिसी नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के संरक्षण (कस्टडी) में रहेगी। पालिसी की प्रीमियम के लिए अग्रिम का बीमा कारपोरेशन को भुगतान किए जाने के सबूत में कारपोरेशन की रसीद मुख्य नगर अधिकारी के पास जमा करनी होगी। इस प्रकार की पालिसी को चालू रखने की जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की होगी। पालिसी परिपक्व (मिच्योर) होने पर उसका रूपया वसूल करके कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा कर दिया जायेगा। यदि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी पालिसी परिपक्व होने के पूर्व सेवानिवृत्त हो जाए तो नगर आयुक्त अधिकारी/कर्मचारी के हित में पालिसी प्रतिग्रहण करके उसे लौटा देगें।

17–किसी अधिकारी/कर्मचारी के खाते में सामान्य भविष्य निधि में जमा धन उसके नगर निगम की सेवा में निवृत्त होने पर लौटा दिया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकारी/कर्मचारी चाहे तो सामान्य निधि में अपने खाते में जमा धन को निम्नांकित कार्यों के लिए उल्लिखित प्रतिबन्धों के अनुसार नगर आयुक्त की स्वीकृति से सेवानिवृत्ति होने से पूर्व भी निकाल सकता है।

(1) अपने निवास के लिए मकान बनाने, क्रय करने के लिए या इस सम्बन्ध में लिये गये ऋण को अदा करने के लिए अथवा लड़की/लड़के के विवाह करने के लिए इन प्रयोजनों हेतु 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने या सेवा अवधि पूर्ण होने से 10 वर्ष छः माह का वेतन अथवा जमा धनराशि का अधिकतम 75 प्रतिशत तक निकाल सकता है।

(2) अपने आश्रित बच्चों की निम्नलिखित शिक्षा के लिए तीन महीने के वेतन या भविष्य निधि में जमा धन के आधे धन तक जो भी कम हो–

(क) विदेश में विद्या (एकेडमिक), औद्योगिक (टेक्नीकल), कला सम्बन्धी (प्रोफेशनल) पाठ्यक्रमों कोर्सेज के लिए, औरः

(ख) भारत में ऐसे चिकित्सा 'मेडिकल' 'अभियांत्रिक इंजीनियर' तथा अन्य औद्योगिक टेक्नीकल अथवा विशिष्ट 'स्पेशलाइज्ड' पाठ्यक्रमों के लिए जिनकी पढ़ाई का समय 3 वर्ष से अधिक हो और वह शिक्षा इण्टरमीडिएट के बाद ही हो, दोनों ही दशाओं में धन निकालने के लिए 6 माह के भीतर उसे मुख्य नगर अधिकारी को संतोष दिलाना होगा कि धन उस कार्य में जिसके लिए वह निकाला गया था, प्रयोग कर लिया गया है।

ऐसे न करने पर अग्रिम लिया गया धन नगर आयुक्त को सामान्य निधि में उसके खाते में जमा करने के लिए लौटा देना होगा। जब तक कि नगर आयुक्त उस धन के प्रयोग का समय बढ़ा न दें। यदि अधिकारी/कर्मचारी नगर आयुक्त को या तो व्यय के विषय में संतोष दिला सके अथवा बचा हुआ लौटायें तो नगर आयुक्त वह धन उसके वेतन से उचित किस्तों में वसूल करने के लिए सक्षम होंगे। यह विनियमावली गजट में प्रकाशन तिथि से मानी जायेगी।

नगर निगम, अयोध्या

प्रपत्र-क

विनियम-5 (5)

मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान तथा भविष्य निधि हेतु नामांकन (जब अधिकारी/कर्मचारी के परिवार तथा वह उसके किसी एक सदस्य को नामांकन करना चाहें)

मैं इस प्रमाण-पत्र द्वारा निम्नांकित व्यक्ति को, जो मेरे परिवार का सदस्य है नामांकित करता हूँ तथा उसे उस उपादान तथा भविष्य निधि को प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जिसे मेरे निगम की सेवा में रहते मृत्यु होने की दशा में नगर आयुक्त स्वीकृत करें, तथा मेरी मृत्यु के बाद उसे उपादान तथा भविष्य निधि को भी प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जो मेरे सेवा निवृत्ति होने पर प्राप्त हो और जो मुझे मेरी मृत्यु के समय अप्राप्त रह जाये :

नामांकित व्यक्ति का नाम व पता	अधिकारी/कर्मचारी से सम्बन्ध	आयु	वे अवस्थायें जिनके उत्पन्न होने पर नामांकन निष्प्रभावी हो जाये	उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नाम (यदि कोई हो) और उसका पता तथा सम्बन्ध जिन्हें नामांकित व्यक्ति को अधिकारी/कर्मचारी के पूर्व मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को दिये गये अधिकार प्राप्त होंगे अथवा नामांकित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उपादान एवं भविष्य निधि का धन प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु होने पर अधिकार प्राप्त होगा	उपादान तथा भविष्य निधि का धन अथवा भाग, जो देय होगा
1	2	3	4	5	6

यह नामांकन-पत्र मेरे द्वारा इससे पूर्व दिनांक.....को दिये गये नामांकन को रदद करता है।

टिप्पणी–अधिकारी/कर्मचारी के इस प्रपत्र में लिखी गई अन्तिम पंक्ति से नीचे के खाली स्थान को लकीर खींचकर निष्प्रयोज्य कर देना, जिससे उनके हस्ताक्षर करने के बाद इसमें कुछ लिखा न जा सके।

हस्ताक्षर कर्मचारी

(विभागीय अधिकारी द्वारा भरे जाने हेतु)

.....पद.....कार्यालय.....के द्वारा नामांकित दिनांक.....

हस्ताक्षर विभागीय अधिकारी

पद.....

नगर निगम, अयोध्या

प्रपत्र-ख

विनियम-5 (5)

मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान तथा भविष्य निधि हेतु नामांकन (जब अधिकारी/ कर्मचारी के परिवार हो तथा वह उसके किसी एक सदस्य को नामांकन करना चाहे)

मैं इस प्रमाण-पत्र द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को, जो मेरे परिवार का सदस्य है नामांकित करता हूँ तथा उसे उस उपादान तथा भविष्य निधि को प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जिसे मेरे निगम की सेवा में रहते मृत्यु होने की दशा में नगर आयुक्त स्वीकृत करें, तथा मेरी मृत्यु के बाद उसे उपादान तथा भविष्य निधि को भी प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जो मेरे सेवा निवृत्ति होने पर प्राप्त हो और जो मुझे मेरी मृत्यु के समय अप्राप्त रह जाये :

नामांकित व्यक्ति का नाम व पता	अधिकारी/ कर्मचारी से सम्बन्ध	आयु	वे अवस्थायें जिनके उत्पन्न होने पर नामांकन निष्प्रभावी हो जाये	उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नाम (यदि कोई हो) और उसका पता तथा सम्बन्ध जिन्हें नामांकित व्यक्ति को अधिकारी/कर्मचारी के पूर्व मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को दिये गये अधिकार प्राप्त होंगे अथवा नामांकित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उपादान एवं भविष्य निधि का धन प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु होने पर अधिकार प्राप्त होगा	उपादान तथा भविष्य निधि का धन अथवा भाग, जो देय होगा
1	2	3	4	5	6

यह नामांकन-पत्र मेरे द्वारा इससे पूर्व दिनांक.....को दिये गये नामांकन को रदद करता है।

टिप्पणी–अधिकारी/कर्मचारी के इस प्रपत्र में लिखी गई अन्तिम पंक्ति से नीचे के खाली स्थान को लकीर खींचकर निष्प्रयोज्य कर देना, जिससे उनके हस्ताक्षर करने के बाद इसमें कुछ लिखा न जा सके।

हस्ताक्षर कर्मचारी

दिनांक.....माह.....सन्.....को.....बजे.....स्थान.....में नामांकन किया।

इस स्तम्भ में भरा गया धन/भाग इस तरह से भरा जाना चाहिए जिससे उपादान भविष्य निधि का पूरा धन भाग विभाजित हो जाय। इस स्तम्भ में भरा गया धन/भाग प्रारम्भ में किए गये नामांकित व्यक्तियों को दिये गये समस्त धन/भाग के बराबर हो।

(विभागीय अधिकारी द्वारा भरे जाने हेतु)

.....पद.....कार्यालय.....के द्वारा नामांकित दिनांक.....

हस्ताक्षर विभागीय अधिकारी

पद.....

नगर निगम, अयोध्या

प्रपत्र-ग

विनियम-5 (5)

मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान तथा भविष्य निधि हेतु नामांकन (जब अधिकारी/ कर्मचारी के परिवार तथा वह उसके किसी एक सदस्य को नामांकन करना चाहे)

मेरा कोई परिवार नहीं है मैं इस प्रमाण-पत्र द्वारा निम्नांकित व्यक्ति को, नामांकित करता हूँ तथा उसे उस उपादान तथा भविष्य निधि को प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जिसे मेरे निगम की सेवा में रहते मृत्यु होने की दशा

में नगर आयुक्त स्वीकृत करें, तथा मेरी मृत्यु के बाद उसे उपादान तथा भविष्य निधि को भी प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जो मेरे सेवा निवृत्ति होने पर प्राप्त हो और जो मुझे मेरी मृत्यु के समय अप्राप्त रह जाये :

नामांकित व्यक्ति का नाम व पता	अधिकारी/ कर्मचारी से सम्बन्ध	आयु	वे अवस्थायें जिनके उत्पन्न होने पर नामांकन निष्प्रभावी हो जाये	उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नाम (यदि कोई हो) और उसका पता तथा सम्बन्ध जिन्हें नामांकित व्यक्ति को अधिकारी/कर्मचारी के पूर्व मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को दिये गये अधिकार प्राप्त होंगे अथवा नामांकित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उपादान एवं भविष्य निधि का धन प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु होने पर अधिकार प्राप्त होगा	उपादान तथा भविष्य निधि का धन अथवा भाग, जो देय होगा
1	2	3	4	5	6

यह नामांकन-पत्र मेरे द्वारा इससे पूर्व दिनांक.....को दिये गये नामांकन को रदद करता है।

टिप्पणी–अधिकारी/कर्मचारी के इस प्रपत्र में लिखी गई अन्तिम पंक्ति से नीचे के खाली स्थान को लकीर खींचकर निष्प्रयोज्य कर देना, जिससे उनके हस्ताक्षर करने के बाद इसमें कुछ लिखा न जा सके।

हस्ताक्षर कर्मचारी

(विभागीय अधिकारी द्वारा भरे जाने हेतु)

.....पद.....कार्यालय.....के द्वारा नामांकित दिनांक.....

हस्ताक्षर विभागीय अधिकारी

पद.....

नगर निगम, अयोध्या

प्रपत्र-घ

विनियम-5 (5)

मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान तथा भविष्य निधि हेतु नामांकन (जब अधिकारी/ कर्मचारी के परिवार न हो तथा वह एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करना चाहें)

मेरा कोई परिवार नहीं है मैं इस प्रमाण–पत्र द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को, नामांकित करता हूँ तथा उसे उस उपादान तथा भविष्य निधि को प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जिसे मेरे निगम की सेवा में रहते मृत्यु होने की दशा में नगर आयुक्त स्वीकृत करें, तथा मेरी मृत्यु के बाद उसे उपादान तथा भविष्य निधि को भी प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ जो मेरे सेवा निवृत्ति होने पर प्राप्त हो और जो मुझे मेरी मृत्यु के समय अप्राप्त रह जाये :

नामांकित व्यक्ति का नाम व पता	अधिकारी/ कर्मचारी से सम्बन्ध	आयु	वे अवस्थायें जिनके उत्पन्न होने पर नामांकन निष्प्रभावी हो जाये	उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नाम (यदि कोई हो) और उसका पता तथा सम्बन्ध जिन्हें नामांकित व्यक्ति को अधिकारी/कर्मचारी के पूर्व मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को दिये गये अधिकार प्राप्त होंगे अथवा नामांकित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उपादान एवं भविष्य निधि का धन प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु होने पर अधिकार प्राप्त होगा	उपादान तथा भविष्य निधि का धन अथवा भाग, जो देय होगा
1	2	3	4	5	6

यह नामांकन-पत्र मेरे द्वारा इससे पूर्व दिनांक.....को दिये गये नामांकन को रदद करता है।

टिप्पणी–अधिकारी/कर्मचारी के इस प्रपत्र में लिखी गई अन्तिम पंक्ति से नीचे के खाली स्थान को लकीर खींचकर निष्प्रयोज्य कर देना, जिससे उनके हस्ताक्षर करने के बाद इसमें कुछ लिखा न जा सके।

हस्ताक्षर कर्मचारी

(विभागीय अधिकारी द्वारा भरे जाने हेतु)

.....पद.....कार्यालय.....के द्वारा नामांकित दिनांक.....

हस्ताक्षर विभागीय अधिकारी

पद.....

नगर निगम, अयोध्या

प्रपत्र-च

विनियम-12 (1) (क)

लेखाधिकारी की सेवानिवृत्ति वेतन और उपादान स्वीकृति के लिए विभागीय अधिकारी द्वारा भेजे जाने व पत्रों की तालिका–

1–सेवानिवृत्ति वेतन और उपादान स्वीकृति के लिए प्रार्थना-पत्र (नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित फार्म में)।

2–अंशक्तता का प्रमाण-पत्र (यदि अंशक्तता के कारण पेंशन मांगी जाती हो)।

3–सेवा पुस्तिका पूरी करके।

4–अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र।

5–औसत वेतन उपलब्धियों का विवरण।

6–(क) साक्षीकृत दो नमूने के हस्ताक्षर (अटैस्टेड स्पेसीमैन सिग्नेचर)।

(ख) दो स्लिप जिन पर दांए हाथ के अंगूठे व उंगलियों के साक्षीकृत चिन्ह हों तथा साक्षीकृत पासपोर्ट साईज फोटो।

7–किसी अन्य पेंशन व ग्रेच्युटी न पाने का पेंशनर का घोषणा-पत्र।

लेखाधिकारी,

नगर निगम, अयोध्या

ऊपर दिए गए कागजात श्री/श्रीमती.....पर को पेंशन अथवा और उपादान स्वीकृत करने के लिए भेजे जा रहे हैं, कृपया इन्हें चैक करें आगे की कार्यवाही करें।

हस्ताक्षर विभागीय अधिकारी

नगर निगम, अयोध्या

प्रपत्र-छ

विनियम-12 (ख-5) (ङ)

सेवानिवृत्त वेतन भुगतान आदेश पत्रिका सं0 (सेवानिवृत्त वेतन वाले अधिकारी के लिए) बजट मद जिससे देय–

निवृत्त वेतन प्राप्तकर्ता का नाम–

निवृत्त वेतन का प्रकार तथा स्वीकृति आदेश की संख्या व दिनांक	जन्म तिथि	जाति	निवास स्थान का पता	मासिक निवृत्ति वेतन धनांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

लेखाधिकारी,

नगर निगम, अयोध्या

आगामी नोटिस तक प्रत्येक माह के समाप्त होने पर, आप श्री .....पुत्र श्री..... .को रु0.....(शब्दो में)..... इन्कम टैक्स काटकर (उनकी सेवानिवृत्ति वेतन एक बार में इस आदेश तथा निर्धारित फार्म पर रसीद प्रस्तुत करने पर भुगतान करें) यह भुगतान दिनांक.....से प्रारम्भ होगा।

हस्ताक्षर
नगर आयुक्त
नगर निगम, अयोध्या।

टिप्पणी–इस आदेश द्वारा पेंशन निम्नांकित दशाओं को छोड़कर केवल पेंशनर को देय होगी–

(क) उन व्यक्तियों की, जिनके लिए नगर आयुक्त विशेष रूप से आदेश कर दें।

(ख) उन व्यक्तियों को, जो बीमार तथा शारीरिक अशक्ति के कारण स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हों, यदि वे पहले से नगर आयुक्त से आदेश प्राप्त कर लें उपरोक्त में से प्रत्येक दशा में भुगतान किसी नगर निगम अधिकारी अथवा अन्य ऐसे व्यक्ति के जिनके लिए नगर आयुक्त अपनी स्वीकृति दें, के द्वारा सम्बन्धित पेंशनर के जीवित न होने के प्रमाण-पत्र देने पर भुगतान की जायेगी।

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़कर, जो किसी ऐसे व्यक्ति से जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत किसी श्रेणी के 1 के अधिकारों का प्रयोग करता हो :

(घ) ऊपर की (क) (ख) व (ग) प्रत्येक दशा में लेखाधिकारी को वर्ष में कम से कम एक बार उपरोक्त सर्टीफिकेट के अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी के जीवित रहने का सबूत प्राप्त कर लेना चाहिए।

नगर निगम, अयोध्या

प्रपत्र-छ

विनियम-12 (ख-5) (ङ)

सेवानिवृत्त वेतन भुगतान आदेश पत्रिका सं0 (सेवानिवृत्त वेतन वाले अधिकारी के लिए) बजट मद जिससे देय–

निवृत्त वेतन प्राप्तकर्ता का नाम–

निवृत्त वेतन का प्रकार तथा स्वीकृति आदेश की संख्या व दिनांक	जन्म तिथि	जाति	निवास स्थान का पता	मासिक निवृत्ति वेतन धनांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

माह	जिसकी सेवानिवृत्ति वेतन देय है (मार्च से फरवरी)	भुगतान का दिनांक, वाउचर संख्या	लेखाधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4

नगर निगम, अयोध्या

प्रपत्र-ज

विनियम-12 (2)

सेवानिवृत्ति वेतन भुगतान
आदेश पत्रिका क्रम संख्या.....
वाउचर संख्या.....
दिनांक.....

मुझे.....सन्.....के लिए सेवानिवृत्ति का.....मैंने प्राप्त किया।

पूरा प्राप्त धन.....
कटौती टैक्स.....
अन्य.....(टिकट)

पेंशनर के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि .....जीवित हैं तथा व मेरे सम्मुख आज उपस्थित हुए।

दिनांक

हस्ताक्षर
(अधिकारी का पूरा नाम)

नगर निगम, अयोध्या

प्रपत्र-झ

विनियम-12 (ख-5) (ड़)

घोषणा-पत्र

(सेवानिवृत्ति वेतन पाने वाले अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर करने हेतु।)

चूंकि .....(यहां सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) सेवानिवृत्ति उपादान/ मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी का पद नाम लिखिए) ने रु0 .....(रु0.....) प्रतिमाह मेरा पेंशन में तथा (अथवा रु0.....) उपादान मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान के रूप में भुगतान करना स्वीकार कर लिया है। अतः मैं इस लेख द्वारा अंगीकार करता हूँ कि उपरोक्त कथित धन के स्वीकार करने में, मैं पूर्ण रूप से यह समझता हूँ कि पेंशन/उपादान मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान जो मुझे विनियमों के अन्तर्गत देय हो, उससे अधिक होने की दशा में संशोधनीय (सबजेक्ट टू रिवीजन) है तथा मैं वचन देता हूँ कि इस जिसका मैं अंतिम रूप से अधिकारी होऊं, अधिक भुगतान किया गया धन मैं लौटा दूंगा।

मैं, इस लेख द्वारा यह भी घोषणा करता हूँ और वचन देता हूँ कि नगर निगम, अयोध्या कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति सुविधा तथा सामान्य भविष्य निधि, 1997 विनियम 3 के उपनियम 2 (क) तथा (ख) के अनुसार आदेश को मैं उत्तराधिकारी को दिये मेरी पेंशन से काट लें।

साक्षी के हस्ताक्षर नाम पता सहित

1. .....

2. .....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

पद नाम.....

(यदि नगर निगम कर्मचारी हों)

स्टेशन.....

दिनांक.....

नगर निगम, अयोध्या

प्रपत्र-ट

विनियम-12 (ख-5) (ड़)

घोषणा-पत्र

(सेवानिवृत्ति वेतन पाने वाले अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर करने हेतु।)

चूंकि .....(यहां सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) सेवानिवृत्ति उपादान/ मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी का पद नाम लिखिए) ने रु0 .....(रु0.....) प्रतिमाह मेरा पेंशन में तथा (अथवा रु0.....) उपादान मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान के रूप में भुगतान करना स्वीकार कर लिया है। अतः मैं इस लेख द्वारा अंगीकार करता हूँ कि उपरोक्त कथित धन के स्वीकार करने में, मैं पूर्ण रूप से यह समझता हूँ कि पेंशन/उपादान मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान जो मुझे विनियमों के अन्तर्गत देय हो, उससे अधिक होने की दशा में संशोधनीय (सबजेक्ट टू रिवीजन) है तथा मैं वचन देता हूँ कि इस जिसका मैं अंतिम रूप से अधिकारी होऊ, अधिक भुगतान किया गया धन मैं लौटा दूंगा।

मैं, इस लेख द्वारा यह भी घोषणा करता हूँ और वचन देता हूँ कि नगर निगम, अयोध्या कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति सुविधा तथा सामान्य भविष्य निधि विनियम, 2009 के अनुसार भविष्य निधि के मेरे भाग में आगे चल कर गये अधिक भुगतान के किये धन को भी मैं लौटा दूंगा तथा नगर आयुक्त को मैं यह अधिकार देता हूँ कि वे प्रकार के अधिक भुगतान किये धन को भविष्य में मुझे देय पेंशन अथवा मेरे उत्तराधिकारी को देयक मेरी पेंशन से काट लें।

हस्ताक्षर अधिकारी/कर्मचारी

1. साक्षी के हस्ताक्षर..... पूरा पता.....
   पता व पेशा..... .....
2. साक्षी के हस्ताक्षर..... पूरा पता.....
   पता व पेशा..... .....

नगर निगम, अयोध्या

प्रपत्र-ठ

मृत्यु सम्मिलित उपादान तथा सेवानिवृत्ति वेतन स्वीकृत हेतु औपचारिक (फार्मल) प्रार्थना-पत्र (मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान तथा सेवानिवृत्ति वेतन स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र देने वाले अधिकारी/कर्मचारी द्वारा भरा जाने वाला घोषणा-पत्र)

प्रेषक,

.....

.....

सेवा में,

नगर आयुक्त,

नगर निगम, अयोध्या।

विषय :मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान तथा सेवानिवृत्ति हेतु प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

निवेदन है कि मुझे दिनांक.....को सेवा अवधि पूर्ण करके सेवानिवृत्ति होना है, क्योंकि मेरा जन्म दिनांक.....है। इस कारण निवेदन है कि कृपया मेरी पेंशन व उपादान जो मुझे प्राप्त है, मेरे सेवानिवृत्ति से तुरन्त स्वीकृत करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

2–मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैंने इस पेंशन तथा उपादान जिसके लिए प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ के योग्य बनाने वाली सेवा के किसी भाग के लिए न किसी पेंशन हेतु प्रार्थना पत्र दिया है और न कोई पेंशन अथवा उपादान प्राप्त ही किया है, तथा मैं इसके बाद इस प्रार्थना पत्र तथा इस पर हुये आदेशों का उल्लेख किये बिना कोई प्रार्थना पत्र दूंगा।

3–मैं निम्नलिखित संलग्न कर रहा हूँ–

(1) अपने हस्ताक्षरों के दो प्रमाणित नमूना।

(2) परिपत्र के आकार के अपने दो प्रमाणित फोटो।

(3) दो पर्चियां (स्लिप) जिसमें से प्रत्येक पर मेरे दांये हाथ के अंगूठे तथा उंगलियों के चिन्ह (थम्ब एण्ड फिंगर इम्प्रेशन्स) हैं, तथा

(4) दो पर्चियां जिसमें प्रत्येक पर मेरी ऊंचाई और पहचान चिन्हों के विवरण दिये हैं।

(5) मेरा वर्तमान पता.....तथा सेवानिवृत्ति के बाद का पता .....होगा।

दिनांक – हस्ताक्षर आवेदक

नगर निगम, अयोध्या

प्रपत्र-ड

प्रथम भाग

क्र0सं0 दिनांक.....

1–प्रार्थी का नाम .....

2–पिता का नाम.....

3–धर्म तथा राष्ट्रीयता.....

4–स्थाई निवास का पूरा पता.....

5–वर्तमान अथवा अन्तिम नियुक्ति का पद.....

6–(क) सेवा प्रारम्भ का दिनांक.....

(ख) सेवा निवृत्ति का दिनांक .....

7–रूकावती (इन्सट्रपशन्स) तथा अनर्हकारी वर्ष मास दिन (नान-क्वालाफाईंग) सेवा नियम विवरण सहित सेवाकाल.....

....

8–प्रार्थी का सेवा निवृत्ति वेतन (पेंशन) अथवा उपादान का प्रकार.....

9–औसत परिलब्धियां .....

10–प्रस्तावित पेंशन होने का दिनांक .....

11–प्रस्तावित मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान.....

12–पेंशन प्रारम्भ होने का दिनांक .....

13–क्या नामांकन प्रस्तुत किया है.....

(क) पारिवारिक सेवानिवृत्ति उपादान हेतु.....

(ख) मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान हेतु.....

14–ईसवी, सन् के अनुसार प्रार्थी का जन्म दिनांक .....

15–ऊँचाई (हाइट).....

16–(क) पहिचान चिन्ह.....

(ख) बांये हाथ के अंगूठे और उंगलियों के चिन्ह–

अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्टिका

17–प्रार्थी द्वारा पेंशन/उपादान हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित करने का दिनांक .....

18–यदि प्रार्थी अंशदानी (कन्ट्रीब्यूट्री) भविष्य निधि का सदस्य हो तो कृपया उनकी लेखा संख्या एवं विवरण दीजिए.....

....

प्रार्थी के हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

नाम व पद मुहर

नगर निगम, अयोध्या

(प्रपत्र-ड)

द्वितीय भाग

स्थापना इस्टैबलिशमेंट	नियुक्ति पद	वेतन	स्थानापन्न	सेवा आरम्भ का दिनांक	सेवा समाप्ति का दिनांक	सेवा माना गया समय
1	2	3	4	5	6	7
						वर्ष मास दिन

सेवा न माना गया समय	टिप्पणी	सत्यापन का आधार	लेखाधिकारी की टिप्पणी	मुख्य नगर लेखा परीक्षा की टिप्पणी
8	9	10	11	12
वर्ष मास दिन लेखाधिकारी				मुख्य लेखा परीक्षक

अर्हकारी सेवा का कुल समय

विभागाध्यक्ष अधिकारी/विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर
पदनाम की मोहर।

नगर निगम, अयोध्या

(प्रपत्र-ड)

तृतीय भाग

विभागीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष की टिप्पणी–

1–प्रार्थी के चरित्र और पिछले आचरण के विषय में।

2–यदि कोई निलम्बन अथवा पदोन्नति हो तो उसका विवरण।

3–प्रार्थी द्वारा पहले प्राप्त उपादान अथवा पेंशन, यदि कोई हो तो उसका विवरण।

4–अन्य टिप्पणी यदि कोई हो।

5–अभ्यर्थित (क्लेम्ड) सेवा के संस्थि (इस्टैब्लिश्ड) होने तथा स्वीकार/अस्वीकार किये जाने के विषय में विभागीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष निश्चित मत (स्पेशिफिक ओपीनियन)

विभागीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर, पद नाम मोहर।

(ख) लेखा विभाग की टिप्पणी–

क्र0सं0 दिनांक .....

पृष्ठ संख्या 1 व 2 पर दिए विवरण की जांच सेवा पुस्तिका सेवा सूची (सर्विस रोल) के लेखों से की गई।

अर्हकारी सेवा निम्न प्रकार निकलती है.....वर्ष.....मास.....दिन.....

1–मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान हेतु।

2–सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) हेतु।

तथा उपरोक्त के लिए धन निम्न प्रकार निकलते हैं :

1–मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति
उपादान रु0 .....(शब्दो में.....)

2–सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) रु0 .....(शब्दो में रु0 .....)
और पेंशन दिनांक.....से देय है।

लेखाधिकारी,
नगर निगम, अयोध्या।

(ग) लेखा परीक्षा विभाग, नगर निगम, अयोध्या।

क्र0सं0 दिनांक.....

श्री.....पद.....के मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान तथा सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) के मामले जिसका विवरण इस पत्र में दिया हुआ है की मैंने जांच की। मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान का धन रु0..... (शब्दों में रु0.....) निकलता है तथा सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) का धन रु0.....(शब्दो में रु0 .....) प्रति मास होता है, जिसका भुगतान दिनांक..... .....से प्रारम्भ होगा।

टिप्पणी–यदि उपरोक्त में से कोई धनांक अथवा दिनांक लेखाधिकारी द्वारा दिये गये धनांकों अथवा दिनांक से भिन्न हो तो उसकी भिन्नता के स्पष्टीकरण अलग लेखा में दिये जाने चाहिए।

मुख्य नगर लेखा परीक्षक,
नगर निगम, अयोध्या।

नगर निगम, अयोध्या

(प्रपत्र-ड)

चतुर्थ भाग

क्र0सं0 दिनांक.....

(घ) सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) स्वीकृति करने वाले प्राधिकारी के आदेश–

अधोहस्ताक्षरी ने अपने आपको संतुष्ट कर लिया है कि श्री..... द्वारा की गई सेवा पूर्ण रूप से संतोषजनक रही है तथा उस आदेश द्वारा रु0 .....(रु0 .....) पूरा मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान और सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) जिसका धनांक रु0 .....(रु0.....) प्रतिमाह होता है, स्वीकार करता हूँ। इस पेंशन का भुगतान .....से प्रारम्भ होगा

अधोहस्ताक्षरी ने अपने आपको संतुष्ट कर लिया है कि श्री.....द्वारा की गई सेवा पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं रही है तथा आदेश दिया जाता है कि इन विनियमों के अनुसार देय सेवा निवृत्ति पेंशन/मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान का पूरा धनांक सं0 .....(यहां या तो निश्चित धन दीजिए अथवा प्रतिशत लिखिए) से कम कर दिया जावे। इस पेंशन का भुगतान.....से प्रारम्भ होगा।

यह आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ दिया जाता है कि यदि भविष्य में किसी समय पेंशन का धनांक सेवानिवृत्ति अधिकारी को देय पेंशन के धनांक से अधिक पाया जावे तो उसे इस प्रकार पाया गया अधिक भुगतान का धन वापस लौटाना पड़ेगा। सेवानिवृत्ति अधिकारी से इस प्रतिबन्ध को स्वीकार करते हुए घोषणा-पत्र प्राप्त कर लिया है कि तथा इस आदेश के साथ संलग्न है।

नगर आयुक्त
नगर निगम, अयोध्या

हस्ताक्षर
मुख्य नगर लेखा परीक्षक,
नगर निगम, अयोध्या।

संक्षेपांकी (डाकेट)

सेवानिवृत्ति वेतन (पेंशन) अध्यक्ष उपादान हेतु प्रार्थना-पत्र

प्रार्थना-पत्र का दिनांक

प्रार्थी का नाम

अंतिम नियुक्ति पद

मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति

उपादान अथवा सेवानिवृत्ति

वेतन पेंशन का प्रकार

स्वीकृतकर्ता अधिकारी

उपादान का स्वीकृति धनांक

सेवा नियुक्ति वेतन (पेंशन) का धनांक

भुगतान के प्रारम्भ का दिनांक

स्वीकृति का दिनांक.....सेवा नियुक्ति वेतन भुगतान आदेश सं0.....निर्गत किया।

हस्ताक्षर

लेखाधिकारी, नगर निगम अयोध्या।

नगर निगम, अयोध्या

प्रपत्र-त

श्री.....भूतपूर्व.....कार्यालय/विभाग के परिवार के लिए मृत्यु सम्मिलित सेवानिवृत्ति उपादान (डेथ कम रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी)/अवशेष उपादान/ग्रेच्युटी स्वीकृत हेतु प्रार्थना-पत्र–

1. प्रार्थी का नाम
2. मृत अधिकारी/सेवानिवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता (पेंशन) से सम्बन्धित (रिलेशनशिप)
3. जन्म दिनांक
4. यदि मृतक सेवानिवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता (पेंशनर) था तो उसकी सेवानिवृत्ति का दिनांक
5. अधिकारी/सेवानिवृत्ति वेतन प्राप्तकर्ता (पेंशनर) की मृत्यु दिनांक :
6. प्रार्थी का पूरा पता :
7. प्रार्थी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का चिन्ह :
8. अंगूठे तथा उंगलियों के चिन्ह :

   कनिष्ठा अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगूठा

   .....
9. साक्षी का नाम व पूरा पता, हस्ताक्षर

   1–.....

   2–.....

टिप्पणी –

1. उस ग्राम नगर या परगना जिसमें प्रार्थी निवास करता हो, के दो या अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा व प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए। उन व्यक्तियों का पद या पेशा उनके नाम के नीचे कोष्ठक में दिया जाना चाहिए।
2. पारिवारिक पेंशन के साथ भेजी गई विवरण तथा हस्ताक्षर/अंगूठा और उंगलियों के चिन्ह दो प्रतियों में तथा उस नगर ग्राम या परगना जिसमें प्रार्थी निवास करता हो के दो या अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।
3. यदि प्रार्थी, मृत अधिकारी सेवा निवृत्ति (पेंशनर) का अवयस्क सगा भाई हो तो आयु की पुष्टि के लिए आयु का असली प्रमाण-पत्र (दो प्रमाणित प्रतियों सहित) जिसमें प्रार्थी का जन्म दिनांक दिया हो लगाना चाहिए। आवश्यक सत्यापन के बाद असली प्रमाण-पत्र प्रार्थी को लौटा दिया जायेगा।

लेखाधिकारी

नगर निगम, अयोध्या।

ह0 (अस्पष्ट),

नगर आयुक्त,

नगर निगम, अयोध्या।

कार्यालय, नगर निगम, मुरादाबाद

02 दिसम्बर, 2020 ई0

560/एस0टी0/सहा0न0आ0/न0नि0मु0/2020–उत्तर प्रदेश अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश संख्या 02 सन् 1959) की यथा संशोधित धारा 117 की उपधारा (6) के खण्ड (ख) व धारा 215 की उपधारा (30) धारा 241 की उपधारा (1), (19), (40), (42), (44), के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कार्यालय नगर निगम, मुरादाबाद के द्वारा नगरीय छः ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हैण्डलिंग तथा स्वच्छता) उपविधि, 2019 बनायी गयी है। नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 543 के अन्तर्गत उपविधि दैनिक जागरण, विधान केसरी समाचार-पत्रों में दिनांक 06 नवम्बर, 2019 को प्रकाशित कर अपत्तियां एवं सुझाव मांगे गये थे।

उक्त के सम्बन्ध में निर्धारित एक माह की अवधि में तीन अपत्तियां तथा उद्योग बन्धुओं की बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये सुझाव पत्र को सम्मलित कर उक्त तीनों अपत्तियां एवं सुझाव-पत्र के निस्तारण उपरान्त मा0 सदन की बैठक दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 को मा0 सदन के समक्ष प्रस्ताव को अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत किया जिसे मा0 सदन द्वारा सर्वसम्मति से पास किया गया। उक्त कार्यवाही के उपरान्त नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 544 के अन्तर्गत अन्तिम रूप से गजट में प्रकाशित करने की कार्यवाही की जानी है। उपविधि हेतु प्रारूप निम्नवत् है–

नगरीय छः ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हैण्डलिंग और स्वच्छता) उपविधि, 2019

1–**संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–**(1) इस उपविधि का नाम नगर निगम, मुरादाबाद की नगरीय छः ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2019, कहलाएगी तथा सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू/प्रभावी होगी।

(2) यह उपविधि उत्तर प्रदेश नगर निगम, अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत संशोधित होने की तिथि तक प्रभावी रहेगा। इस प्रकार के संशोधन स्थानीय समाचार पत्र में पर्याप्त नोटिस देकर प्रकाशित किये जायेंगे।

2–लागू होना–यह उपविधि नगर निगम, मुरदाबाद की सीमा में (भविष्य में विस्तारण के फलस्वरूप संशोधित सीमायें इसमें सम्मलित मानी जायेगी) लागू होगी एवं सभी सार्वजनिक स्थलों, सभी ठोस अपशिष्ट उत्पादन करने वालों, प्रत्येक स्वामित्व/अध्यासन वाले परिसर से सम्बन्धित व्यक्तियों पर जो मुरादाबाद नगर निगम, जिला मुरादाबाद की सीमा है पर लागू होगी।

3–इस उपविधि में जब तक कि इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो उपविधि एवं परिशिष्ट में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा निम्नवत् है–

(1) "अभिकरण या अभिकर्ता" से तात्पर्य नगर निगम, मुरादाबाद द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या संस्था या एजेन्सी या फर्म या संविदाकर्ता से है, जो सभी प्रकार के वेस्ट और अपशिष्ट के संग्रह, प्रबंधन, परिवहन, भण्डारण, पृथक्कीकरण, संग्रहण, यूजर चार्ज, नोटिस, शमन शुल्क, मौके पर जुर्माना के संग्रह, चालान एवं दण्ड आदि कृत्य का निर्वहन करे।

(2) "जैवनाशित अपशिष्ट (बायोडिग्रेडिबल वेस्ट/गीला वेस्ट)" से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा-कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है। उदाहरण स्वरूप पेड़ पौधों/जानवरों से जनित अपशिष्ट जैसे रसोई अपशिष्ट, भोजन एवं फूलों का अपशिष्ट, पत्तियों बगीचों का अपशिष्ट, जानवरों का गोबर, मीट/मछली का अपशिष्ट अथवा अन्य कोई पदार्थ जो माइक्रो आर्गेनिज्म द्वारा डिग्रेड/डिकम्पोज हो सकता है।

(3) "जैवचिकित्सा अपशिष्ट (बायोमेडिकल वेस्ट)" से तात्पर्य ऐसे अपषिश्ट से है जो किसी प्राणी या जन्तु के निदान या उपचार के दौरान या अनुसंधान क्रियाक्लापों में या जीवो के उत्पादन या परीक्षण में सृजित हो। इसके अन्तर्गत अनुसूची तीन में उल्लिखित श्रेणियां भी सम्मिलित हैं।

(4) "शुल्क अपशिष्ट" से तात्पर्य बायो डिग्रेडिबल अपशिष्ट और गली के निष्क्रिय कूड़ा करकट से भिन्न अपशिष्ट से है और जिसके अन्तर्गत री-साइक्लेबुल अपशिष्ट, नान-रीसाइक्लेबुल अपशिष्ट, ज्वलनशील अपशिष्ट और सेनेटरी नैपकिन और डाइपर आदि से है।

(5) "परिसंकटमय एवं हैजार्डस अपशिष्ट" से तात्पर्य घरेलू स्तर पर उत्पन्न संक्रामक/हानिकारक अपशिष्टों जैसे फेंके हुए पेंट के ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, सी0एफ0एल0 बल्ब, ट्यूब लाइटें, अवधि समाप्त औषधियां, टूटे हुए पारा वाले थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरियां, प्रयुक्त सुइयां तथा सिरिंज और संदूषित पटिट्यां आदि से है।

(6) "बायो-मीथेनेशन" से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है, जिसमें माइक्रोबियल एक्शन द्वारा कार्बनिक पदार्थ को इन्जाइमी डीकम्पोजीशन/ब्रेकिंग डाउन होता है, जिसके कारण मीथेन से भरपूर बायोगैस का उत्पादन होता है।

(7) "डोर-टू-डोर संग्रहण" से तात्पर्य घरों, दुकानों वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीय परिसरों के द्वार तक जाकर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना और जिसके अन्तर्गत किसी आवासीय सोसायटी, बहु मंजिले भवन या अपार्टमेन्ट, बड़े आवासीय, वाणिज्यिक (फैक्ट्रियां) या संस्थागत काम्पलेक्स या परिसरों में भूतल पर प्रवेश पर द्वार या किसी अभिहित स्थल से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करने से है।

(8) "विकेन्द्रित प्रसंस्करण" से तात्पर्य बायोडिग्रेडिबुल अपशिष्ट के प्रसंस्करण को अधिकतम करने के लिए बिखरी हुई सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन के स्त्रोत से निकटतम रीसाइक्लेबुल सामग्रियों की प्रति प्राप्ति करने से है ताकि प्रसंस्करण या निपटान के लिए अपशिष्ट का न्यूनतम परिवहन करना पड़े।

(9) "ब्रांड ओनर" से तात्पर्य ऐसी किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी से है जो किसी सामग्री की एक रजिस्टर्ड ब्रांड लेबल के अन्तर्गत वाणिज्यिक विक्रय करती है।

(10) "निपटान" से तात्पर्य भूजल सतही जल, परिवेशी वायु के संदूशण तथा पशुओं या पक्षियों के आकर्षण को रोकने के लिए यथा विनिर्दिष्ट भूमि पर प्रसंस्करण उपरान्त अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा करकट और सतही नाली की सिल्ट का अंतिम तथा सुरक्षित निपटान से है।

(11) "नगर निगम" से तात्पर्य नगर निगम, मुरादाबाद, जनपद मुरादाबाद से है।

(12) "बृहद अपशिष्ट सृजक (बल्क वेस्ट जनरेटर)" से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट उत्पादकों से है जो औसतन 50 किलोग्राम की दर से अधिक अपशिष्ट, उत्पादित करते हैं तथा इनमें केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों, स्थानीय निगमों, सार्वजनिक या प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों अन्य शैक्षिक संस्थाओं, छात्रावासों, होटलों, वाणिज्यिक स्थलों, स्टेडियमों और खेल परिसरों द्वारा अधिकृत भवन या अन्य प्रयोगकर्ता जैसे कि क्लब, जिमखानों, शादीघर, मनोरंजन परिसर भी शामिल है, आदि से है।

(13) "संग्रहण" से तात्पर्य नियत संग्रहण स्थलों या अन्य स्थानों से नगरीय ठोस अपशिष्ट के उठाने और हटाने से है।

(14) "स्त्रोत पर संग्रहण" से तात्पर्य किसी भवन के परिसर या भवनों के किसी समूह के परिसरों के भीतर से नगर निगम द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण से है। इसे घर-घर संग्रहण भी कहा जा सकता है।

(15) "सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र" से तात्पर्य किसी ऐसी भण्डारण सुविधा से है जिसकी व्यवस्था तथा रख-रखाव नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण हेतु एक या उससे अधिक परिसरों के स्वामियों और/या अध्यासियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

(16) "कम्पोस्ट खाद निर्माण" से तात्पर्य ऐसी नियन्त्रित प्रक्रिया से है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का जैविकीय अपघटन एरोबिक/एनरोबिक अन्तर्ग्रस्त है। इसके अन्तर्गत कृमिक खाद निर्माण भी है, जो जैव अपक्रमणीय अपशिष्ट को वानस्पतिक खाद में परिवर्तित करने हेतु केचुओं के प्रयोग की एक प्रकिया है।

(17) "कंस्ट्रक्शन एण्ड डेमोलाईजेशन अपशिष्ट" ऐसे अपशिष्ट से तात्पर्य निर्माण, पुर्ननिर्माण, मरम्मत और ध्वस्तीकरण संक्रिया से निकलने वाली भवन सामग्री, मलवा और रोड़ी, ईंटा एवं धूल-मिट्टी से उत्पन्न अपशिष्ट से है।

(18) "अपशिष्ट छंटाई केन्द्र (एम0 आर0 एफ0 सेन्टर)" से तात्पर्य किसी ऐसी अभिहित भूमि शेड छतरी या ढांचे से है जो किसी नगर निगम की या सरकारी भूमि पर या अपशिष्ट को प्राप्त करने या उसकी छॅटाई करने के लिए प्राधिकृत किसी सार्वजनिक जगह पर स्थित हो।

(19) "अपशिष्ट उत्पादक" से तात्पर्य नगर निगम की सीमा में नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले किसी व्यक्ति या संस्था से है।

(20) "निष्क्रिय ठोस अपशिष्ट" से तात्पर्य किसी ठोस अपशिष्ट या प्रसंस्करण के अवशेष से है जिसके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण धर्म उक्त सफाई सम्बन्धी गड्ढे के लिए उपयुक्त बनते हैं।

(21) "कूड़ा-कचरा" से तात्पर्य किसी प्रकार का ठोस या तरल घरेलू या वाणिज्यिक कचरा, मलबा या कूड़ा या किसी प्रकार का शीशा या धातु आदि के टुकड़े कागज कपड़ा, लकड़ी खाना, वाहन के परित्यक्त भाग, फर्नीचर के भाग, निर्माण से ध्वस्त सामग्री, उद्यान अपशिष्ट, कतरन, ठोस बालू या पत्थर या अन्य किसी प्रकार का ई-वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, जैव मेडिकल वेस्ट आदि किसी सार्वजनिक स्थान पर जमा की गयी कोई अन्य सामग्री पदार्थ या वस्तु से है।

[क]–ठोस अपशिष्ट–1–(A) जैव नाशित (बायोडिग्रेडिबुल) अपशिष्ट (गीला कूड़ा)।

(B) जैव अनाशित (नानबायोडिग्रेडिबुल) अपशिष्ट (सूखा कूड़ा)।

2–जैव चिकित्सीय (बायोमेडिकल) अपशिष्ट।

3–परिसंकटमय (हैजार्ड्स) अपशिष्ट।

4–कंस्ट्रक्शन एण्ड डिमोलाईजेशन (सी0एण्ड0डी0) अपशिष्ट।

5–इलेक्ट्रोनिक अपशिष्ट (ई-वेस्ट)।

[ख]–तरल अपशिष्ट–1– दूषित जल,

2–सीवरेज

(22) "संग्रहण" से तात्पर्य कूड़े कचरे को ऐसे स्थान पर रखने से है, जहां पर वह गिराया या उतारा जाता है अथवा बह कर आता है, रिसता या अन्य प्रकार से बह कर आता है, या किसी सार्वजनिक स्थान में या उस पर उसके गिराने, उतारने बहकर आने, रिसने या किसी प्रकार से आने की सम्भावना हो।

(23) "मार्ग विक्रेता (स्ट्रीट वेण्डर)" से तात्पर्य किसी गली, लेन, पार्श्व-पथ, पैदल पथ, खड़न्जा सार्वजनिक उद्यान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर या प्राइवेट क्षेत्र, अस्थायी रूप से निर्मित संरचना या स्थान से स्थान घूम कर साधारण जनता को दैनिक उपयोग के वस्तु, माल, खाद्य सामग्री या वाणिज्यिक वस्तु के विक्रय करने या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानान्तरित करने में लगे व्यक्ति से है, जिसके अन्तर्गत फेरीवाला आदि सम्मिलित हैं।

(24) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत नगर निगम में उत्पादित ऐसा वाणिज्यिक, आवासीय और अन्य अपशिष्ट भी है, जो ठोस या अर्द्धठोस रूप में हैं।

(25) "गैर सरकारी संगठन या स्वयंसेवी संगठन" से तात्पर्य नगर के ऐसे गैर सरकारी संगठन से है जो नगर में सिविल सोसाइटी संगठन और गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधित्व निगम है, सुसंगत अधिनियमों के तहत पंजीकृत हो।

(26) "अध्यासी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भवन, कार्मिशयल या उसके भाग का अध्यासी है या अन्यथा रूप से उपयोग कर रहा है।

(27) "स्वामी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भवन भूमि या उसके भाग के स्वामी के अधिकारों का प्रयोग कर रहा है। प्रसंस्करण से तात्पर्य ऐसे किसी वैज्ञानिक प्रसंस्करण से है जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण या भू-भरण स्थल हेतु।

(28) उपयुक्त बनाने के प्रायोजन के लिए प्रसंस्करण हेतु अभिक्रियित किया गया है।

(29) "पुनर्चक्रण" से तात्पर्य नये उत्पादों को उत्पादित करने हेतु पृथक्कत गैर जैव विकृत ठोस/तरल अपशिष्ट को ऐसी कच्ची सामग्री में परिवर्तित करने की प्रक्रिया से है, जो मूल उत्पादों के समान नहीं हो सकती है।

(30) "कचरा निस्तारण प्रभार" से तात्पर्य नगर निगम द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट उत्पादकों से नगरीय छः अपशिष्ट के संग्रह, परिवहन और निस्तारण के लिए अधिसूचित फीस या प्रभार से है। इसमें विभिन्न प्रकार के लाईसेंसी के लिए यथा प्रयोज्य व्यापार कचरा प्रभार सम्मिलित है।

(31) "प्रयोक्ता शुल्क" से तात्पर्य कचरा निस्तारण कार्य के सन्दर्भ में निर्धारित यूजर चार्ज से है।

(32) "पृथक्करण" से तात्पर्य नगरीय छः अपशिष्ट को विनिर्दिष्ट समूह के जैव नाशित, परिसंकटमय एवं हजार्डस, जैव चिकित्सीय, निर्माण और ध्वस्तीकरण (सी0एण्ड डी0), इलैक्ट्रोनिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, सामूहिक उद्यान और बागवानी एवं समस्त अन्य अपशिष्ट को पृथक करने से है।

(33) "छंटाई (सेग्रीगेशन) करना" से तात्पर्य मिश्रित अपशिष्ट से पुनर्चक्रण योग्य (रिसाईकल) विभिन्न संघटकों और प्रवगों जैसे कागज प्लास्टिक, गत्ता, धातु कांच आदि को समुचित पुनः चक्रण सुविधा से पृथक करना सम्मिलित है।

(34) "भण्डारण" से तात्पर्य नगरीय छः अपशिष्ट के उस रीति से अस्थायी संग्रहण से है जिससे कि कूड़ा करकट के बिखराव, रोगवाहकों के आकर्षण, आवारा पशुओं और अतिशय दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(35) "परिवहन" से तात्पर्य छः अपशिष्ट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से है।

(36) "विहित प्राधिकारी" में नगर आयुक्त से सफाई कर्मचारी तक समस्त अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित माने जायेंगे।

इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित छः अपशिष्ट प्रबन्धन अधिनियम, 2016 में उनके लिए क्रमशः समुनिदेशित है जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

इस उपविधि के अन्तर्गत उपरोक्त दी गयी परिभाषा से सम्बन्धित दायित्वों/कर्तव्यों/कार्यों का विवरण, प्रतिषेध, शास्ति एवं प्रशमन आदि का विवरण निम्नवत् हैः–

अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के सामान्य कर्तव्य–प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता–

1–(क) उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को पृथक्कृत निगम ठोस अपशिष्ट, ई-वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, सी0 एण्ड डी0 वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट और घरेलू एवं नगर निगम स्तर पर तीन पृथक शाखाओं अर्थात बायोडिग्रेडिबल (गीला कूड़ा), नान-बायोडिग्रेडिबल (सूखा कूड़ा) और हजार्जस अपशिष्ट के तीन अलग-अलग रंग के डिब्बों क्रमशः हरा, नीला एवं लाल में भंडारित करेगा और समय-समय पर नगर निगम द्वारा निर्गत या अधिसूचना के अनुसार पृथक किये गये अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालो या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा।

(ख) प्रयोग किये गये स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपरों और स्वास्थ्यकर पैडों आदि इन उत्पादो के निर्माताओं द्वारा यथा निर्देशित उपयुक्त लपेटन (रैपर) सामग्री शुष्क अपशिष्ट या नान-बायोडिग्रेबिल अपशिष्ट हेतु बनाये गये डिब्बे में उसे डालेगा।

(ग) अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भंडारित करेगा और समय-समय पर स्थानीय निगम के निर्देशानुसार इसका निपटान करेगा।

(2) कोई अपशिष्ट उत्पादक उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली/नालों या जलाशयों में न फेंकेगा, न जलायेगा और न गाड़ेगा।

(3) सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता ऐसी उपयोक्ता फीस अनुसूची-4 का भुगतान करेंगे जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नगर निगम की उपविधि में विनर्दिष्ट किया गया है।

(4) कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कार्यक्रम की तिथि से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निगम को सूचित कर अनुमति प्राप्त किये बिना किसी गैर अनुज्ञाप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नही करेगा। ऐसा व्यक्ति या ऐसे आयोजन का आयोजन स्त्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था करेगा। और पृथक्कृत अपशिष्ट को नगर निगम द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौंपेगा तथा उस सन्दर्भ में दी गयी अनुमति की सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(5) प्रत्येक मार्ग विक्रेता (स्ट्रीट वेन्डर) अपने कार्य-कलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसे कि खाद्य अपशिष्ट प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) प्लेटों, कपों, डिब्बों, रैपरों, नारियल के छिलकों, शेष बचे भोजन, सब्जियों फलों आदि के लिए उपयुक्त पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को नगर निगम द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौपेंगा अन्यथा समीपस्थ सम्बन्धित अपशिष्ट संग्रह पात्रों में डालेगा।

(6) 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संस्थान नगर निगम की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्त्रोत पर ही पृथक करना, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनचक्रों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। बायोडिग्रेबिल अपशिष्ट का जहां तक संभव होगा परिसर के अंदर संशोधित, उपचारित और कम्पोस्टिंग करके अथवा बायोमीथेनेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर निगम द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

(7) सभी वृहद अपशिष्ट सृजक नगर निगम की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उप्तादकों द्वारा अपशिष्ट को स्त्रोत पर पृथक करने, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने और पुनचक्रों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। वृहद अपशिष्ट सृजक द्वारा बायोडिग्रेबल अपशिष्ट का परिसर के अंदर संशोधित, उपचारिता और कम्पोस्टिंग करके अथवा बायो मिथेनाइजेशन के जरिये निपटान अनिवार्य रूप से किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर निगम द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

3–**प्रतिषेध–**(1) कोई व्यक्ति स्वयं या दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी भी साधन से जानबूझ कर या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान, निजी या सार्वजनिक जल निकासी कार्यों से सम्बद्ध नाली, गली, गड्ढ़ा, सम्वातन पाईप और फिटिंगों में कोई कूड़ा कचरा, या अपशिष्ट नही फेंकेगा या फेंकवायेगा जिससे निम्नलिखित की सम्भावना हो–

(1) जल निकास और मल नालियों को क्षति पहुंचने की।

(2) नाली एवं मल पदार्थ के निर्बाध प्रवाह या उसके उपचार और व्ययन में बाधा पड़ने की खतरनाक होने या जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की।

(3) कोई भी व्यक्ति विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित लोक सुविधाओं के सिवाय प्रसुविधाओं के किसी सार्वजनिक स्थल पर स्नान नहीं करेगा, नहीं थूकेगा, न पेशाब करेगा, न ही उसे विकृत करेगा न पशुओं और चिड़ियों के समूह को खिलाएगा और न ही पशुओं, वाहनों, बर्तनों या किसी अन्य वस्तु का प्रक्षालन करेगा।

[1] कोई व्यक्ति स्वामी या अधिभोगी स्वामित्व प्राप्त या अध्यासित परिसर के सामने या उससे संलग्न किसी सार्वजनिक स्थल को किसी प्रकार के अपशिष्ट चाहे वह द्रव, अर्द्धठोस या ठोस पदार्थ हो, जिसमें मल प्रवाह और अपशिष्ट जल भी सम्मिलित है, से गन्दा नहीं करेगा।

[2] कोई भी व्यक्ति खुले में शौच/पेशाब न तो स्वयं करेगा और न ही अपने बालक से करायेगा।

[3] कोई भी पशुओं के स्वामी किसी भी दशा में उन्हें खुला नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इससे मार्गों/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गंदगी, आवागमन में अवरोध एवं दुर्घटनायें होने की सम्भावना बनी रहती है।

[4] कोई भी व्यक्ति घाटों, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाडर, नाम पटों, साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्डों अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गंदगी नहीं करेगा।

[5] कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं थर्मोकॉल आइटम्स का उत्पादन वितरण, भण्डारण एवं विक्रय नहीं करेगा।

[6] कोई भी व्यक्ति सड़क मार्ग या अनाधिकृत स्थल पर जानवरों का गोबर, लीद पचौनी या अन्य इसी प्रकार के पदार्थ न तो डालेगा और न ही डलवायेगा।

[7] कोई भी व्यक्ति, जानवरों का पालक/स्वामी ड्रेनेज/सीवरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी नहीं करेगा।

[8] कोई भी व्यक्ति या उसका पालक किसी सार्वजनिक स्थल, सड़क, पार्क आदि में अपशिष्ट नहीं डालेगा। इन स्थानों की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालकर गन्दगी करने पर अथवा सफाई कर्मी द्वारा घर-घर से अपशिष्ट एकत्रित करने के बाद यदि किसी व्यक्ति द्वारा गली या सड़क पर कूड़ा डालते हुये पाया जाता है तो अपशिष्ट को स्थल से हटाकर निस्तारण स्थल तक ले जाने का व्यय सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता से वसूल किया जायेगा।

[9] कोई भी व्यक्ति या संस्था या भवन स्वामी द्वारा या किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राईवेट विभाग द्वारा सार्वजनिक स्थल सड़क, पार्क, नाला, सड़क पटरी आदि स्थान पर भवन के निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से उत्पन्न मलवा, ईंटा, पत्थर, रोढ़ी, धूल-मिट्टी आदि इक्ट्ठा करना भण्डारण, विक्रय करना या फेंकना आदि अपशिष्ट को डालकर गन्दगी नहीं करेगा।

[10] कोई भी व्यक्ति या संस्था या भवन स्वामी या सब्जी विक्रेता या फेरी विक्रेता या दुकानदार या थोक विक्रेता या डिस्ट्रीब्यूटर या फर्म या फैक्ट्ररी द्वारा प्लास्टिक वेस्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्ण प्रतिबंधित आदि का अपशिष्ट सार्वजनिक स्थान, सड़क, पार्क, नाला, नाली, घरों के बाहर, सड़क पटरी, दुकान के बाहर, या कार्मिशयल संस्था द्वारा प्रयोग के बाद डालकर गन्दगी नहीं करेंगे न ही इधर-उधर नही फेकेगा।

[11] कोई भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी भी प्रकार का ई-वेस्ट (अनुपयोगी मोबाईल, बैटरी, मानीटर, रिमोट अन्य इलैक्ट्रोनिक सामग्री आदि) को सार्वजनिक स्थान, सड़क, पार्क, नाला, नाली, सड़क पटरी, दुकान के बाहर, या कार्मिशयल संस्था द्वारा कोई भी अपशिष्ट डालकर गन्दगी नहीं करेगा न ही जलाया जयेगा। ई-वेस्ट का न ही भण्डारण करेगा, न ही इधर-उधर नही फेंकेगा।

[12] कोई भी व्यक्ति या संस्था/हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट, पैथोलॉजी लैब द्वारा किसी भी प्रकार का अपशिष्ट जैव मेडिकल अपशिष्ट, अन्य किसी भी प्रकार का अपशिष्ट आदि सार्वजनिक स्थानों पर, सड़क, पार्क, नाला, नाली, या संस्था के बाहर, सड़क किनारे या अन्य किसी भी प्रकार टू-बिन्स या बिन्स में नहीं डाला जायेगा। वैज्ञानिक तरीके से डिस्पोज करेगा, न ही इधर-उधर नही फेंकेगा।

4–**अपशिष्ट का संग्रहण–**(1) घरेलू अपशिष्ट की डोर-टू-डोर संग्रहण–

[क] डोर-टू-डोर संग्रहण में लगे प्रत्येक सफाई कर्मी को कंटेनरयुक्त हाथठेला /रिक्शा तथा एक घण्टी या सीटी/सायरन उपलब्ध करायी जाएगी। प्रत्येक कर्मी का सफाई बीट में सफाई तथा निश्चित की गई संख्या में भवनों के अपशिष्ट संग्रहण का दायित्व सौंपा जायेगा। सफाई कर्मी घण्टी या सीटी/सायरन बजाकर सफाई तथा घरों से अपशिष्ट संग्रहण का कार्य यथा-निर्धारित समयावधि में एवं यथा-निर्धारित स्वरूप में करेगा। सफाई कर्मी सड़क/गली की सफाई संग्रहित पेड़ों के पत्तों की सफाई नियमित होनी है।

[ख] नगर निगम वैकल्पिक रूप में घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण के लिए कन्टेनर वाहन/मोटरवाहन की व्यवस्था कर सकेगा। वाहन चालक घर या बीट में हार्न बजाकर अपने आने की सूचना देगा, स्वामी या अध्यासी अपने घरेलू अपशिष्ट को सीधे कन्टेनर में डालेंगे।

[ग] किसी कारणवश उप नियम (क) अथवा (ख) में अंकित व्यवस्था संभव न होने पर स्वंय सेवी संगठनों, अभिकरणों अथवा ठेकेदारों द्वारा प्रतिदिन घर-घर से अपशिष्ट से संग्रहण का कार्य कराया जा सकेगा।

[घ] डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण करते समय डोर-टू-डोर स्तर पर गीला, सूखा, हानिकारक, अपशिष्ट अलग-अलग डोर-टू-डोर स्तर पर ही कराया जाये जो निगम द्वारा या संस्था या ठेकेदार या फर्म जो भी जिम्मेदार हो अपना कार्य करेगा।

[ङ] समस्त

(2) होटल अपशिष्ट का संग्रहण–होटल या रेस्टोरेंट द्वारा अपशिष्ट संग्रहण के लिए स्वयं की व्यवस्था की जायेगी। होटल या रेस्टोरेन्ट द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न समस्त प्रकार वेस्ट को स्वयं निस्तारण किया जायेगा, अपने परिसर में ही गीला, सूखा व हानिकारक कूड़े को अलग-अलग एकत्रित कर निस्तारित करेंगे। प्रतिबन्धित प्लास्टिक/पॉलिथीन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित करेंगे। अन्यथा की स्थिति में नगर निगम द्वारा यह व्यवस्था सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी। यह व्यवस्था ठेकेदारों द्वारा अथवा अभिकरण/अभिकर्ताओं द्वारा भी करायी जा सकेगी।

(3) शादी घरों, कल्याण मण्डपों एवं सामुदायिक केन्द्रों के अपशिष्ट का संग्रहण–शादी घरों, कल्याण मण्डपों, सामुदायिक केन्द्रों से प्रतिदिन उत्पन्न समस्त प्रकार के वेस्ट को स्वयं निस्तारण किया जायेगा, अपने परिसर में ही गीला, सूखा व हानिकारक कूड़े को अलग-अलग एकत्रित कर निस्तारित करेंगे। प्रतिबन्धित प्लास्टिक /पॉलिथीन का प्रयोग पूर्णतः वर्जित करेंगे। अन्यथा की स्थिति में नगर निगमों द्वारा सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी। यह व्यवस्था ठेकेदारों द्वारा अथवा अभिकरण/अभिकर्ताओं द्वारा भी करायी जा सकेगी।

(4) वधशाला अपशिष्ट यथा मृत पशुओं की अस्थियों का निस्तारण वैज्ञानिक रीति से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार की जायेगी इस अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट में सम्मिलित नही किया जायेगा।

(5) औद्योगिक अपशिष्ट का संग्रहण परिवहन और निस्तारण औद्योगिक संस्थानों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(6) अनौपचारिक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (जैसा अनुसूची-3 में सूचीबद्ध है) का विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा संग्रह वाहन को सौंपा जायेगा जिसकी व्यवस्था साप्ताहिक समयान्तर से या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा-निर्देशों के

अनुसार की जायेंगी। किसी अभिकरण द्वारा की जायेगी या ऐसे अपशिष्ट के संग्रह के लिए अभिहित केन्द्र को ऐसी रीति से निस्तारण कराने के लिए सौंपा जायेगा जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और व्यवस्था) नियमावली, 2016 के अनुसार आदेशित है।

(7) निर्माण और ध्वस्तीकरण संबंधी अपशिष्ट के भण्डारण और निस्तारण के संबंध में लघु सृजकों (घरेलू स्तर) के लिए यह उत्तरदायित्व पूर्ण होगा कि अपशिष्ट का भण्डारण करेंगे एवं नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थल पर उसका परिवहन कर डालेगा, अन्यथा कि स्थिति में उत्पादक नगर निगम या उसका अधिकर्ता से सम्पर्क स्थापित करेंगे उत्पादक से पृथक-पृथक किये गये निर्माण और विध्वंस एक विनिर्दिष्ट प्रभार होगा तदोपरान्त इस अपशिष्ट प्रसंस्करण केन्द्र को भेज दिया जायेगा।

(8) सभी जैव अनाशित (नॉन बायोडिग्रेडिबल) अपशिष्ट पुनः प्रयोग करने योग्य और पुनः प्रयोग न करने योग्य अपशिष्ट का भण्डारण अपशिष्ट के प्रत्येक उत्पादक द्वारा पृथक-पृथक किया जायेगा और उसे निर्दिष्ट अपशिष्ट संग्रह वाहन को सौंपा जायेगा जिसकी व्यवस्था नगर निगम या उसके अभिकर्ताओं द्वारा ऐसे स्थानों और ऐसे समय पर किया जायेगा जैसा कि ऐसे अपशिष्ट को संग्रह करने के लिए समय-समय पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा या नगर निगम या सरकारी या निजी भूमि पर स्थापित लाइसेंस/अुनबन्ध प्रपत्र ऐसे अपशिष्ट के छटान केन्द्रों को दिया जायेगा।

वेस्ट पिकर्स–वेस्ट पिकर्स (कूड़ा बिनने वालों का) का सर्वेक्षण कर उनका व उनसे संबंधित सहकारी संस्थाओं को चिन्हित किया जायेगा तथा प्रत्येक वेस्ट पिकर को पहचान-पत्र दिया जायेगा उन्हें अपने कार्य प्रशिक्षण देते हुए उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित कर पहचान-पत्र में अंकित किया जायेगा तथा उन्हें घर-घर से रिसाइक्लेबल अपशिष्ट संग्रह करने हेतु प्रेरित किया जायेगा। वेस्ट पिकर्स वाली सहकारी संस्थाओं लाइसेंस प्राप्त पुनः प्रयोगकर्ताओं या कबाडियों को संग्रह सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए नगर निगम के लाहसेंस के साथ ऐसे अपशिष्ट छटान केन्द्रों के संचालन के लिए नियुक्त किया जा सकता है (पुनः प्रयोग करने योग्य अपशिष्ट के प्रकार की विस्तृत अनुसूची दो में दी गई है)।

(9) उद्यान और बागवानी अपशिष्ट की प्रारंभिक अवस्था में ही कम्पोस्ट खाद बनायी जायेगी। जहॉ स्थल पर ही कम्पोस्ट खाद बनाना संभव न हो नगर निगम अधिसूचित उचित फीस लेकर पृथक-पृथक किये गये उद्यान और बागवानी अपशिष्ट संग्रह स्थल पर डाला जायेगा।

(10) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहित अपशिष्ट को हाथ ठेला गाडियों से सामूदायिक अपशिष्ट संग्रह स्थल पर डाला जायेगा।

(11) किसी प्रकार के अपशिष्ट को जलाया नहीं जायेगा।

(12) नाले व नालियों के सफाई से निकली हुई सिल्ट के संग्रह एवं परिवहन तथा निपटान हेतु अलग से व्यवस्था की जायगी।

5–**अपशिष्ट का पृथक्करण**–(1) प्रत्येक व्यक्ति, स्वामी या अध्यासी उत्पादक छः अपशिष्ट को अपशिष्ट उत्पादन स्त्रोत के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में पृथक करेगा–

[क] जैव नाशित (बायोडिग्रेडिबुल) अपशिष्ट (गीला कूड़ा)।

[ख] जैव अनाषित (नानबायोडिग्रेडिबुल) अपशिष्ट (सूखा कूड़ा)।

(2) जैव चिकित्सीय (बायोमेडिकल) अपशिष्ट।

(3) घरेलू परिसंकटमय (हजार्ड्स) अपशिष्ट।

(4) कंस्ट्रक्शन एण्ड डिमोलाईजेशन (सी0 एण्ड डी0) अपशिष्ट।

(5) इलेक्ट्रोनिक अपशिष्ट (ई वेस्ट)।

(6) प्लास्टिक अपशिष्ट (सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबन्धित)।

(2) पृथक्करण के लिए नगर निगम द्वारा जनजागरण एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जायेगा इस हेतु जन कल्याण समितियों गैर सरकारी संगठनों, कक्ष समितियों तथा नागरिकों समूहों को सम्मिलित किया जायेगा।

6–**अपशिष्ट का भण्डारण**–(1) नगर निगम ठोस अपशिष्ट के भण्डारण के सुविधाओं की स्थापना और अनुरक्षण इस नीति से करेगा कि आस-पास अस्वास्थ्यकर स्थिति न उत्पन्न हो।

(2) भण्डारण सुविधा सुगम स्थापना पर होगी।

(3) भण्डारण सुविधा इस प्रकार की हो कि वहां किसी का प्रदूषण तथा गन्दगी न फैले।

(4) नगर निगम अपशिष्ट का भण्डारण व हथालन सुगमता पूर्वक हो सके, अतः यह कार्य मशीनों द्वारा किया जाना श्रेयस्कर होगा।

(5) जहॉ किसी सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र चाहे खुले स्थान में हो या बन्द शेड में जो किसी परिसर में हो या सार्वजनिक स्थान हो से नगर निगम संग्रह किया जाता हो वहां वेस्ट को पृथक-पृथक किये गये अपशिष्ट के विभिन्न प्रकारों के लिए व्यवस्था किये गये अनुसार जमा किया जायेगा।

7–**सामुदायिक अपशिष्ट का भण्डारण केन्द्र**–अपशिष्ट के उत्पादकों द्वारा पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का निस्तारण इस हेतु उपबेधित अपशिष्ट भण्डार केन्द्रों में किया जाये जहां से नगर निगम द्वारा संग्रह वाहन ऐसे अपशिष्ट का प्रतिदिन ऐसे समय पर संग्रहित करेगा जैसा नगर आयुक्त अधिकारी या उनके द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी/कर्मचारी समय-समय पर अधिसूचित करे।

8–**ढांचागत सुविधाओं की व्यवस्था**–नगर निगम इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में नागरिकों की सहायता करने के लिए पर्याप्त ढांचागत सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। अपशिष्ट संग्रह सेवाओं के अतिरिक्त कूड़ा फेंकने के लिए हरा, नीला, लाल, नगर आयुक्त सामुदायिक भण्डारण केन्द्र, अपशिष्ट छटान केन्द्र (एम0आर0एफ0 सेन्टर) और कम्पोस्ट खाद बनाने के केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जहां कहीं सम्भव और आवश्यक हो यह कार्य स्थानीय नागरिकों के परामर्श और सहभागिता से किया जायेगा। मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों और प्रक्षालन सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जायेगी जिसमें संगठनों या स्थानीय समुदायों की भागादारी होगी। किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी मार्केट कॉम्प्लेक्स की निर्माण योजना के अनुमोदन से पूर्व भवन योजना में पृथक किए गये अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण और भण्डारण के लिए अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित किए जाने का प्राविधान सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। दिन प्रतिदिन के आधार पर बाजारों से सब्जियों, फलों, फूलों मांस, कुकुट हेतु स्वास्थ्यकर स्थिति सुनिश्चित करते हुए उचित स्थानों पर विकेन्द्रिकृत कम्पोस्टिंग प्लांट या जैव मीथेनीकरण प्लांट की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा। प्लास्टिक/पॉलिथीन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

9–**सुविधा और सहायता उपलब्ध करना**–नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी कम्पोस्ट खाद्य बनाने वाले विशेषज्ञों लाइसेंस प्राप्त कबाड़ियों पुनः प्रयोग करने वाले व्यापारियों, कूड़ेदान विनिर्माताओं, पुनः प्रयोग करने में सिद्धहस्त अभिरकणों की सूची बनायेगा और उसे प्रकाशित करेगा, जिससे कि अपशिष्ट को पुनः प्रयोग करने योग्य बनाने में नागरिकों को सुविधा और सहायता मिल सके। कर्मचारियों और पंजीकृत व्यक्तियों और संगठनों के नाम और टेलीफोन नंबर नगर निगम के सम्बन्धित कार्यालयों से उपलब्ध कराये जायेगें। ये संगठन इस प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण, दिशा निर्देश और सहायता प्रदान कर सकते हैं। स्वयं सेवी संस्थाओं और क्षेत्रीय नागरिक समूह के माध्यम से इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न की जायेगी।

10–**कूड़ा निस्तारण प्रभार एवं प्रयोक्ता शुल्क का लगाया जाना**–नगर निगम होटलों, रेस्ताराओं और अपशिष्ट के अन्य सृजकों पर कूड़ा कचरा निस्तारण प्रभार लगायेगा। अपशिष्ट प्रभार का निर्धारण नगर आयुक्त द्वारा अपशिष्ट की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए आनुपातिक सिद्धान्त के आधार पर लगाया जायेगा। कूड़े के समुचित निस्तारण के लिए प्रयोक्ता शुल्क लगाया जाएगा जो कि अनुसूची-4 में वर्णित दरों के अनुसार होगा जो कि प्रत्येक 02 वर्ष में पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

11–**कम्पोस्ट खाद को बनाया जाना**–अपशिष्ट के सृजकों को प्रोत्सहित किया जाये कि वे अपने जैवनाशित अपशिष्ट (बायोडिग्रेबल) से कम्पोस्ट खाद बनायें और अपने बगीचों और अपने निजी परिसरों में लगाये गये पेडों और आस-पास के पेडों में डालें। इस कार्य से बची हुई कम्पोस्ट खाद को नगर निगम विनिर्दिष्ट निर्धारित मूल्य पर क्रय कर सकेगा। शासन/अमृत योजना के अन्तर्गत निर्मित पार्कों से निकलने वाले जैवनाशी अपशिष्ट का कम्पोस्ट बनाना, पार्क निर्मित करने वाली फर्म एवं सम्बन्धित अवर अभियन्ता की जिम्मेदारी होगी। वह अपने दिशा-निर्देश/निगरानी में पार्कों से निकलने वाले जैवनाशी अपशिष्ट से कम्पोस्ट बनाकर पार्क में पेड़-पौधों में डाला जाये।

12–**अपशिष्ट प्रसंस्करण**–(1) जहां कहीं सम्भव हो नगर निगम सार्वजनिक पार्कों, क्रीडा स्थल, मनोरंजन स्थल, उद्यानों, अधिक मात्रा में खाली भूमि चाहे वह नगर निगम या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण या सरकारी विभाग के स्वामित्व में हो या उसके द्वारा अनारक्षित हो पर लघु प्रसंस्करण ईकाईयॉ (कम्पोस्ट खाद बनाना या जैव मीथेनीकरण) स्थापित करेगा। ऐसी ईकाईयों की स्थापना तथा अनुरक्षण गैर सरकारी संगठनों, अभिकर्ताओं, व्यवस्था अधिकारियों, ठेकेदारों, किरायेदारों द्वारा भी की जा सकती हैं। ये संस्थायें स्थानीय समुदाय के लिए नमूना का प्रदर्शन करेगी और इस प्रकार से कार्य करेगी जिससे समाज या पर्यावरण का कोई असुविधा या हानि न हो।

(2) नगर निगम नदियों, झीलों, तालाबों, पूजा स्थलों आदि के पास कतिपय निर्दिष्ट स्थलों से पूजा सामग्रियों (फूल, पत्ती, फल) को विशेष पात्र या कलशों में इकट्ठा करने हेतु या स्वयं दायित्व लगाया इच्छुक संगठनों को प्राधिकृत करेगा। इन कलशों या पात्रों से इक्ट्ठा की गयी समाग्री को उपयुक्त स्थान पर गाड़ा जायेगा या कम्पोस्टिंग इकाइयों द्वारा विशेष रूप से व्यवस्था की जाएगी।

(3) अपशिष्ट के परिवहन की लागत को कम करने और अपशिष्ट के स्थानीय प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के वृहत्तर लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से सम्बन्धित अधिकारी से नोटिस प्राप्त करने वाले अपशिष्ट के किसी उत्पादक के लिए यह अपेक्षित होगा कि वह यथा विनिर्दिष्ट उपयुक्त नोटिस में इस प्रयोजनार्थ अभिहित स्थलों पर जैवनाशित अपशिष्ट को प्रसंस्कृत करे।

(4) नगर निगम ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिए यथा-आवश्यक एक से अधिक भूमि भरण स्थलों का चिन्हीकरण विकास और अनुरक्षण करेगी और उसमें ऐसे निष्क्रिय ठोस अपशिष्टों को जो पुनर्चक्रण अथवा प्रसंस्करण के लिए समुचित न हो डाला जाएगा।

(5) पुनःचक्रण योग्य अपशिष्टों में पुनर्चक्रण की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

(6) वह अपशिष्ट जो अनुपयोगी हो, पुनर्चक्रण के योग्य न हो, नॉन बायोडिग्रेबुल न हो, ज्वलनशील न हो तथा नॉन री-एक्टिव व इनर्ट हो तथा जो अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा से छांट कर निकाला गया हो को सैनिटरी लैण्डफिल साइट पर निस्तारित किया जायेगा।

(7) छटे हुए अपशिष्ट को यथा सम्भव रीसाइकिल व रीयूज करने हेतु प्रयास किया जायेगा ताकि जीरो वेस्ट के लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

(8) खुली हुई डम्प साइट्स की बायो-माईनिंग व बायो-रेमेडिएशन की व्यवस्था की जायेगी। उपयुक्त न होने पर अथवा अन्यथा की स्थिति में इनकी मानक के अनुसार कैपिंग की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जायेगी ताकि पर्यावरण प्रदूषित न हो।

(9) घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के एकत्रीकरण के लिए अपशिष्ट निक्षेपण केन्द्र की स्थापना, जिसको 10 किलो मीटर क्षेत्रफल के घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के एकत्रीकरण के लिए बनाया जायेगा। इन केद्रों में घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट जमा करने का स्थान एवं समय नगर आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

(10) घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के सुरक्षित भण्डारण एवं परिवहन के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा।

13–**अपशिष्ट का परिवहन**–नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस नामित प्राधिकृत कोई प्राधिकारी किसी सार्वजनिक या निजी स्थल पर अपशिष्ट एकत्रीकरण का बिन्दु चिन्हित करायेगा। जहां नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली गाड़ी की दिये जाने के लिए एकत्रित (रूट) योजना के अनुसार एकत्रित कूड़े को इकट्ठा करने के लिए उपलब्ध करायी जायेगी। अपशिष्ट के परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाले वाहन में पृथक-पृथक गीला-सूखा परिवहन के समय कूड़ा ढका रहेगा।

14–**स्त्रोत पर ही एकत्रीकरण**–भवन स्वामियों या अध्यासियों द्वारा भवनों या भवन समूहों के परिसर के भीतर कूड़ा स्त्रोत स्थान से एकत्रीकरण की व्यवस्था की जा सकेगी और नगर निगम की गाड़ियों/कर्मचारियों द्वारा उस कूड़े के पात्रों तक ऐसे समय तक पहुंचाई जायेगी जैसा अधिसूचित किया जाये।

15–**सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र**–अपवादिक मामलों में जहां स्थान-स्थान पर एकत्रीकरण या स्त्रोत पर ही एकत्रीकरण सम्भव न हो वहां नगर निगम द्वारा सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र या सार्वजनिक सड़कों पर या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जहां आवश्यक और संभव हो रख-रखाव किया जायेगा जैसा कि नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस नामित अधिकृत कोई प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये।

16–**अपशिष्ट छंटाई केन्द्र (एम0आर0एफ0 सेन्टर)**–पुनर्चक्रीय और अपुनर्चक्रीय अपशिष्ट की छंटाई कार्य को विनियमित करने तथा सुविधापूर्ण बनाने के लिए संबंधित अधिकारी उतने अपशिष्ट छंटाई केन्द्रों की व्यवस्था करेगा जो आवश्यक और संभव हो। ये अपशिष्ट छटाई केन्द्र नगर निगम की भूमि पर या सरकारी अथवा अन्य निगमों की भूमि पर हो सकते हैं, जो इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से खोखा, भोड या गुमटी के रूप में उपयुक्त सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराये जायेंगे। इनकी व्यवस्था कूड़ा बिनने वालों की रजिस्टर्ड सहकारी समितियों या अनुज्ञा प्राप्त री-साइक्लर्स या नगर निगम द्वारा नियुक्त अथवा प्राधिकृत अन्य अभिकरणों द्वारा भी की जायेगी। जैव अपघटन योग्य अपशिष्ट के भण्डारण के लिए हरे रंग के डिब्बे पुनर्चक्रमण योग्य अपशिष्ट के लिए नीले रंग एवं अन्य अपशिष्ट के लिए लाल रंग के डिब्बे का उपयोग किया जायेगा। छंटाई के बाद अवशेष अपुनर्चक्रीय कूड़े का प्रसंस्करण या भूमि भराव के लिए ऐसे छंटाई केन्द्रों से कूड़ा निस्तारण स्थलों पर भेजा जायेगा। ऐसे अपशिष्ट छंटाई केन्द्रों पर विभिन्न प्रकार के कूड़े को अधिसूचित दरों पर क्रय एवं विक्रय का कार्य नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया जायेगा।

17–**समय सारणी एकत्रीकरण का मार्ग**–अपशिष्ट के दैनिक तथा साप्ताहिक एकत्रीकरण की समय-सारणी एवं मार्ग का निर्धारण सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं अधिसूचित किया जायेगा। इनका विवरण सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध रहेगा।

18–**स्थानीय नागरिक समूह**–स्वयं सहायता समूहों के गठन को सुगम बनाना उन्हें पहचान कर पत्र उपलब्ध कराना तद्पोरान्त घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रह करते सहित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में एकीकरण को प्रोत्साहन दिया जायेगा। स्वैच्छिक संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों अथवा स्थानीय नागरिक समूहों का विनिर्दिष्ट प्रशासनिक प्रभार इकट्ठा करने हेतु अनुबन्ध के आधार पर नगर निगम द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा, जिससे वे अपने क्षेत्र को साफ रख सकें। सड़कों की सफाई कूड़े के पृथक्कीकरण, एकत्रीकरण, परिवहन, कम्पोस्टिंग आदि के लिए निर्धारित इकाई दरों पर नगर निगम या स्वामियों या अध्यासियों से भुगतान प्राप्त कर सकेंगे। पंजीकरण प्रक्रिया मॉडल अनुबन्ध का प्रारूप नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन पर उपलब्ध करायी जायेगी।

19–**सफाई अभियान**–उन क्षेत्रों में जिनको विशेष सफाई अभियान के लिए आवश्यक समझ कर चिन्हित किया जाये और जहां स्थानीय पार्षद या सदस्य नागरिक सहयोग के लिए आगे आते ही सफाई अभियान का आयोजन किया जायेगा। ऐसे विशेष अभियानों के लिए अपेक्षित संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

20–**जागरूकता शिक्षा और प्रशिक्षण**–नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय नागरिक समूहों, नगर निगमकर्मी और उसके अभिकर्ता नगर के स्कूल, आवासीय समितियों, गन्दी

बस्तियों, दुकानों, फेरी वालों/अपशिष्ट चुनने वालों/संग्रहकर्ता को कार्यालय, स्कूलों, औद्योगिक इकाईयों, वाणिज्यिक यूनियनों, सकल एरिया सिटिजन ग्रुप आदि से सफाई के सम्बन्ध में भौक्षणिका एवं प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पता लगाया जायेगा। उसके पश्चात इन सबकी शिक्षा, जागरूकता, सहभागिता एवं प्रशिक्षण के लिए एक समन्वित योजना एवं रणनीति तैयार कर उसे कार्यान्वित की जायेगी। इसमें नगर निगम की कक्ष समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

21–**अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये जन सहभागिता को प्रोत्साहन**–जन सहभागिता और सहयोग से किये गये सफाई कार्य और अपशिष्ट प्रबन्धन के सर्वोत्तम कार्यों के लिए नगर निगम द्वारा प्रशंसा-पत्र और पुरस्कार प्रदान किया जायेगा तथा प्रचारित किया जायेगा।

22–**शिकायतों का निस्तारण**–नगर निगम इस नियमावली के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु कम्प्लेण्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम को संचालित करेगा या एक समुचित नया आनलॉइन कम्पलेण्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम तैयार करेगा। शिकायतों और कृत कार्यवाही की रिपोर्ट के आंकडें ऑनलाईन ग्रिवान्स मैनेजमेंण्ट सिस्टम (ओ0जी0एम0एस0)/ सिटिजन्स पोर्टल में प्रदर्शित की जायेगी।

23–**नागरिकों की सफाई टीम**–नगर आयुक्त, नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता एवं सफाई कार्यों में विशेष रुचि एवं सहयोग प्रदान करने वाले नागरिकों को स्वच्छाग्राही नामित कर सकता है सम्बन्धित नागरिक नगर के प्रत्येक वार्ड में सफाई टीम का भी गठन कर सकते हैं तथा सर्वेक्षण करके सफाई के अनुश्रवण हेतु नियमित रिपोर्ट उपलब्ध करा सकते हैं। इन रिपोर्टों को नगर निगम कार्मिकों को अग्रसारित किया जायेगा और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया जायेगा ताकि इसके माध्यम से उस क्षेत्र की सफाई और अनुश्रवण सुनिश्चित हो सके। इसमें नगर निगम की कक्ष समितियो का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

24–**रुचि की अभिव्यक्ति**–किसी क्षेत्र को साफ रखने या कूड़े के पृथक्करण पुनरावर्तन या कूड़े को प्रसंस्करण की सुविधाओं की स्थापना, कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, बायो-मिथेनीकरण आदि की नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सर्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से रूचि की अभिव्यक्ति के ऐसे सभी आमंत्रण के विवरण सभी वार्ड कार्यालयों में तथा वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी तथा प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा और मूल्यांकन नगर निगम द्वारा किया जायेगा।

25–**आकस्मिक निरीक्षण**–अनुपालन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नगर निगम की म्युनिसिपल सीमाओं में सम्बन्धित अधिकारी अपने-अपने वार्डों के विभिन्न मार्गों में किसी भी समय (दिन-रात) आकस्मिक जांच करेंगे। किसी उल्लंघन के लिए अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान पाये जाने वाले कूड़े कचरे की सफाई नगर निगम द्वारा की जायेगी और उसमें अन्तर्गत व्यय उल्लंघनकर्ता से वसूला जा सकेगा।

26–**अपशिष्ट प्रबंधन में दायित्व**–(1) मलिन बस्तियों की सफाई के संबंध में दायित्व–

[क] नगर आयुक्त ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए जहां-जहां भी योग्य समुदाय आधारित संगठन आगे आयें, वर्तमान में अनाच्छादित क्षेत्रों में उनके वार्डों के अन्तर्गत दत्तक बस्ती योजना (मलिन बस्ती अपनाने के अन्तर्गत) का विस्तार करेंगे।

[ख] जहां आवश्यक हो नगर निगम की गाड़ी पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का संग्रह करने के लिए मलिन बस्ती के बाहर किसी स्थान पर नियत समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

[ग] अपवादित मामलों में जब तक गाड़ी की सेवायें तत्समय सार्वजनिक मार्ग या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर किसी चिन्हित बिन्दु पर अपेक्षित अन्तराल पर उपलब्ध नहीं करायी जा सकती हो, नगर निगम द्वारा मानव सेवित सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण कूड़ादान की व्यवस्था की जायेगी जहां कूड़ा उत्पन्न करने वालों के द्वारा पृथकीकृत अपशिष्ट जमा किया जायेगा और वहां से नगर निगम ऐसे अपशिष्ट का संग्रह करेगी।

(2) मुर्गी पालन, मछली और बूचड़खाना अपशिष्ट उत्पादक के दायित्व–चिन्हित बूचड़खानों और बाजारों से भिन्न किसी भू-गृहादि के स्वामी या अध्यासी जो मुर्गी मछली और बूचड़खाना अपशिष्ट को किसी व्यावसायिक गतिविधि के फलस्वरूप उत्पन्न करता है ढकी हुई, स्वच्छ स्थिति में उसका पृथक भण्डारण करेगा और इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराये गये नगर निगम के संग्रह वाहन को विनिर्दिश्ट समय पर दैनिक रूप से पहुंचायेगा। किसी सामुदायिक कूड़ादान में ऐसे अपशिष्ट का जमा करना निषिद्ध है और अर्थदण्ड की अनुसूची में इंगित अर्थदण्ड का भागी होगा।

(3) ठेले वालों/फेरी वालों के दायित्व–घरेलू नाली वाले भू-गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वह घर की नाली में कोई अपशिष्ट नहीं इकट्ठा करेगा और नगर निगम द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे स्थान ऐसे समय पर नगर निगम द्वारा और उपलब्ध कराये गये अपशिष्ट संग्रह वाहन तक ठोस अपशिष्ट को अलग-अलग करके पहुंचाया जाये। ऐसा करने में विफल रहने पर अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा।

(4) नाली की सफाई का दायित्व–घरेलू नाली वाले भू गृहादि का स्वामी अथवा अध्यासी का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वह घर की नाली में कोई अपशिष्ट नहीं इकट्ठा करेगा और नगर निगम द्वारा यथा ठोस अपशिष्ट को अलग-अलग करके पहुॅचाया जाये। ऐसा करने में विफल रहने पर अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा।

जहां ऐसे भू-गृहादि का स्वामी या अध्यासी घर की नाली की सफाई के लिए नगर निगम की सेवायें प्राप्त करने की इच्छा करता है तो उसे नगर निगम से सम्बन्धित वार्ड कार्यालय में आवेदन करना होगा। नगर निगम द्वारा यथा निर्धारित प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान प्राप्त कर घर की नाली की सफाई कराई जा सकेगी।

(5) पालतु पशु स्वामी का दायित्व–किसी पालतु पशु के स्वामी का यह दायित्व होगा कि गली या सार्वजनिक स्थान पर पालतु पशु द्वारा फैलाई गयी किसी गन्दगी को शीघ्रता से हटा दें अन्यथा ऐसे अपशिष्ट के समुचित निस्तारण के लिए अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा।

(6) सार्वजनिक सम्मेलन और समारोह आयोजनकर्ता का दायित्व–सार्वजनिक स्थान पर आयोजित किसी भी प्रकार के सार्वजनिक सम्मेलन और समारोह (जिसमें जुलूस प्रदर्शनी सर्कस मेलों या राजनैतिक दलों की रैली, व्यावसायिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अपेक्षित है समारोह विरोध प्रदर्शन इत्याादि शामिल हैं) के लिए जिसमें पुलिस और/या नगर निगम की अनुमति अपेक्षित है समारोह या सम्मेलन के संयोजक का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों की सफाई सुनिश्चित करे।

नगर निगम द्वारा यथा अधिसूचित प्रतिदेय स्वच्छता प्रभार प्रयोक्त आयोजक से समारोह की अवधि के लिए संबंधित कार्यालय में जमा कराया जायेगा। यह प्रभार केवल सार्वजनिक स्थल की सफाई के लिए होगा। इसमें सम्पत्ति की क्षति आच्छादित नहीं होगी।

(7) निपटान योग्य उत्पादों तथा स्वास्थ्य कर नैपकीनो और डाइपर के विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों के कर्तव्य–

[1] निपटान योग्य उत्पादों जैसे टिन, कॉच प्लास्टिक पैकेजिंग इत्यादि के सभी निर्माता या ऐसे उत्पादों को बाजार में लाने वाले ब्राण्ड स्वामी अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली की स्थापना के लिए स्थानीय निगमों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेंगे।

[2] गैर नान बायोडिग्रेडबुल पैकेंजिग सामग्री में अपने उत्पादों की बिक्री या विपणन करने वाले ऐसे सभी ब्राण्ड स्वामी उनके उत्पाद के कारण उत्पन्न हुए पैकेजिंग अपशिष्ट को वापस ग्रहण करने के लिए प्रणाली की व्यवस्था करेंगे।

[3] स्वास्थ्य कर नैपकीनों तथा डाइपरों के विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों या विपणन कम्पनियों द्वारा अपनी उत्पादों में सभी पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों के प्रयोग की सम्भाव्यता का पता लगायेंगे या अपने स्वास्थ्य कर उत्पादो के पैकेट के साथ प्रत्येक नैपकीन या डाइपर के निस्तारण के लिए एक पाउच या रैपर उपलब्ध करायेंगे।

[4] ऐसे सभी विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों या विपणन कम्पनियों द्वारा अपनी उत्पादों को लपेटने और उनका निस्तारण करने के सम्बन्ध में लोगो को जानकारी दी जायेगी।

27–**नियमों का उल्लंघन के लिये शास्ति**–उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर निगम निश्चित करती है कि इस उपविधि के किसी भी नियम का उल्लघंन करना अथवा उल्लघंन के दुष्प्रेरित करना दण्डनीय अपराध होगा। ऐसे व्यक्ति संस्था अथवा अन्य के विरुद्ध नियमानुसार अभियोजन आई0पी0सी0 की धाराओं में पंजीकृत किया जायेगा।

28–**अपराधों का प्रशमन**–इस नियमावली के अधीन दण्डनीय कोई अपराध नगर आयुक्त/नगर आयुक्त द्वारा उक्त कार्य के लिए निरीक्षक या उससे ऊपर के अधिकारी/कर्मचारी/अनुबन्धित संस्थाओं द्वारा शमन शुल्क की ऐसी धनराशि के जैसा कि अनुसूची-1 में उल्लिखित है वसूल करके प्रशमित किया जा सकता है। शर्त यह होगी कि नगर निगम में बाहरी संस्थाओं द्वारा वसूल की प्रशमन शुल्क की धनराशि का 75 प्रतिशत उसी दिवस को नगर निगम कोष में जमा करना होगा व इसकी लिखित सूचना व सूची नगर निगम के सफाई विभाग में प्रस्तुत करनी होगी। शेष 25 प्रतिशत धनराशि संस्थाएं अपने पास रखेंगी और जहां अपराध का इस प्रकार प्रशमन–

(क) अभियोजन संस्थित किये जाने से पूर्व किया जाता है वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन का भागी नहीं होगा और यदि वह अभिरक्षा में हो तो स्वतंत्र कर दिया जायेगा।

(ख) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है, वहां प्रशमन/जुर्माना/अर्थिक दण्ड से अपराधी दोष मुक्त हो जायेगा।

उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की प्रेक्षा पर अपना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता (आई0पी0सी0) के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु विहित अधिकारी/कर्मचारी स्वतंत्र होगा और ऐसे व्यक्ति/संस्था अथवा समूह के भार साधक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए स्थानीय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी/पुलिस कर्मियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप देगा।

अनुसूची–1

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2019

प्रशमन शुल्क तालिका (ड्राफ्ट)

क्र0 सं0	उल्लंघन	प्रशमन शुल्क	02 वर्ष की अवधि में पुनः उल्लघंन की दशा में प्रशमन शुल्क	नगर निगम द्वारा अपशिष्ट उत्पादक के दायित्यों का निर्वहन करने की दशा मे प्रशासकीय व्यय की धनराशि
1	2	3	4	5
		रु0		रु0
1	व्यक्ति/संस्था/फर्म/द्वारा किसी अनाधिकृत स्थल पर किसी –	–		
	(1) अपशिष्ट फैलाना/फेंकना	200.00	पांच गुणा	500-5,000.00
	(2) थूकना	100.00	पांच गुणा	200.00

1	2	3	4	5
		रु0		रु0
	(3) मूत्र विर्सजन करना	100.00	पांच गुणा	250.00
	(4) जानवरों के अनिर्दिष्ट स्थान पर खिलाना	500.00	पांच गुणा	1,500.00
	(5) वाहनों की धुलाई	500.00	पांच गुणा	1,500.00
	(6) कपड़े धोना	500.00	पांच गुणा	1,500.00
	(7) सार्वजनिक स्थान, नदी, तालाब या कुंड में गंदगी फैलाना	500.00	पांच गुणा	1,500.00
	(8) नदी, नाला, नाली में कूडा डालना या गंदगी फैलाना	500.00	पांच गुणा	5,000.00
	(9) सडक पर पंचर जोड़ना, मोबिल डालना, मैकेनिक सम्बन्धी कार्य करने से सडक पर फिसलन करना	500.00	पांच गुणा	5,000.00
	(10) सडक, रोड पटरी पर ईट, बालू, बजरी, पाड़, बल्ली रख कर व्यवसाय करना	500.00	पांच गुणा	5,000.00
	(11) नाली तोड़ना, पानी अवरूद्व करना	500.00	पांच गुणा	5,000.00
	(12) नाला/नाली में अवरोध डालकर गार्डन/खेत की सिंचाई करना	500.00	पांच गुणा	5,000.00
2	मार्ग, पार्क, घाटों, आदि सार्वजनिक स्थल की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालने पर	500.00	पांच गुणा	5,000.00
3	घाटों, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाडर, नाम पटों, साइनेज या मार्ग दर्शक अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गंदगी करने/कराने पर	500.00	पांच गुणा	5,000.00
4	पालतु पशुओं को खुला छोड़कर मार्गों/खुले/सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गंदगी, आवागमन में अवरोध पैदा करने/कराने पर	500.00	पांच गुणा	1,000.00
5	नाले/नालियों, ड्रेनेज/सीवरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी करने पर–			
	(क) पशु पालक 5 जानवरों तक	1,000.00	पांच गुणा	5,000.00
	(ख) पशु पालक 5 जानवरों से अधिक व 25 जानवरों तक	5,000.00	पांच गुणा	10,000.00
	(ग) पशु पालक 25 जानवरों से अधिक	10,000.00	पांच गुणा	20,000.00

1	2	3	4	5
		रु0		रु0
6	डस्टबिन/स्टोरेज कन्टैनर के बाहर अपशिष्ट फैलाना	500.00	पांच गुणा	500-2,000.00
7	उपकरणों/कपड़ों अन्य किसी सामग्री अनिर्दिष्ट स्थल पर धुलाई	500.00	पांच गुणा	500-2,000.00
8	किसी परिसर मे 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए कूड़ा-करकट को बनाये रखना	500.00	पांच गुणा	2,000.00
9	कानून का उल्लघंन करते हुए शव अनियमित निस्तारण	1,000.00	पांच गुणा	1,000-2,000.00
10	अपने परिसर को स्वच्छ रखने में असफल रहना–			
	(क) डबलिंग यूनिट/भवन/फ्लैट	500.00	पांच गुणा	500.00
	(ख) दुकान/बूथ	400.00	पांच गुणा	1,000.00
	(ग) माल/मल्टीप्लेक्स/शापिंग और केड/होटल	5,000.00	पांच गुणा	5,000-10,000.00
	(घ) शैक्षणिक/धार्मिक/अन्य संस्थान	2,000.00	पांच गुणा	5,000.00
11	प्रतिबन्धित पॉलीथीन आइटम्स का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर।	25,000.00	पांच गुणा	शासन द्वारा निर्धारित दर अनुसार
12	थर्मोकोल आइटम्स का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर।	25,000.00	पांच गुणा	शासन द्वारा निर्धारित दर अनुसार
13	बिना पृथक्करण किये हुए तथा बिना अलग-अलग निर्धारित रंग के डस्टबिन में रखे हुए कूड़े को सौंपना–			
	(क) व्यक्तिगत भवन	200.00	पांच गुणा	–
	(ख) दुकान/बूथ	500.00	पांच गुणा	–
	(ग) माल/मल्टीप्लेक्स/शापिंग और केड/होटल	5,000.00	पांच गुणा	–
	(घ) शैक्षणिक/धार्मिक/अन्य संस्थान	2,000.00	पांच गुणा	–
	(ड़) औद्योगिक भूखण्ड/यूनिट	5,000.00	पांच गुणा	–
	(च) इवेन्ट आरगेनाइजर्स	5,000.00	पांच गुणा	–

1	2	3	4	5
		रु0		रु0
14	वृहद् अपशिष्ट (50 किलो ग्राम प्रतिदिन से अधिक उत्सर्जकों द्वारा अपशिष्ट के उपचार के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण न करना)	5,000.00 प्रतिमाह	10,000.00 प्रतिमाह	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
15	विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्ट (हजार्डस वेस्ट) को सार्वजनिक अथवा प्राइवेट स्थल पर डम्प करने पर	2,000.00	4,000.00	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
16	बायोमेडिकल अपशिष्ट को अन्य अपशिष्ट के साथ डम्प करने पर	5,000.00	10,000.00	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
17	विनिर्दिष्ट परन्तु परिसंकटमय अपशिष्ट को यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर	1,000.00	2,000.00	—
18	जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर	1,000.00	2,000.00	—
19	निर्माण और ढहाने के अपशिष्ट का यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से भण्डारण न करने/ अधिकृत एजेन्सी को डिलीवरी न करने पर	1,000.00 प्रतिटन	प्रशमन शुल्क का पांच गुणा उपरोक्तानुसार	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
20	शुष्क अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर	500.00	500.00	—
21	उद्यान अपशिष्ट और पंड़ों की छँटाई के कूड़े की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर	1,000.00	2,000.00	1,000.00
22	अपशिष्ट जलाकर निस्तारण करने पर	1,000.00	2,000.00	—
23	खुले में शौच करने पर	500.00	1,000.00	—
24	पालतू जानवरों के अपशिष्ट को सार्वजनिक गलियों/सड़कों/पार्क में फेकना	500.00	1,000.00	5,000.00
25	घरेलू अपशिष्ट से भिन्न मछली, मुर्गा और अपशिष्ट की यथा निर्दिष्ट पृथक्करण की रीति से डिलीवरी न करने पर	500.00	1,000.00	1,000.00
26	बिना डिब्बा/अपशिष्ट टोकरी के ठेले वालों/फेरी वाले/दुकानदारों के लिए	100.00	200.00	—

1	2	3	4	5
		रु0		रु0
27	पालतू रखे गये पशुओं द्वारा कूड़ा फैलाए जाने के लिए	500.00	1,000.00	5,000.00
28	व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक स्थल पर अनधिकृत रूप से पानी बहाने पर	1,000.00	2,000.00	—
29	सार्वजनिक सम्मेलन/समारोह के पश्चात 24 घण्टे के भीतर सफाई न करने के लिए	5,000.00	1,000.00	सफाई करने पर अपने वाले वास्तविक व्यय की वसूली एवं स्वच्छता डिपाजिट जब्त कर लेना।
30	सार्वजनिक विभाग/ठेकेदार/फर्म द्वारा निर्माण एवं विध्वंस या पुनः निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ईंटा, रोड़ा, मलवा, रेत एवं धूल आदि सार्वजनिक सड़क या सड़क किनारे छोड़ देने पर सम्बन्धित अधिकारी/फर्म पर प्रशमन शुल्क	500.00 प्रतिदिन साइटस से हटने तक	5,000 एक सप्ताह में न हटाने पर	आई0पी0सी0 धारा में अभियोजन दर पंजीकृत
31	जो अपराध उपरोक्त सूची में सम्मलित नहीं हैं लेकिन जो कृत उल्लंघन या अपराध की श्रेणी में हो	3,000.00	—	—

नोट–

1–उपरोक्त प्रशमन/समझौता शुल्क/चार्जेज के दो वर्षो के उपरान्त पुनः निर्धारण का नगर आयुक्त, नगर निगम में निहित होगा। इसके पुनः निर्धारण के उपरान्त पूर्व की दरें स्वतः निष्प्रभावी हो जायेंगी।

2–अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी द्वारा प्रतिबन्धित पालीथीन/थरमाकोल अथवा अन्य प्रतिबन्धित सामग्री का उत्पादन एवं वितरण उसी स्थान/यूनिट से बार-बार पाये जाने पर उनके द्वारा ऐसी यूनिट को बन्द करने की संस्तुति नगर आयुक्त, नगर निगम को दी जायेगी एवं इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ऐसी यूनिट को बन्द करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा जायेगा।

3–यदि अधिकृत अधिकारी/एजेन्सी या कोई भी सामान्य नागरिक किसी कर्मचारी को खुले में कूड़ा जलाते हुए पाता है तो वे उसकी रिपोर्ट निगम के अधिकारी को उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।

4–उपरोक्त प्रशमन शुल्क सूची में निर्धारित शुल्कों को मौके पर (स्पॉट फाईन) के रूप में वसूल करते वक्त समझौता शुल्क के तहत प्रशमन शुल्क सूची से कम शुल्क वसूलना शमन शुल्क (स्पॉट फाईन)/समझौता शुल्क कहलायेगा।

अनुसूची–2

जैवनाशित और पुनर्चक्रीय अपशिष्ट की सूची

जैवनाशित अपशिष्ट–(उदाहरणार्थ स्वरूप)

1–जैवनाशित अपशिष्ट से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है।

2–रसोई घर का अपशिष्ट जिसमें चाय की पत्ती, अण्डे के छिलके, फल और सब्जियों के छिलके शामिल हैं।

3–मांस और हड्डियां, उद्यान व पत्तियों का कूड़ा करकट जिसमें फूल भी है।

4–पशुओं को कूड़ा करकट, गोबर सफाई के बाद घर की करकट, गोबर सफाई के बाद घर की गंदगी, नारियल के छिलके, राख, अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट।

पुनर्चक्रीय अपशिष्ट–(उदाहरणार्थ स्वरूप)

1–पुनर्चक्रीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे शुष्क अपशिष्ट से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री में एक प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तित किया जा सके और जो मूल उत्पाद के समान हो सकता है और नहीं भी हो सकता है।

2–समाचार-पत्र, कागज, पुस्तकें, पत्रिकायें, शीशा, धातु के पदार्थ और तार प्लास्टिक फटे कपड़े चमड़ा, रेक्सीन, रबर, लकड़ी/फर्नीचर पैंकिग के सामान एवं अन्य इसी प्रकार के अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट।

अनुसूची-3

जैव अपशिष्ट की सूची

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट–

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बेहोशी के दौरान या उनके सम्बन्धी शोध कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।

1–धारदार अपशिष्ट–

सुईयॉ, सिरींज, छुरियां, ब्लेड, शीशा इत्यादि जिनसे छेद या कटाव हो सकता है इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त धारदार दोनों है।

2–बेकार दवाईयां और साइटोटाक्सिक औषधियां–

अवसान तिथि के बाद की दूषित और बेकार दवाईयों के अपशिष्ट।

3–ठोस अपशिष्ट–

रक्त और शरीर द्रव दूषित सामग्री जिनमें रुई, पट्टी, कपड़े की पट्टी, बिस्तर, चादर और रक्त से दूषित अन्य सामग्री।

अनुसूची – 4

आवासीय/अनावासीय भवनों के परिसर का कूड़ा उठाने के लिए प्रस्तावित प्रयोक्ता षुल्क/यूजर चार्ज

क्र0 सं0	उपभोक्ता की श्रेणी	यूजर चार्ज प्रतिमाह
1	2	3
		रु0
1	भवन एक मंजिल (500 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	50.00
2	भवन दो मंजिल (500 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	70.00

1	2	3
		रु0
3	भवन तीन मंजिल या उससे अधिक (500 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	100.00
4	भवन एक मंजिल (501 वर्ग फीट से 1000 वर्ग फिट क्षेत्रफल तक)	100.00
5	भवन दो मंजिल (501 वर्ग फीट से 1000 वर्ग फिट क्षेत्रफल तक)	120.00
6	भवन तीन मंजिल या उससे अधिक (501 वर्ग फिट से 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	150.00
7	भवन एक मंजिल (1001 वर्ग फिट क्षेत्रफल तक)	120.00
8	भवन दो मंजिल (1001 वर्ग फिट क्षेत्रफल अधिक तक)	150.00
9	भवन तीन मंजिल या उससे अधिक (1001 वर्ग फिट क्षेत्रफल अधिक तक)	180.00
10	व्यावसायिक प्रतिष्ठान एक मंजिल (500 वर्ग फिट क्षेत्रफल तक)	100.00
11	व्यावसायिक प्रतिष्ठान दो मंजिल (500 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक)	150.00
12	व्यावसायिक प्रतिष्ठान तीन मंजिल या उससे अधिक (500 वर्ग फिट क्षेत्रफल तक)	180.00
13	व्यावसायिक प्रतिष्ठान एक मंजिल (501 वर्ग फिट से 1000 क्षेत्रफल तक)	200.00
14	व्यावसायिक प्रतिष्ठान दो मंजिल (501 वर्ग फिट से 1000 क्षेत्रफल तक)	220.00
15	व्यावसायिक प्रतिष्ठान तीन मंजिल या उससे अधिक (501 वर्ग फिट से 1000 क्षेत्रफल तक)	250.00
16	व्यावसायिक प्रतिष्ठान एक मंजिल (1001 वर्ग फिट से अधिक क्षेत्रफल)	300.00
17	व्यावसायिक प्रतिष्ठान दो मंजिल (1001 वर्ग फिट से अधिक क्षेत्रफल)	320.00
18	व्यावसायिक प्रतिष्ठान तीन मंजिल या उससे अधिक (1001 वर्ग फिट से अधिक क्षेत्रफल)	350.00
19	ऐसे भवन जिनमें दुकान/व्यवसाय हो रहा हो	उपरोक्तनुसार भवन एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान के क्षेत्रफल के अनुसार
20	बी0पी0एल0 कार्ड धारक परिवार हेतु	30.00
21	कच्चे भवनों व अन्त्योदय कार्ड धारक परिवार हेतू	20.00

1	2	3
		रु0
22	पथ विक्रेता, पान/चाय/खोखा/ठेले/सब्जी, फल आदि	50.00
23	रेस्टोरेन्ट (50 वर्ग मीटर)	500.00
24	रेस्टोरेन्ट (50 वर्ग मीटर से अधिक)	800.00
25	होटल, गैस्ट हाउस 10 कमरे तक	2,000.00
26	होटल, गैस्ट हाउस 10 कमरों से अधिक	3,000.00
27	होटल तीन सितारा एवं उससे अधिक	5,000.00
28	लाज 10 कमरे तक	1,500.00
29	लाज 10 कमरे से अधिक	2,000.00
30	धर्मशाला 10 कमरे तक	1,000.00
31	धर्मशाला 10 कमरों से अधिक	1,500.00
32	बैंक	1,500.00
33	सिनेमा हॉल	2,500.00
33ए	सिनेमा हॉल कैंटीन सहित	5,000.00
34	बारातघर/बैंकट हॉल (3000 वर्ग मीटर तक)	5,000.00
35	बारातघर/बैंकट हॉल (3000 वर्ग मीटर से अधिक)	10,000.00
35ए	बारातघर/बैंकट हॉल	2,000.00 प्रति इवेंट
36	स्कूल जिसमें 500 विद्यार्थी से कम हो	500.00
37	स्कूल जिसमें 500 या उससे अधिक विद्यार्थी हों।	800.00
38	मॉल/शापिंग काम्प्लेक्स एक मंजिला 1500 वर्ग फिट तक	5,000.00
38ए	मॉल/शापिंग काम्प्लेक्स दो मंजिला या उससे अधिक 1500 वर्ग फिट या उससे अधिक	5,000.00
38बी	मॉल/शापिंग काम्प्लेक्स एक मंजिला 2000 वर्ग फिट तक	10,000.00
38सी	मॉल/शापिंग काम्प्लेक्स दो मंजिला या उससे अधिक 2000 वर्ग फिट या उससे अधिक	12,500.00
39	क्लीनिक, डिस्पेन्सरी, मेडिकल स्टोर, डेन्टल क्लीनिक, होम्योपैथी क्लीनिक, मेडिकल स्टोर, डिस्पेन्सरी, आयुर्वेदिक क्लीनिक, पैथोलॉजी सेन्टर, एक्सरे क्लीनिक, अल्ट्रासाउन्ड क्लीनिक, एम0आर0आई0 सेन्टर, सी0टी0 स्कैन सेन्टर (केवल पृथक नॉन मेडिकल वेस्ट)	500.00

1	2	3
		रु0
40	नर्सिंग होम/अस्पताल 10 शैय्या से कम (केवल पृथक नॉन मेडिकल वेस्ट)	1,500.00
41	नर्सिंग होम/अस्पताल 10 शैय्या व उससे अधिक (केवल पृथक नॉन मेडिकल वेस्ट)	5,000.00
42	छात्रावास 10 कमरे से कम	1,500.00
43	छात्रावास 10 कमरे या उससे अधिक	2,000.00
44	उच्च शिक्षण संस्थान, डिग्री कॉलेज आदि	2,000.00
45	विश्वविद्यालय	5,000.00
46	कोचिंग इन्स्टीट्यूट 50 से कम विद्यार्थी	500.00
47	कोचिंग इन्स्टीट्यूट 100 से कम विद्यार्थी	1,500.00
48	कोचिंग इन्स्टीट्यूट 101 या उससे अधिक विद्यार्थी	3,000.00
49	वर्कशाप/फैक्ट्री 1000 वर्ग से कम	2,500.00
50	वर्कशाप/फैक्ट्री 1000 वर्ग मीटर से अधिक	5,000.00
51	पेट्रोल पम्प	1,000.00
52	शोरूम 1000 वर्ग फुट से कम	1,000.00
53	शोरूम 1000 वर्ग फुट से अधिक	1,500.00
54	व्यावसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बीमा कार्यालय आदि	500.00
55	वाहन सर्विस सेन्टर (टू-व्हीलर)	500.00
56	वाहन सर्विस सेन्टर (फोर व्हीलर)	1,000.00
57	लघु व कुटीर उद्योग (केवल गैर खतरनाक) अपशिष्ट 10 कि0ग्रा0 आदि	500.00
58	गोदाम, कोल्ड स्टोरेज (केवल गैर खतरनाक) अपशिष्ट	3,000.00
59	उत्सव हाल एवं मेला, प्रदर्शनी इत्यादि 3000 वर्गमीटर तक	5,000.00
60	उत्सव हाल एवं मेला प्रदर्शनी इत्यादि 3000 वर्गमीटर से अधिक	10,000.00
61	मंदिर, मस्जिद गुरुद्वारा, गिरजाघर एवं अन्य धार्मिक स्थल	200.00

1	2	3
		रु0
62	मंदिर, मस्जिद गुरूद्वारा, गिरजाघर एवं अन्य धार्मिक स्थल के बाहर अथवा अन्य स्थल, सड़क, सार्वजनिक स्थल पर होने वाले धार्मिक आयोजन/भण्डारा आयोजक पर	500.00 प्रतिदिन प्रति आयोजन
63	अन्य जो ऊपर चिन्हित नहीं है	नगर निगम के आंकलन के अनुसार

नोट–

1–प्रयोक्ता शुल्क भुगतान न करने की दशा में नगर आयुक्त या उनके प्राधिकृत अधिकारी को इन उपविधियों में वर्णित की गयी दरों के अनुसार देय धनराशि के अतिरिक्त उसका 20 गुणा तक शमन शुल्क (कम्पाउन्डिंग फीस) वसूल करने का अधिकार होगा।

2–यदि कोई उपभोक्ता एक वर्ष का प्रयोक्ता शुल्क अग्रिम (एडवांस) जमा करता है तो वह 01 माह के प्रयोक्ता शुल्क की छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

3–विधवा/बेसहारा महिला एकल रूप से (25 गज मकान में स्वयं निवास करती हो) प्रयोक्ता शुल्क से मुक्त रखा जायेगा, जिसका प्रमाण-पत्र प्रत्येक वर्ष नगर निगम से प्राप्त करना होगा। यदि भवन अथवा भवन का आंशिक भाग किराये पर दिया गया है तो वह भवन स्वामी छूट प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।

4–वह वरिष्ठ नागरिक जो आर्थिक रूप से कमजोर हो तथा 50 वर्ग गज तक के मकान में निवास करता हो, एवं शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो एवं उनके साथ वृद्ध पत्नी के अतिरिक्त अन्य कोई परिवारजन अथवा अनुरूप सहायक आवासित न हो उनको प्रयोक्ता शुल्क से मुक्त रखा जायेगा परन्तु ऐसे वरिष्ठ नागरिक को नगर निगम, मुरादाबाद से इस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा प्रतिवर्ष उसका नवीनीकरण कराना होगा।

5–जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपरोक्त अनुसूची-4 की सीमा में नहीं आयेंगे। इनका निस्तारण जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अन्तर्गत निस्तारण वैज्ञानिक रीति से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार की जायेगी।

6–प्रयोक्ता शुल्क अनुसूची-4 में वर्णित शुल्क प्रत्येक 02 वर्ष में नगर निगम द्वारा पुनरीक्षित की जा सकेगी। पुनरीक्षण का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम, मुरादाबाद में निहित होगा। उपरोक्त उपविधि में पुनरीक्षण के पश्चात् शुल्क में की गयी वृद्धि किसी भी दशा में 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

नगर निगम, मुरादाबाद सीमान्तर्गत नगरीय छः अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2019 के प्रकाशन उपरान्त प्राप्त आपत्तियों का विवरण तथा अनापत्तियों की निस्तारण आख्या।

क्र0सं0	प्राप्त आपत्ति का विवरण	आपत्ति का निस्तारण
1	2	3
1	हाऊस टैक्स के अतिरिक्त कूड़ा उठाने का यूज़र चार्ज कम किया जायें।	यूज़र चार्ज तालिका में क्षेत्रफल के आधार पर वर्गीकृत कर यूज़र चार्ज कम कर दिया गया है। जिसके आधार पर आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है।
2	दुकानों से कूडा उठाने का यूज़र चार्ज काफी अधिक है। इसे कम किया जाये।	यूज़र चार्ज तालिका में क्षेत्रफल के आधार पर वर्गीकृत कर यूज़र चार्ज कम कर दिया गया है। जिसके आधार पर आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है।

1	2	3
3	घरों से कूड़ा उठाने का यूज़र चार्ज अधिक है।	यूज़र चार्ज तालिका में क्षेत्रफल के आधार पर वर्गीकृत कर यूज़र चार्ज कम कर दिया गया है। जिसके आधार पर आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है।
4	ज़िला स्तरीय उद्योग बन्धु के बैठक में उद्योग बन्धुओं द्वारा फैक्ट्रियों से कूडा उठाने का चार्ज अंकन रू0 5,000.00 से कम किया जाये एवं क्षेत्रफल के आधार पर चार श्रेणियों में बांटकर चार्ज निर्धारित किये जायें (1) क्षेत्रफल 0 से 500 वर्गमीटर तक (2) क्षेत्रफल 500 से 1000 वर्गमीटर तक (3) क्षेत्रफल 1000 से 2500 वर्गमीटर तक (4) क्षेत्रफल 2500 से अधिक पर	ज़िला स्तरीय उद्योग बन्धु के बैठक में उद्योग बन्धुओं द्वारा फैक्ट्रियों से कूड़ा उठाने का चार्ज अंकन रू0 5000.00 से कम किये जाने वाले सुझाव को दृष्टिगत रखते हुये उपविधि के बिन्दु सं0 3.12 यह वृहद अपशिष्ट सृजक (बल्क वेस्ट जनरेटर) औसतन 50 कि0ग्रा0 से अधिक अपशिष्ट उत्पादित करने वाले उद्योग इस श्रेणी में आयेंगे। ऐसे उद्योगों जो 50 किग्रा से अधिक अपशिष्ट उत्पादित करते हैं उनके द्वारा स्वयं ही अपने उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट का निस्तारण किया जायेगा। 50 कि0ग्रा0 तक अपशिष्ट उत्पादित करने वाले उद्योगों को क्षेत्रफल के आधार पर चार श्रेणियों में बांटकर चार्ज निर्धारित किया गया है जो निम्नवत् है– (1) क्षेत्रफल 0 से 500 वर्गमीटर तक अंकन रु0 1000 (2) क्षेत्रफल 500 से 1000 वर्गमीटर तक अंकन रु0 2000 (3) क्षेत्रफल 1000 से 2500 वर्गमीटर तक अंकन रु0 3500 (4) क्षेत्रफल 2500 से अधिक पर अंकन रु0 5000

ह0 (अस्पष्ट),
सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुरादाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद आजमगढ़ के तहसील लालगंज में कार्यरत श्री रामगरीब तिवारी पुत्र स्व0 रामअधार तिवारी, संग्रह अमीन को वसूली हेतु दी गयी विविध देय की रसीद बही व अन्य कागजात दिनांक 12 नवम्बर, 2020 को उनके वसूली क्षेत्र तरवा से तहसील मुख्यालय के बीच रास्ते में कहीं गिर गयी और काफी तलाश करने के बाद भी उपलब्ध नहीं हो पायी, रसीद व अन्य कागजात के गुम हो जाने के सम्बन्ध में संग्रह अमीन द्वारा थाना मेंहनाजपुर में प्रथम सूचना (एन0सी0आर0) दर्ज कराया गया है। ये रसीद बहियॉ यदि किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाय तो उसे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करा दी जाय। उक्त रसीदों को प्रयोग प्रत्येक दशा में अनाधिकृत समझा जायेगा। उनके माध्यम से किये जाने वाले किसी भी भुगतान को राजस्व विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। गुमशुदा रसीद बहियों का विवरण निम्नवत् है।

गुमशुदा रसीद बहियों का विवरण

तहसील/जनपद	रसीद बही का प्रकार	प्रयोग की गयी रसीदों की संख्या	अप्रयुक्त रसीदों की संख्या
1	2	3	4
लालगंज, आजमगढ़	विविध देय	1745101 से 1745170 कुल 70 रसीदें	1745171 से 1745200 कुल 30 रसीदें (दोहरे पन्ने में)

दिनांक 18 नवम्बर, 2020 ई0।

ह0 (अस्पष्ट),
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
आजमगढ़।

उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ

[भूमि अर्जन अनुभाग]

18 दिसम्बर, 2020 ई0

सूचना

(उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम 1965 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1, 1966) की धारा 28 के अन्तर्गत नोटिस)

संख्या 2560/एल0ए0सी0/एच0क्यू0–उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् ने लखनऊ नगर की बढ़ती हुई आवासीय समस्या के निराकरण हेतु आवासीय योजना "नई जेल रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना मोहनलाल गंज, लखनऊ" बनायी है। योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्न प्रकार हैं–

उत्तर–खसरा संख्या 118, 119, 120, 121, 122, 115, 114, 113, शारदा नहर ग्राम–हबुआपुर, परगना व तहसील–मोहनलाल गंज, जिला–लखनऊ व शारदा नहर, ग्राम–सिठौली कला, परगना व तहसील–मोहनलाल गंज, जिला–लखनऊ।

पूरब–खसरा संख्या 531, 532, 533, 534, 537, 538, ग्राम–सिठौली कलां, परगना व तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ व खसरा संख्या 95, 93 भाग 94, भाग 108, 109, 110, 113, 91, 90, 91, 81 भाग (सिठौली कलां लिंक मार्ग, ग्राम–सिठौली खुर्द परगना व तहसील–मोहनलाल गंज, जिला–लखनऊ एवं खसरा संख्या 72, 73, 70, भाग 71, भाग 72, 305, भाग 300, 301, 302, 305, भाग 57, 55, भाग 54, भाग 51, 311, भाग 49, भाग 312, भाग (नहर), 331, 337, 338, 352, 351, 363, भाग 393, भाग 398, 390, 389, 388, ग्राम–सिठौली खुर्द, परगना व तहसील–मोहनलालगंज, जिला–लखनऊ।

दक्षिण–खसरा संख्या 48 (नाला), 47, 46, 45, 38, 27, 26, 23, 21, 20, 4, 1, ग्राम–सेमरा पीतपुर, परगना व तहसील–मोहनलाल गंज, जिला–लखनऊ व खसरा संख्या 696, 695, 694, 693, (नहर), 690, 689 भाग, 688, 668, 667, 666, 665, 672 ग्राम–मोहारी कला, परगना व तहसील–मोहनलाल गंज, जिला–लखनऊ।

पश्चिम–गोसाईगंज से मोहनलाल गंज रोड (राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 56 बी0, नई जेल रोड) ग्राम–मोहारी कला, परगना व तहसील–मोहनलाल गंज, जिला–लखनऊ व गोसाईगंज से मोहनलाल गंज रोड (राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 56बी0, नई जेल रोड) ग्राम–हबुआपुर, परगना व तहसील–मोहनलाल गंज, जिला–लखनऊ।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र, कार्यालय आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-8, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, द्वितीय तल, आफिस काम्प्लेक्स, भूतनाथ मार्केट, इन्दिरा नगर, लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

योजना क्षेत्र में स्थित निर्माणों के भू-स्वामियों पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेन्ट फी/विकास व्यय भी अधिभारित होगा।

योजना के विपरीत आपत्तियों को, इस नोटिस के प्रथम बार उ0प्र0 गजट के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर, कार्यालय आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-8, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, द्वितीय तल, आफिस काम्प्लेक्स, भूतनाथ मार्केट, इन्दिरा नगर, लखनऊ में ली जायेंगी। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/खसरा नम्बर/भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिये।

अजय चौहान,
आवास आयुक्त।

UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD, LUCKNOW

[LAND ACQUISITION SECTION]

December 18, 2020

NOTICE

(Notice under section 28 of the U.P. Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965, U.P. Act. No. 1, 1966)

No. 2560/LAC/HQ–The U.P. Awas Evam Vikas Parishad has framed a scheme, called "New Jail Road, Bhoomi Vikas Evam Grihasthan Yojana Mohanlalganj, Lucknow" to solve the housing problem of the Lucknow City. The boundaries of the comprised area in the scheme are as follows :

North-Khasra no. 118, 119, 120, 121, 122, 115, 114, 113, Sharda Canal Village-Habuwapur, Pargana & Tahsil-Mohanlalganj, District-Lucknow, Sharda Canal, Village-Sithauli Kala, Pargana & Tahsil-Mohanlalganj, District-Lucknow.

East-Khasra no. 531, 532, 533, 534, 537, 538 Village-Sithauli Kala, Pargana & Tahsil-Mohanlalganj, District-Lucknow & Khasra no. 95, 93 Part 94, Part, 108, 109, 110, 113, 91, 90, 91, 81 Part (Sithauli Kala Link Road, Village-Sithauli Khurd, Pargana & Tahsil-Mohanlalaganj, District-Lucknow) & Khasra no. 72, 73, 70, Part, 71, Part 72, 305, Part 300, 301, 302, 305, Part 57, 55, Part, 54, Part 51, 311, Part 49, Part 312, Part (Canal), 331, 337, 338, 352, 351, 363, Part 393, Part 398, 390, 389, 388, Village-Sithauli Khurd, Pargana & Tahsil-Mohanlalganj, District-Lucknow.

South-Khasra no. 48 (Drain), 47, 46, 45, 38, 27, 26, 23, 21, 20, 4, 1, Village-Semra Peetpur, Pargana & Tahsil-Mohanlalganj, District-Lucknow & Khasra no. 696, 695, 694, 693 (Canal), 690, 689, Part 688, 668, 667, 666, 665, 672, Village-Mohari Kala, Pargana & Tahsil-Mohanlalganj, District-Lucknow.

West-Gosainganj to Mohanlalganj Road, (N.H. No.- 56B. New Jail Road) Village-Mohari Kala, Pargana & Tahsil-Mohanlalganj, District-Lucknow & Gosainganj to Mohanlalganj Road, (N.H. No. 56B. New Jail Road), Village-Habuwa, Pargana & Tahsil-Mohanlalganj, District-Lucknow.

The details of Land, falling under the scheme and map can be seen in the Office of Housing Commissioner (Land Acquisition Section), U.P. Avas Evam Vikas Parishad, 104 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the Office of Executive Engineer, Construction Division-8, U.P. Awas Evam Vikas Prishad, 2nd floor, Office Complex, Bhootnath Market, Indira Nagar, Lucknow on any working day between 11:00 a. m. to 3:00 p.m.

Land Owners will be lible to pay Betterment fee/Development charges of their situated structures in the scheme according to requisite rules/provisions of U.P. Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam,1965.

Objections against the scheme shall be received at the Office of Housing Commissioner (Land Acquisition Section), U.P. Avas Evam Vikas Parishad, 104 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or in the Office of Executive Engineer, Construction Division-08, U.P. Awas Evam Vikas Prishad, 2nd floor, Office Complex, Bhootnath Market, Indira Nagar, Lucknow within 30 days from the first publication in Uttar Pradesh, Gazette of this notice. After passing the due date, no Objection shall be considered. Correct name and Land/Building/Name of Village/Khasra Number/Area of Land and all other details of objectioner comprised in scheme should be mentioned clearly.

AJAY CHAUHAN,
Housing Commissioner.

सूचना

मैं, दिनेश चन्द्र, POELR, 167062-N पुत्र श्री राम लाल निषाद, निवासी 184/3 रविन्द्रपल्ली, इंदिरा नगर लखनऊ। मेरे नौसेना अभिलेखों में मेरे पुत्र का नाम प्रियाँशू दर्ज है। मैंने उसका नाम बदल कर अनुराग निषाद रख लिया है। भविष्य में उसे इसी नाम से जाना व पहचाना जायेगा।

दिनेश चन्द्र।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी फर्म गंगोत्री प्रोडक्शन जिसका पता पूर्व में मण्डी बांस दर्जो गली, मुरादाबाद था। वर्तमान में फर्म का नया पता कनकपुर अव्वल, चन्दौसी रोड, मुरादाबाद है।

इसकी साझेदारी में मुकुल मोहन अग्रवाल, ईशांक अग्रवाल एवं दीपांक बंसल है। दिनांक 03 दिसम्बर, 2020 से हमारे एक साझेदार दीपांक बंसल ने रिटायरमेंट (फर्म से इस्तीफा) ले लिया है। अब दीपांक बंसल का फर्म से कुछ भी लेना-देना नहीं रहा है।

मैं मुकुल मोहन अग्रवाल यह प्रमाणित करता हूं कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण कर दी गयी है।

मुकुल मोहन अग्रवाल,
(पार्टनर),
गंगोत्री प्रोडक्शन कनकपुर, अव्वल,
चन्दौसी रोड, मुरादाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मंजू देवी व मंजू वर्मा उर्फ मंजू नाम एक ही महिला का है, भविष्य में मुझे मंजू देवी के नाम से जाना जाये। मंजू देवी पुत्री श्री पारस नाथ म0नं0 735/405 दारागंज, प्रयागराज।

मंजू देवी,
पुत्री श्री पारस नाथ,
म0नं0 735/405,
दारागंज, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मेसर्स अजय फिलिंग स्टेशन, बुलन्दशहर रोड, गुलावठी, जिला बुलन्दशहर-203408 की साझेदारी में श्री सुनील कुमार अग्रवाल एवं श्री सौरभ कंसल साझीदार थे। दिनांक 30 नवम्बर, 2020 को श्री अरूण अग्रवाल एवं श्रीमती निधि अग्रवाल फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुये हैं। दिनांक 30 नवम्बर, 2020 को श्री सौरभ कंसल फर्म की साझीदारी से अपना-अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये। वर्तमान में फर्म में श्री सुनील कुमार अग्रवाल, श्री अरूण अग्रवाल एवं श्रीमती निधि अग्रवाल साझीदार हैं। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सुनील कुमार अग्रवाल,
साझीदार,
मेसर्स अजय फिलिंग स्टेशन,
बुलन्दशहर रोड, गुलावठी,
जिला–बुलन्दहशहर-203408।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स मसूरी इण्डेन सेवा ग्राम व पोस्ट मसूरी, जिला मेरठ–250001 की साझीदारी में श्री रविन्द्र कुमार एवं श्रीमती डोली धीमान साझीदार थे। दिनांक 12 नवम्बर, 2020 को श्री मोहित शर्मा एवं श्री अनुज सिंह को सम्मिलित हुये हैं तथा दिनांक 12 नवम्बर, 2020 को श्रीमती डोली फर्म की साझीदारी से अपना-अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गयी हैं। अब वर्तमान में फर्म में श्री रविन्द्र कुमार, श्री मोहित शर्मा एवं श्री अनुज सिंह साझीदार हैं। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रविन्द्र कुमार,
साझीदार,
मेसर्स मसूरी इण्डेन सेवा,
ग्राम व पोस्ट मसूरी,
जिला-मेरठ-250001।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स लिओ कन्फैक्सनरी, 38बी, मोहकमपुर एन्कलेव, दिल्ली रोड, मेरठ–250002 की साझीदारी में श्री संजीव कुमार गोयल, श्री राजीव कुमार एवं श्रीमती राखी गर्ग साझीदार थे। दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 को श्री संजीव कुमार गोयल अपना हिसाब-किताब ले-देकर फर्म की साझीदारी से अलग हो गये हैं। अब फर्म की साझीदारी में श्री राजीव कुमार एवं श्रीमती राखी गर्ग साझीदार होंगे। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राजीव कुमार,
साझीदार,
मेसर्स लिओ कन्फैक्सनरी,
38बी, मोहकमपुर एन्कलेव,
दिल्ली रोड, मेरठ-250002।

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स रूमाना इन्टरप्राइजेज, 444, अन्दरून किला, बड़ा कुंआ, रायबरेली की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है। जिसमें तीन साझेदार श्री इकराम उल्लाह, श्री एहसान उल्लाह एवं श्री भवन थे, जिसमें दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 से एक साझेदार श्री भवन स्वेच्छापूर्वक फर्म की साझेदारी से निकल रहे हैं तथा एक नये साझेदार इसी तिथि से श्री गजन्फर अली पुत्र शाकिर अली फर्म में शामिल हो रहे हैं। फर्म में वर्तमान में तीन साझेदार श्री इकराम उल्लाह, श्री एहसान उल्लाह एवं श्री गजन्फर अली साझेदार हैं। जिसकी सूचना दी जा रही है।

इकराम उल्लाह,
साझेदार रूमाना इन्टरप्राइजेज,
जिला-रायबरेली।

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स लीलाधर पवन कुमार 4/2 पुराना कोठा पार्चा किराया बाजार फर्रूखाबाद (उ0प्र0) पिन कोड नं0-209625 के पते पर पंजीकृत है। इससे तीन साझेदार हैं। प्रथम रोहित बागड़ी, द्वितीय अलका बागड़ी एवं तृतीय मोहन लाल बागड़ी पुत्र स्व0 ओम प्रकाश बागड़ी जिनका पैन कार्ड नं0 AAPPB5031R एवं आधार कार्ड नं0 491916619735 है। इनमें से तृतीय साझेदार ने अपना नाम बदल कर मोहन महेश्वरी पुत्र स्व0 ओम प्रकाश महेश्वरी कर लिया है, जिनका पैन कार्ड नं0 AAPPBS5031K एवं आधार कार्ड नं0 491916619735 है। अतः भविष्य में यह इस फर्म में इसी नाम से साझेदार रहेंगे।

रोहित बागड़ी (प्रथम) साझेदार,
अलगा बागड़ी (द्वितीय) साझेदार,
मे0 लीलाधर पवन कुमार पंजीकृत,
पता 4/2 पुराना कोठा पार्चा,
फर्रुखाबाद (उ0प्र0) 209625।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि साझीदार फर्म मे0 बी0एस0 कंस्ट्रक्शन, अली नगर कैंजरा, राजा का ताल, फिरोजाबाद से सर्वश्री बलवीर सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह आयु 84 वर्ष, निवासी अली नगर कैंजरा, राजा का ताल, तहसील फिरोजाबाद, जिला फिरोजाबाद, दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से फर्म की साझीदारी से अलग हो गये हैं। फर्म की किसी भी प्रकार की कोई देनदारी बकाया नहीं है। वर्तमान में फर्म में निम्न साझेदार हैं–राजेश कुमार पुत्र श्री सर्वेश सिंह, आशीष सिंह पुत्र श्री सर्वेश सिंह व श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री नत्थी लाल।

राजेश कुमार,
भागीदार,
मे0 बी0एस0 कंस्ट्रक्शन,
अली नगर कैंजरा, राजा का ताल,
फिरोजाबाद।

सूचना

फर्म मेसर्स आई0के0 इण्टरनेशनल 15/264, शमसी विला, सिविल लाइन्स, कानपुर नगर में दिनांक 02 नवम्बर, 2020 को श्री फहेद इस्लाम पुत्र श्री साकिब इस्लाम शमसी, नि0 15/264, शमसी विला, सिविल लाइन्स, कानपुर नगर भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं।

साकिब इस्लाम शमसी,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स–आई0के0 इण्टरनेशनल,
15/264, शमसी विला,
सिविल लाइन्स, कानपुर नगर।

सूचना

फर्म मेसर्स बंसल टी कार्पोरेशन का शासकीय गजट दिनांक 29 अगस्त, 2020 को भाग आठ में प्रकाशित किया गया था, जिसमें मेरी त्रुटिवश गलत सूचना प्रकाशित हो गयी थी, अतः सूचित किया जाता है कि "बंसल टी कार्पोरेशन 59/42 बिरहाना रोड, कानपुर के पार्टनर घनश्यामदास अग्रवाल, निवासी 128/440 एच-2 किदवई नगर, कानपुर का स्वर्गवास दिनांक 02 नवम्बर, 2010 को हो गया। उनके स्थान पर श्री नरेश कुमार बंसल कर्ता घनश्यामदास एच0यू0एफ0 नये पार्टनर होंगे"।

पवन कुमार बंसल।

पी0एस0यू0पी0–41 हिन्दी गजट–भाग 8–2021 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।